लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४६, १९६०/१८८२ (शक)

[२९ अगस्त से ९ सितम्बर १९६०/७ से १८ भाद्र १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४६ में अंक २१ से ३१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

द्वितीय माला, खण्ड ४६,—अंक २१ से ३१—२९ अगस्त से ९ सितम्बर १९६० / ७ से १८ भाद्र, १८८२ (शक)

अंक २१ सोमवार, अगस्त २९, १९६०/७ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८२६ और ८२८ से ८३५ . . २६२३—४७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . २६४७—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२७ और ८३६ से ८७० . . २६५०—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३१ से १६६०, १६६२ से १७०३ और १७०५ से १७०७ . . . . . २६६५—९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६९६–९७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २६९८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बालकेश्वर में तेल का मिलना २६९८–९९

सीमा शुल्क तथा उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक—पुरस्थापित २६९९

वर्ष १९६०–६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) . २६९९—२७३४

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक . . २७३४—३७

विचार करने का प्रस्ताव २७३४–३७

तेल सम्बन्धी नीति के बारे में प्रस्ताव . . . . २७३७—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २७५४—६०

अंक २२ मंगलवार, ३० अगस्त, १९६०/८ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०-क, ८७१ से ८७४, ८७६ से ८८०, ८८२ और ८८३ . . . २७६१—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ और ६ . . . . २७८४—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७५, ८८१, ८८४ से ९०२ और ९०४ से ९१४ २७८७—२८००

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०८ से १७७० और १७७२ से १७८१ २८००—२८

विशेषाधिकार भंग के बारे में प्रस्ताव . . . २८२९

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ तथा ९०३ के बारे में . २८३०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २८३०–२८३१

राज्य-सभा से सन्देश . . . २८३१

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया २८३१

आसाम जाने वाले संसद सदस्यों के शिष्टमंडल का प्रतिवेदन . २८३२–३३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . २८३४

उनहत्तरवां प्रतिवेदन २८३४

विधेयक—पुरस्थापित २८३४

(१) बिलासपुर वाणिज्यिक निगम (निरसन) विधेयक २८३४

(२) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६० २८३४

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक . . २८३४

विचार करने का प्रस्ताव . . . . २८३४—३७

खण्ड २ से ९ और १ . . . . . १८३७–३८

पारित करने का प्रस्ताव २८३८

बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक . . २८३८—४२

विचार करने का प्रस्ताव . . . २८३८—४२

खण्ड १ से ३ . . २८४२

पारित करने का प्रस्ताव २८४२

भारतीय मज़दूर संघ (संशोधन) विधेयक . . . २८४३

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . २८४३—५५

खण्ड २ से ९ और १ . . . . . २८५५—५८

संशोधत रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . २८५८

औषधि (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २८५९—६१

पैकेज प्रोग्राम के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . २८६१—६७

दैनिक संक्षेपिका . . . . २८६८—७४

अंक २३ बुधवार, ३१ अगस्त, १९६०/९ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१६, ९१८ से ९२२, ९२५, ९२६, ९२८ से ९३३, ९३५ और ९३७ . . . . २८७५—९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ . २८९९--२९०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९१७, ९२३, ९२४, ९२७, ९३४, ९३६ और ९३८ से ९६३ . . . . २९०४--१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७८२ से १८११ और १८१३ से १८५६ २९२०--५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९५२--५४

सदस्य की दोष-सिद्धि २९५४

विनियोग (संख्या ४) विधेयक--पारित २९५४

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव २९५५--८७

दैनिक संक्षेपिका २९८८--९३

अंक २४ गुरुवार, १ सितम्बर, १९६० / १० भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९६४ से ९७४, ९७६ और ९८२ . . २९९५--३०१७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . ३०१७--२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९७५, ९७७ से ९८१ और ९८३ से १००८ ३०२०--३२

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५७ से १९४२ और १९४४ से १९४९ ३०३२--७६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३०७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३०७७--७९

राज्य सभा से सन्देश ३०७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ की बम्बई प्रादेशिक समिति द्वारा हड़ताल की धमकी ३०७९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ३०७९--८८

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . ३०८९--३११५

खाद्यान्नों के मूल्यों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३११५--१८

दैनिक संक्षेपिका ३११९--२६

अंक २५ शुक्रवार, २ सितम्बर, १९६० / ११ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १००९ से १०१३, १०१५ से १०१८, १०२० और १०२२ से १०२६ . . ३१२७--५१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१४, १०१६, १०२१ और १०२७ से १०४८ ३१५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या १६५० से १६५६ और १६५८ से २०३६ ३१६१–३२०३

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . ३२०३

राज्य सभा से सन्देश ३२०३

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश . . . ३२०३

स्कूटरों के बारे में वक्तव्य ३२०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आन्ध्र के रायलसीमा और अन्य ज़िलों में दुर्भिक्ष की स्थिति ३२०४–०६

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . ३२०६–३१

कार्य मंत्रणा समिति

पचपनवां प्रतिवेदन . . . ३२३५

दैनिक संक्षेपिका . . ३२३२–३७

अंक २६ शनिवार, ३ सितम्बर, १६६० / १२ भाद्र, १८८२ (शक)

राज्य सभा से सन्देश . . ३२३६–४०

भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया ३२४०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ।

पंजाब के कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति ३२४०–४२

सभा का कार्य . . ३२४३

बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित . ३२४४

कार्य मंत्रणा समिति

पचपनवां प्रतिवेदन . . ३२४४

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ३२४४–७६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उनहत्तरवां प्रतिवेदन ३२८०

समाचार पत्रों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रसार के बारे में संकल्प—

अस्वीकृत ३२८०–६०

नौवहन सभा के बार में संकल्प

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२६१–६२

पृष्ठ

अंक २७—सोमवार, ५ सितम्बर, १९६०/१४ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४९ से १०५२, १०५४, १०५७, १०५८, १०६०, १०६२ से १०६५ और १०६८ से १०७० . . . ३२९३–३३१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५५, १०५६, १०५९, १०६१, १०६६, १०६७ और १०७१ से १०८६ . . . . . ३३१७–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या २०४० से २१३१ . . . . ३३२९–७१

सभा पटल पर रखा गया पत्र ३३७१

राज्य सभा से सन्देश ३३७१

भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . . ३३७१

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३३७१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना — ३३७२–७४

नागा विद्रोहियों द्वारा विमानों पर हमला

औषधि (संशोधन) विधेयक ३३७४–९१

विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में. . ३३७४–९१

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ३३९२–३४१५

कोचीन गोदी श्रमिक योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . ३४१५–१९

सभा का कार्य ३४१९

दैनिक संक्षेपिका ३४२०–२६

अंक २८—मंगलवार, ६ सितम्बर, १९६०/१५ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८७ से १०९०, १०९२, १०९६, १०९८ से ११०० और ११०४ . . . ३४२७–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९१, १०९३ से १०९५, १०९७, ११०१ से ११०३ और ११०५ से ११४५ . . . . . ३४४८–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३२ से २२४५ . . . . ३४७०–३५२०

स्थगन प्रस्ताव . . . .

इन्डो-स्टेनवेक परियोजना के कर्मचारियों की छटनी ३५२०

पृष्ठ

सभा पटल पर रख गये पत्र ३५२१,३५२२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ३५२१–२२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली में भूकम्प ३५२२–२३

विधेयक—पुरस्थापित ३५२३–२४

१. अधिमान अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक, १९६० . ३५२३–२४

२. भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक, १९६० . . ३५२४

औषधि (संशोधन) विधेयक . . . ३५२४–३०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३५२४,३५२५–२९

खण्ड २ से ११ तथा १ . . . ३५२९–३०

पारित करने का प्रस्ताव . ३५३०

सभा का कार्य . . . ३५२४

सीमा शुल्क और उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक ३५३०–३१

विचार करने का प्रस्ताव ३५३०–३१

खण्ड २ से १०, अनुसूची तथा खण्ड १ . ३५३१

विचार करने का प्रस्ताव ३५३१

बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक . . . ३५३२–५३

विचार करने का प्रस्ताव ३५३२–४९

खण्ड २ से १० तथा १ . . . . . ३५४९–५२

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३५५२–५३

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक ३५५३–५६

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३५५३–५६

दक्षिण जाने वाली रेलगाड़ियों में स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . ३५५७–६३

तृतीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी समितियां,, . . ३५६३

दैनिक संक्षेपिका ३५६४–७१

अंक २९—७ सितम्बर १९६०/१६ भाद्र १८८२ (शक) — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४६, ११४९ से ११५२, ११५४, ११५५, ११५८ से ११६२, ११६४, ११६५, ११६९ और ११७० . ३५७३–९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४७, ११४८, ११५३, ११५६, ११५७, ११६३ और ११६६ से ११६८ और ११७१ से ११९२ . . ३५९९–३६१२

अतारांकित प्रश्न संख्या २२४६ से २३२५, २३२९ से २३४८, २३४८-क, २३४८-ख, २३४८-ग, २३४८-घ और २३४८-ङ ३६१२–६४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३६६४–६६

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश ३६६६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सतरवां प्रतिवेदन . . . ३६६६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भिलाई तथा रूरकेला इस्पात की योजनाओं में कोयले और लौह अयस्क की कमी ३६६७

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३६६७–७७

उड़ीसा में बाढ़ के बारे में प्रस्ताव . . ३६७७–३७१२

नौवहन के विस्तार के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ३७१२–१३

दैनिक संक्षेपिका . . ३७२१–२८

अंक ३०—८ सितम्बर, १९६० / १७ भाद्र, १८८२ (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख ३७२९

दैनिक संक्षेपिका . ३७३०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अंक ३१—शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९६० / १८ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३० से १२३३, १२३५, १२३६, १२३८, १२४० से १२४३ और १२६४-ख . ३७३१–५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ३७५४–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९३ से १२११, १२११-क, १२१२ से १२१६, १२१६-क, १२१६-ख, १२१६-ग, १२१६-घ, १२१७ से १२२९ और १२२९-क, १२३४, १२३७, १२३९, १२४४ से १२६४, १२६४-क, १२६४-ग, १२६५ से १२७४, १२७४-क, १२७५, १२७५-क, १२७६, १२७७ और १२७८ . . . . . ३७५७–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३४९ से २४३०, २४३०-क, २४३०-ख, २४३१ से २४९७, २४९९ से २५२१, २५२४ से २५३१, २५३३ से २५४२ और २५४४ से २५५३ . ३७९६–३८९३

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या ७६१, दिनांक १६-८-६०, के उत्तर में शुद्धि .	३८९३
स्थगन प्रस्ताव	३८९३–९५
१. कोयला खान श्रमिक पंचाट की कथित अकार्यान्विति . .	३८९३–९४
२. उर्वरकों का अन्तर्राज्यीय वहन	३८९४–९५
३. हड़ताल करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	३८९५
सभा का कार्य . .	३८९६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३८९६–९८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश	३८९८
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश	३८९८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश	३८९८
याचिका समिति—	
कार्यवाही सारांश . . .	३८९९
लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—	
कार्यवाही-सारांश . .	३८९९
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
नवां प्रतिवेदन	३८९९
याचिका समिति—	
दसवां प्रतिवेदन . . .	३८९९
लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन	३८९९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .	३८९९–३९०१
१. पुनर्वास वित्त प्रशासन के कर्मचारियों की छटनी .	३८९९–३९००
२. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण	३९००–०१
३. मैसूर में दुर्भिक्ष की स्थिति . . .	३९०१
४. पंजाब में आटा मिलों को गेहूं का संभरण . .	३९०१
५. गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने की दरों से सम्बन्धित अनुसूची	३९०१
६. लखनऊ की छत्तर मंजिल में दरारें .	३९०२
तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ के उत्तर की शुद्धि	३९०२

पृष्ठ

प्रत्यक्षकर प्रशासन जांच समिति की सिफारिशों पर निर्णयों के बारे में वक्तव्य—
श्री मोरारजी देसाई . . ३९०३

सूती कपड़े के मूल्यों के बारे में वक्तव्य—
श्री लाल बहादुर शास्त्री . . . ३९०३—०४

रजिस्टर्ड पत्र को ग़लत पते पर दिये जाने के बारे में वक्तव्य—
डा० प० सुब्बरायन . . . . ३९०४—०६

प्लास्टिक एबोनाइड ब्लाक बनाने वाली मशीन के बारे में वक्तव्य ३९०७

विधेयक—पुरस्थापित . . . ३९०७

(१) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६० ३९०७

(२) मोटर गाड़ी (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६० ३९०७

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक . . ३९०८—४५

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३९०८—३६

खण्ड २ से २६ तथा खण्ड खंड १ . . . ३९३६—४४

पारित करने का प्रस्ताव . . . ३९४५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
सत्तरवां प्रतिवेदन ३९४५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित . . . ३९४६—४७

१. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १६२ का संशोधन) (श्री तंगामणि का) ३९४६

२. व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ९२ का संशोधन) [श्री राम कृष्ण गुप्त का] . . ३९४६

३. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ४०५ आदि का संशोधन) [श्री राम कृष्ण गुप्त का] . . . ३९४६

४. समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६० (नई धारा १३-क और ६२४-क का रखा जाना और धारा २९३ का संशोधन) [श्री मी० रू० मसानी का] ३९४७

बद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . ३९४७—५१

भारतीय संविदा संशोधन विधेयक—वापिस लिया गया—
विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३९५१—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३९५४—६९

ग्यारहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप . . . . ३९७०—७१

नोट :— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GIPND—LSIII—1118(Ai)LSD—18-10-60—130.

लोक-सभा

मंगलवार, ३० अगस्त, १९६०

८ भाद्र, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कपड़े के मूल्यों का विनियमन

+

†*८७०-क. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्र० क० देब :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़े के मूल्यों का वियिनयमन करने के लिये कपड़ा उद्योग ने जो निर्णय किया है, क्या उस पर सरकार ने ध्यान दिया है;

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इस से ऊंची कीमतें विनियमित नहीं होंगी और वे ऊंचे स्तर पर कायम नहीं रहेंगी; और

(घ) कीमतों को सामान्य स्तर पर क्यों नही लाया जा सकता ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) जी हां ।

(ख) से (घ) भारतीय कपड़ा मिल संघ ने मूल्यों में जो कमी घोषित की है उस से सरकार संतुष्ट नहीं है । संघ ने संघ समिति की अत्यावश्यक बैठक बुलायी है और संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई है । आगे की कार्यवाही संघ के अन्तिम निष्कर्षों पर निर्भर होगी ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मंत्री ने किस प्रकार की कितनी कमी का सुझाव रखा था और किस हद तक उद्योग उसे पूरा करने के लिये तैयार है ?

†श्री कानूनगो : हम ने कोई सुझाव नहीं दिया था । संघ ने अगस्त, १९६० में एक विज्ञप्ति जारी की थी और जैसा कि मैं ने बताया, उस विज्ञप्ति में घोषित कमी की मात्रा से हम संतुष्ट नहीं हुए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** वास्तव में मिलों ने कितनी कमी की है और फुटकर मूल्यों में वह कहां तक दिखायी पड़ी है ?

†**श्री कानूनगो:** अक्तूबर, १९५९ में जो मूल्य थे उस से औसतन १० प्रतिशत मूल्य कम कर के ठेके हुए हैं और बाजार में वर्तमान फुटकर मूल्यों के बारे में हमें अभी तक जानकारी नहीं मिली है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि दशहरा और दिवाली में बिक्री उचित मूल्य पर होगी और कोई शोषण नहीं होगा ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जायेगी और उस समय क्या दर लागू किये जायेंगे ?

†**श्री कानूनगो :** जैसा कि मैं ने बताया, आशा है कि दशहरा और दीवाली में मूल्य गिर जायेंगे । अभी फिलहाल फुटकर मूल्य बढ़ने की प्रवृत्ति रोक दी गयी है । अभी मैं यह ठीक ठीक नहीं बता सकता कि क्या मूल्य होंगे किन्तु मुझे विश्वास है कि अभी और दशहरे के बीच कुछ कमी हो जायेगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस बात को देखते हुए कि अक्तूबर, १९५९ में मूल्य काफी ऊंचे हो गये थे क्या सरकार ने यह मान लिया है कि उन मूल्यों में १० प्रतिशत कमी से उपभोक्ताओं को कुछ लाभ होगा ?

†**श्री कानूनगो :** अभी भी मूल्य कुछ ऊंचे चढ़ेंगे किन्तु मैं ने यह बताया था कि वर्तमान मूल्यों में कमी हुई है, न कि जुलाई, १९६० के मूल्यों में । अगस्त, १९५९ और जुलाई, १९६० के बीच मूल्य चढ़ने के लिये कोई औचित्य है । यह अंदाज लगाना कठिन है कि उस दौरान मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई । समायतया हम अधिक से अधिक २५ प्रतिशत तक वृद्धि के लिए तैयार हैं ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या यह सच है कि जब कि पूजा का त्यौहार आ रहा है, न केवल सूती वस्त्रों के दाम नहीं गिरे हैं बल्कि सस्ते ऊनी कंबल, जिन का सर्दी में उपयोग होता है, इस मूल्य रियायत से परे रखे गये हैं जिस का परिणाम यह होगा कि गरीबों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री कानूनगो :** माननीय सदस्य ने जिस किस्म के बारे में उल्लेख किया उसे सामान्य तौर से सूती कम्बल कहते हैं । संघ उस किस्म का मूल्य नहीं घटाना चाहता । किन्तु सर्दी के कपड़ों की बिक्री नवम्बर के लगभग होगी और उस समय तक आशा है मूल्य गिर जायेंगे क्योंकि तब तक सूती वस्त्र की सप्लाई काफी हो जायेगी ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या यह सच नहीं है कि भारतीय कपड़ा मिल संघ की स्थायी समिति जिस की बैठक कल बम्बई में हुई, इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वह मूल्यों को दो या तीन प्रतिशत तक और कम कर सकती है और उस ने वस्त्र आयुक्त को अपना निर्णय सूचित कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार संघ द्वारा की गयी १० प्रतिशत की कमी से और अधिक ३ प्रतिशत की कमी से संतुष्ट है ?

†**श्री कनूनगो :** मुझे इस आशय की कोई जानकारी नहीं है ; उन्हों ने सरकार को कोई सूचना नहीं दी है ।

†**श्री हेडा :** मूल्यों में कमी का प्रस्ताव पेश किया गया था और सरकार ने उसे मंजूर नहीं किया । सरकार ने समस्या का अध्ययन कर स्वत: क्यों नहीं मूल्य निर्धारित किये ?

†**श्री कानूनगो :** सरकार उत्पादन से वितरण तक संपूर्ण नियंत्रण करने के बारे में नहीं सोच रही है क्योंकि हमें आशा है कि नवम्बर तक मांग और पूर्ति के सामान्य तरीकों से मूल्य गिरा दिये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० चं० गुह** : चाहे कितने ही प्रतिशत मूल्य घटा दिये जायें क्या सरकार के लिये यह संभव होगा कि इन कुछ महीनों में उद्योग ने जो अतिरिक्त लाभ कमाया हो जो सरकार की गणना के अनुसार अनुचित लाभ होगा, वह उद्योग द्वारा छुड़वा दे ?

†**श्री कानूनगो** : कर लगाने वाले उस का ध्यान रखेंगे ।

†श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या सरकार ने संघ को इस बात के लिये राजी करने का प्रयत्न किया है कि वह दोनों ही प्रकार के, पहने जाने वाले और न पहने जाने वाले कपड़े के मूल्य कम कर दें और अक्तूबर के मूल्यों की बजाय जून-जुलाई के मूल्य स्वीकार कर ले क्योंकि अक्तूबर के मूल्य प्रायः पूजा और दीवाली के कारण ऊंचे हो जाते हैं ?

†**श्री कानूनगो**: हम पहले ही बता चुके हैं कि संघ ने अगस्त, १९६० में जो घोषणा की है उस से हम संतुष्ट नहीं हैं । हम उस की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं । प्रतिक्रिया संतोषजनक न होने की स्थिति में हम आवश्यक कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : पूजा के लिये केवल तीन सप्ताह रह गये हैं । सरकार इस के लिये कब तक कार्यवाही करेगी कि पूजा कपड़े के मूल्य गिर जायें ?

†**श्री कानूनगो** : मैं ने बताया है कि पिछले दस दिनों में मूल्य बढ़ना बन्द हो गया है । मुझे आशा है कि ठेके की कीमतों में कमी से बाजर में भी माल आ जाने पर, कीमतें गिर जायेंगी । यदि ऐसा नहीं होता, तो हम अगले हफ्ते के आखिर तक कार्यवाही करेंगे ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : करीब पन्द्रह दिन पहले माननीय मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने निश्चित आश्वासन दिया था और मुझे अच्छी तरह याद है कि जहां तक दीवाली और पूजा बाजार का संबंध है, कीमतें गिर जायेंगी । पूजा बाजार लगभग समाप्त हो चुका है । क्या मैं जान सकता हूं कि यह गड़बड़ी क्यों हुई और सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है ?

†**श्री कानूनगो** : मैं ने बताया है कि तीन सप्ताह पहले जो कीमतें थीं, वर्तमान मूल्य उस से अधिक ऊंचे नहीं हैं । वास्तव में कुछ किस्मों के मामले में, वे शायद घट गये हों । फुटकर बाजार के बारे में मुझे निश्चित जानकारी नहीं है । मुझे विश्वास है कि पूजा बाजार के लिये कीमतें गिर जायेंगी ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : पिछली बार माननीय मंत्री ने सभा में बताया था कि मिल मालिक सरकार की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकेंगे । सरकार की ठीक-ठीक इच्छा क्या है ? क्या यह मूल्यों को २० या २५ प्रतिशत घटाना चाहती है या वह उस स्तर पर मूल्यों को लाना चाहती है जहां से वे चढ़ाये गये ?

†**श्री कानूनगो** : जैसाकि मैं ने पहले बताया, अगस्त, १९६० में जारी की गई विज्ञप्ति में अक्तूबर, १९५९ के मूल्यों में कुछ कमी बताई गई है जिस से सरकार सन्तुष्ट नहीं है । इसलिये हम आशा करते हैं कि संघ के अतिरिक्त अन्य कुछ कारणों से मूल्य और भी नीचे गिरेंगे ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । श्री लाल बहादुर शास्त्री ने अभी एक दिन बताया था कि मिल मालिक सरकार की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की इच्छा क्या है और वह वर्तमान मूल्यों में कितनी कमी चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या सरकार ने बताया है कि उस के अनुसार मूल्यों में कितनी कमी होनी चाहिये ?

†**श्री कानूनगो:** जी नहीं । हम ने कम से कम संघ को तो नहीं बताया है क्योंकि हम चाहते हैं कि वह स्वत: निर्णय करे और वह हमारे लिये संतोषजनक भी हो । हम मोल भाव नहीं करते, हम केवल जांचते हैं । यदि उन की अपनी इच्छा से की गई कमी संतोषजनक न हो तो हम उसे लागू करने के लिये अन्य कार्यवाही, कानूनी कार्यवाही, करेंगे ।

†**श्री रंगा :** क्या सरकार कुछ अपने निजी विशेषज्ञों की सहायता लेती है जो विभिन्न प्रकार के कपड़े के सम्बन्ध में दिन प्रति दिन के मूल्यों के उचित स्तर के बारे में उसे परामर्श देते हों और यदि हां, तो क्या वह उन विशेषज्ञों के संघ और मिल-मालिकों से सम्पर्क बनाये रखने और उन्हें यह तथ्य अवगत कराने के लिये कहती रहती है कि सरकार को चीजों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त है ?

†**श्री कानूनगो:** यह जानकारी हर किसी को, न केवल सरकारी विशेषज्ञों को बल्कि उद्योग से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है ।

†**श्री रंगा :** तब मूल्य गिरते क्यों नहीं ?

†**श्री जयपाल सिंह :** माननीय मंत्री ने बताया है कि उन के संतोष की एक सीमा है किन्तु वह निश्चित आंकड़े बताने से इन्कार करते हैं । हमें मालूम हो कि सरकार को किस से संतोष होगा ?

†**श्री कानूनगो :** मैं अभी किसी भी उद्योग या व्यापार से मोल भाव करने के लिये तैयार नहीं हूं ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** कपड़े के मूल्य में असाधारण वृद्धि को देखते हुए क्या उन का अतिरिक्त लाभ कम करने के लिये कर लगाने की कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्री कानूनगो :** नहीं ।

†**श्री हेम बरुआ :** माननीय मंत्री ने वास्त में कहा है कि वस्त्र उद्योग सरकार की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता और साथ ही अभी हाल में उन्हों ने यह भी कहा है कि कपड़े के मूल्य विनियमित करने की दिशा में वस्त्र उद्योग का सहयोग पर्याप्त नहीं है । यदि ऐसा हो तो पर्याप्त सहयोग प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**श्री कानूनगो :** यदि मूल्यों में कमी संतोषजनक नहीं रही तो हमें कानून के अनुसार कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

†**श्री हेम बरुआ :** माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने कहा है कि कमी के विषय में सहयोग पर्याप्त नहीं है । फिर भी वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि "यदि वह पर्याप्त न हो "। यह क्या बात है वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री निश्चित रूप से कहते हैं किन्तु वाणिज्य मंत्री सन्देह में हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य चाहते हैं कि सरकार आज ही और यहीं पर निश्चित बता दे कि वह कितनी कमी की आशा करती है जबकि माननीय मंत्री सभा को या कपड़ा उद्योग को यह नहीं बताना चाहते क्योंकि वे चाहते हैं कि यह उस उद्योग पर ही छोड़ दिया जाये । सरकार की अपनी कुछ कल्पनायें हैं और निश्चित ही उस की कुछ कल्पना है कि उसे कहां तक कम करना चाहिये ।

---

†*मूल अंग्रेजी में*

यदि वस्त्र उद्योग स्वत: कर देता है तो सरकार उसे यह जताना नहीं चाहती कि उसे बाध्य किया गया है किन्तु यदि वह सरकार के लिये संतोषजनक नहीं हुआ तब सरकार हस्तक्षेप करेगी।। अत: यह विषय बिलकुल स्पष्ट है। मैं इस बारे में किसी और सुझाव की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा मूल्यों के नियंत्रण का अर्थ वास्तव में सम्पूर्ण नियंत्रण होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ समय पहले मूल्य ऊंचे हो गये हैं, क्या सरकार मिल मालिकों को कपड़े पर कीमत छापने के लिये बाध्य करेगी ? यह बहुत अच्छा सुझाव है।

†**श्री कानूनगो** : वह कई कार्यवाहियों में से एक है। हम केवल उसे ही अलग से नहीं करना चाहते। यदि हम संविहित नियंत्रण करते हैं तो हमें अन्य कई कार्यवाहियों के साथ उस पर सोचना और अमल करना होगा।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान कलकत्ते के समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिला सकता हूं कि ठेके के सूती माल रेलवे साईडिंग से नहीं उठाये जा रहे हैं जिस से पूजा के ठीक पहले वस्त्र का कृत्रिम आभाव पैदा हो गया है ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं। स्टाक उठाने के बारे में तीन सप्ताह पहले कुछ हिचकिचाहट थी किन्तु अब रास्ते के और व्यापार के स्टाक उठाये जा रहे हैं।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : क्या सरकार का यह विचार है कि १९५७ में कपड़े के जो भाव थे और उस के बाद काटन के जो भाव बढ़े, क्या वह उस परिमाण में कपड़े के भाव रखने के लिये तत्पर है ?

श्री कानूनगो : १९५८ की अवस्था बिल्कुल अलग थी। अब हम सोचते हैं कि जुलाई, १९५९ में नार्मल कन्डीशन्ज थीं और उसी बेसिस पर हम चलते हैं।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : मेरा निवेदन है कि बार बार यह कहा जाता है कि रा मैटीरियल का, काटन का, भाव बढ़ जाने के कारण कपड़े के भाव बढ़े हैं। १९५८ में कपड़े के जो भाव थे और उस के बाद जो काटन के भाव बढ़े हैं, उस परिमाण में ही कपड़े के भाव रखे जायें, क्या शासन का यह विचार है ?

श्री कानूनगो : मैं ने कहा है कि काटन की प्राइस एक चीज नहीं है, बहुत सी चीजें हैं, ऐवेलेबिलिटी की चीजें हैं। हम जुलाई, अगस्त, १९५९ की प्राइस को बेस समझते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि बिहार के चेम्बर आफ कामर्स ने एक संकल्प स्वीकृत किया है कि सरकार का कोई निश्चिय न होने की स्थिति में कपड़े की कीमतें पूजा के समय और ऊंचे चढ़ जायेंगी क्योंकि अभी कोई खरीद नहीं की जा सकती और यदि की भी जाती है तो वह वर्तमान ऊंची दरों पर होगी और इसलिये कमी पूजा और दीवाली के समय नहीं दिखाई पड़ेगी ? सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

†**श्री कानूनगो** : वास्तव में, ठेके अक्तूबर की कीमतों से १० प्रतिशत कम के हैं और स्टाक उठाये जा रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

मजूरी बोर्डों की सिफारिशें

+

†*८७१. श्री रामकृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री यादव नारायण जाधव :
श्री पहाड़िया :
डा० रामसुभग सिंह :
श्री मोहमद इलियास :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री परूलकर :
डा० सामन्त सिंहार :
श्री हेम बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री पलनियाण्डी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कपड़ा और सीमेंट संबंधी मजूरी बोर्डों की सिफारिशों की अलग अलग कारखानों में क्रियान्विति के सम्बन्ध में हुई प्रगति की रिपोर्ट मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को क्रियान्वित करते समय उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने के लिये न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) अनेक सूती वस्त्र मिलों ने सिफारिशें कार्यान्वित करना मंजूर कर लिया है । सीमेंट कारखाने भी श्रमिक संघों के परामर्श से इस विषय में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

(ग) न्यायाधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई है । यदि क्रियान्विति में कोई झगड़े खड़े होते हैं तो सम्बन्धित सरकारें यथोचित रूप से उन्हें सुलझा लेंगी ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या यह सच है कि पंजाब के कुछ कारखानों को छोड़ दिया गया है और यदि हां तो किन कारणों से और उनके मामलों में क्या विशिष्ट प्रक्रिया अपनायी जा रही है ?

†**श्री आबिद अली**: इस विषय में कोई खास प्रक्रिया नहीं अपनायी जा रही है । जो मिलें बन्द कर दी गयी थीं, उनको इस सम्बन्ध में ध्यान स्वतः मजुरी बोर्ड ने ही रखा था और इसलिये कोई कठिनाई नहीं होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कपड़ा मिल मालिकों ने किसी भी मिल में अभी तक सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की हैं और यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और मिल मालिकों ने सिफारिशों को कार्यान्वित करने के विषय में कौनसी विशिष्ट आपत्तियां पेश की हैं ?

†**श्री आबिद अली** : आन्ध्र प्रदेश की कुछ मिलों ने भूगतान करना मंजूर कर लिया है और पश्चिम बंगाल सरकार अपने क्षेत्र की कुछ मिलों के बारे में आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी**: क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में त्रिदलीय सम्मेलन में, केवल कानपुर, सहारनपुर और मोदी नगर की मिलों ने यह रिपोर्ट कार्यान्वित करना मंजूर किया है और यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में इसे कार्यान्वित कराने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री आबिद अली** : जो भी आवश्यक है वह उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है ।

†**श्री प्रभात कार**: माननीय मंत्री ने बताया कि पश्चिम बंगाल में किसी भी मिल ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशें अभी तक कार्यान्वित नहीं की हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि सिफारिशें कार्यान्वित करने के बारे में निर्णय करने के बारे में मालिकों को कितना समय और दिया जायगा और यदि वे नहीं करते क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजनामंत्री (श्री नंदा)** : अभी हाल में, मैं पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से मिला था और मैंने उन्हें याद दिलायी कि उन्होंने दलों के प्रतिनिधियों को बुला कर इस बारे में समझौता कराने और मजूरी बोर्ड की सिफारिशें कार्यान्वित कराने का वचन दिया था । उन्होंने एक सम्मेलन बूलाया और सोचा कि यह हो जायगा और क्रियान्विति आरम्भ हो जाएगी । लेकिन इसमें कुछ समय लग गया । इसलिये दो दिन पहले मैंने फिर उनसे बातचीत की और उन्होंने यह आशा प्रकट की कि वह शूरू हो गया होगा । वह फिर पूछताछ करेंगे और सम्बन्धित लोगों से इस बात की ओर ध्यान देने के लिये कहेंगे कि इसमें शीघ्रता हो । आशा है कि यह हो जायगा; यदि काफी समय तक यह कार्यान्वित नहीं होता तो हम आगे कार्यवाही करेंगे ।

†**श्री काशीनाथ पांडे** : क्या यह सच है कि सीमेण्ट मजूरी बोर्ड की सिफारिशें कार्यान्वित करने में इस कारण देर हुई है कि सरकारी अधिकारियों ने यह विषय यहां श्रम मन्त्रालय के पास स्पष्टीकरण के लिये भेजा है और यदि हां तो उस बारे में कितनी प्रगति हुई है और सिफारिशें कार्यान्वित की जायें इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री आबिद अली**: सीमेण्ट के बारे में, इस उद्योग का अभी हाल में एक त्रिदलीय सम्मेलन हुआ था और वहां संघ सरकार के प्रतिनिधियों के परामर्श से समझौता हुआ था और उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री दामानी** : मजुरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के कारण मजूरी बिल में राज्य वार कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

†**श्री आबिद अली** : वह मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट में दिया है । माननीय सदस्य वहां से मालूम कर सकते हैं ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा: गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अनूसार कुछ टैक्स टाइल मिल्स के बारे में जिनके ऊपर जांच कमेटियां बैठी हुई थीं, वेज बोर्ड की सिफारिशों पर अमल करना विचाराधीन रखा

---

†मूल अंग्रेजी में

गया था। इस प्रकार के कारखाने जो कि चालू हैं और जिन में काम करने वाले मज़दूरों का वेतन वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार अभी तक नहीं बढ़ाया गया है, उनके बारे में शासन क्या कर रहा है ?

श्री आबिद अलीः जो कारखाने बन्द हैं या जिन के बारे में चौकसी हो रही है, वहां तो इसको बढ़ाना मुश्किल है क्योंकि वहां सब से पहला सवाल तो यह है कि जो बन्द हैं वे खुलें और जो चल रहे हैं लेकिन ठीक तरीके से नहीं चल रहे हैं, वे ठीक तरीके से चलें और इन कारखानों के बारे में आज हालत यह है कि उनके मज़दूरों को पूरी तनख्वाह ही नहीं मिल रही है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि बंगाल मिल मालिक असोसियेशन ने सरकार से यह मांग की है कि मजुरी और महंगाई भत्ते में वृद्धि के बारे में मजूरी बोर्ड की सिफारिशें तब तक कार्यान्वित न की जायें जब तक कि उद्योग के वैज्ञानिकन सम्बन्धी सिफारिशें साथ ही साथ कार्यान्वित न की जायें ? यदि हां, तो इस रुख के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री नंदा :** यह प्रश्न केवल उसी क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हुआ है। यह अन्य क्षेत्रों में भी उत्पन्न हुआ है और वहां इसका निराकरण हो चूका है। यह बात नहीं कि वैज्ञानिकन का सम्पूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वित करना है किन्तु किसी प्रकार एक समझौते पर पहुंचना है और दूसरी जगहों में उस समझौते पर पहुंचना बहुत कठिन नहीं था। वहां भी वह कठिन नहीं होना चाहिये।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियारः** क्या सरकार चाय, कहवा और रबड़ के लिये अलग अलग मजूरी बोर्ड कायम कर रही है या सभी बागान फसलों के लिये एक ही मजूरी बोर्ड स्थापित कर रही है ?

†**श्री आबिद अलीः** मालिकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के परामर्श से सम्मेलन में किये गये निर्णय के अनूसार चाय, कहवा और रबड़ में से प्रत्येक के लिये अलग अलग मजुरी बोर्ड होगा।

श्री राम सिंह भाई वर्माः मेरा सवाल बन्द कारखानों के बारे में नहीं था। मेरा सवाल यह है कि जो कारखाने चालू हैं और जिन के ऊपर इन्क्वायरी कमेटी बिठाई गई थी, जिनके बारे में जांच चालू थी, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक उनके बारे में वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार अमल करना विचाराधीन रखा गया था। लेकिन आज वे कारखाने कमा रहे हैं लेकिन फिर भी वेज बोर्ड की सिफारिशों को इन कारखानों में अमल में नहीं लाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री नन्दा : अगर ऐसी हालत पैदा हो गई है, अगर फायदा हो रहा है, तो वहां पर भी जरूर सरकार इसको अमल में लाने की कोशिश करेगी।

†**श्री काशीनाथ पांडे :** क्या उत्तर प्रदेश की सरकारी सीमेण्ट फैक्टरी के प्रतिनिधि ने त्रिदलीय सम्मेलन में भाग लिया था ? यदि हां, तो क्या उसने यह आश्वासन दिया था कि वह सिफारिशें कार्यान्वित करने के लिये तैयार है ?

†**श्री आबिद अली :** जी हां, जब निर्णय किया गया था तब उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि भी वहां मौजूद था। किन्तु इस निर्णय के सम्बन्ध में उसने कोई आपत्ति नहीं उठायी। चर्चा के दौरान उसने उत्तर प्रदेश सरकार का दृष्टिकोण सामने रखा।

†**श्री साधन गुप्त :** क्रमशः कितनी सीमेण्ट और कपड़ा फैक्टरियों ने सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की हैं और प्रत्येक मामले में कितने कमचरी सम्बन्धित हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली :** ४८० मिलों में से, करीब ५० मिलों के बारे में छानबीन जारी है। बाकी में से, मैं समझता हूं, ३०० मिलों ने उसे कार्यान्वित करना मंजूर कर लिया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** माननीय मंत्री ने बताया कि यदि मिल मालिक उचित समय में उसे कार्यान्वित नहीं करते तो आगे कार्यवाही की जायगी। मैं जानना चाहता हूं कि "उचित समय" की ठीक-ठीक परिभाषा क्या है और यदि वे कार्यान्वित नहीं करते तो आगे क्या कार्यवाही की जायगी और क्या यह कार्यवाही कानूनी भी होगी ?

†**श्री नन्दा :** स्थिति यह है कि यह केवल मिलों से बढ़ी हुई मजूरी और महंगाई भत्ता किसी भी तरह दिलाने का प्रश्न नहीं है, बल्कि मजुरी बोर्ड की दूसरी सिफारिशें भी हैं जो विधान का विषय नहीं बन सकती। इसलिये कोशिश इस बात की है कि इन मामलों, वैज्ञानिकन आदि के बारे में सभी पक्ष किसी समझौते पर पहुंच जायें। वह इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं। एक या दो जगहों आशा धीरे धीरे फलरूप हो रही है। आशा है कि वह भी हो जायगा फिर शेष संस्थाओं का प्रश्न रह जायगा जो किसी कारण अभी भूगतान नहीं कर रहे हैं हम उन्हें राजी करने की कोशिश करेंगे। यदि हम उसमें सफल नहीं होते, तो ऐसी कार्यवाही जिससे आवश्यक मंजूरी प्राप्त हो सके, की जायगी।

†**श्री हेम बरुआ :** यदि दक्षिण भारत, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के भी कुछ मिल मालिक सरकार के तर्क मानने से इंकार कर दें तो क्या उस स्थिति में मजूरी बोर्ड का निर्णय लागू करने के लिये अध्यादेश जारी करने का सरकार का विचार है ?

†**श्री नन्दा :** मैंने उसका उत्तर दे दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न संख्या ८७२। श्री विद्याचरण शुक्ल।

†**श्री साधन गुप्त :** प्रश्न संख्या ९०३ का भी इसके साथ ही उत्तर दे दिया जाये।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** वे भिन्न भिन्न प्रश्न हैं। मेरे विचार में उनको इकट्ठे नहीं रखा जाना चाहिये।

†**श्री साधन गुप्त :** यह उसी विषय के सम्बन्ध में है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या मन्त्री महोदय को उन दोनों के उत्तर इकट्ठा देने में कोई आपत्ति है ?

†**पुनर्वास उप मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर :)** जी, कोई आपत्ति नहीं है।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** एक ट्रैक्टरों के ठीक तरह काम न करने के बारे में है और दूसरा ट्रैक्टरों के ठीक तरह कार्य करने के बारे में है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि मन्त्री महोदय दोनों का उत्तर इकट्ठा देने को तैयार हैं, तो उन्हें क्या कठिनाई है ? हम समझेंगे कि हम प्रश्न संख्या ९०३ पर पहुंच गये हैं। क्या वे प्रश्न पूछना नहीं चाहते हैं ?

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** मैं प्रश्न संख्या ८७२ पूछना चाहता हूं। दूसरे प्रश्न का उत्तर न दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** ठीक। इसका उत्तर नहीं दिया जायेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या वे ऐसा कर सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रश्न पूछने के लिये किसी सदस्य को बाध्य नहीं कर सकता ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह प्रश्न प्रश्न-सूची में रखा गया है । अब ऐसा नहीं हो सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** मुझे आश्चर्य है कि संसद् में कई वर्षों तक रहने के बाद भी माननीय सदस्य यह नहीं समझते । यदि कोई माननीय सदस्य प्रश्न न पूछे तो क्या मैं पूछूं ? यह तो प्रश्न की सूचना देने वाले सदस्य की मर्जी है, कि वह चाहे तो चुप रहे । तब उसको नहीं पुकारा जायेगा । मैं इस बात पर विचार करूंगा कि जब माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हैं और प्रश्न नहीं पूछते हैं तो फिर छपा हुआ उत्तर प्रकाशित किया जाये या नहीं । मैं उसको भी निकाल दूंगा । जब वे यहां उपस्थित हैं और प्रश्न पूछने से इंकार करते हैं तो मैं उनको ऐसी सुविधा भी न दूंगा कि उनका नाम कहीं समाचार पत्रों में छपे । छपा हुआ उत्तर प्रकाशित नहीं किया जायेगा ।

दण्डकारण्य परियोजना के ट्रैक्टर

†*८७२. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दंडकारण्य परियोजना के जो डी. ८० किस्म के जापानी ट्रैक्टर खराब हो गये थे, उनमें से कितने पुनः ठीक कर लिये गये हैं ;

(ख) उनको पुनः काम लेने योग्य बनाने के लिये कितना व्यय किया गया ; और

(घ) जिनसे ये ट्रैक्टर खरीदे गये थे, वे इस व्यय का कितना भाग देंगे ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) खराब हुए डी.८० किस्म के आठ ट्रैक्टरों में से सात ठीक कर लिये गये हैं और उनसे काम लिया जा रहा है ।

(ख) यह मरम्मत आयुध कारखानों के महानिदेशालय द्वारा की गयी जिसने ट्रैक्टरों का संभरण किया था ।

(ग) यह व्यय संभरणकर्ता देगा ?

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : उनकी मरम्मत पर व्यय के बारे में भाग (ख) का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : जैसा कि मैंने बताया है व्यय संभरणकर्ता, अर्थात् आयुध कारखानों के महानिदेशालय द्वारा किया जायेगा । हमे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने कितना खर्च किया है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : ये ट्रैक्टर कितने दिन तक खराब पड़े रहे और काम में नहीं लाये गये ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : वे कुछ दिनों तक काम में नहीं लाये गये । उनकी खेत में जरूरत थी । उन्हें खेत से बाहर नहीं ले जाया गया । मरम्मत में अधिक समय नहीं लगा ।

†**श्री जगन्नाथ राव** : इन ट्रैक्टरों में क्या खराबी है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर**: कुछ मशीनी खराब है–एयर क्लीनर आयल व एंजन आयल की सामान्य से अधिक खपत आदि ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेठ गोविन्द दास : क्या यह सही है कि ये ट्रैक्टर और दूसरे ट्रेक्टर भी वर्षों तक मुरम्मत में आ जान के कारण पड़े रहते हैं और इसका कारण क्या यह नहीं है कि हमारे यहां इसके अतिरिक्त हिस्से नहीं बनते हैं और दूसरी जगहों से भी नहीं मिल सकते हैं? क्या इसकी वजह से बहुत सा रुपया फिजूल लगा नहीं रहता है और उसका उपयोग नहीं हो पाता है?

पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): हमारे पास दो किस्म के ट्रैक्टर हैं, एक तो पुराने सैंट्रल ट्रैक्टर आर्गेनाइज़ेशन के हैं जो कि मेरी तरह से बहुत बूढ़े हो चुक हैं, उनकी मुरम्मत करना पड़ती है और यहीं कर लेते हैं। ये ट्रैक्टर नए आए हैं जो कि जापान से आए हैं और पहली बार ही आए हैं। कुछ थोड़ा सा उनमें नुक्स निकला है जो कि आहिस्ता आहिस्ता रफा हो रहा है ।

सेठ गोविन्द दास : मैं यह पूछ रहा था कि क्या यह बात सही नहीं है कि बुड्ढे होने के कारण नहीं, जब वह जापान थे तब भी बेकार रहे क्योंकि उन के अतिरिक्त हिस्से नहीं मिले या वे नहीं मंगाये गये?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जवानी में वह थे मिनिस्ट्री आफ फूड ऐंड एग्रिकल्चर के पास और बुढ़ापे में वे मेरे पास आ गये।

†**श्री प्र० के० देव** : कुछ समय पहले हमें बताया गया था कि दण्डकारण्य परियोजना को प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा दिये गये कुछ ट्रैक्टर भी खराब हो गये । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उनकी मरम्मत का खर्च प्रतिरक्षा मंत्रालय ने दिया?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : इन ट्रैक्टरों के बारे में मैं इस सदन में ब्यौरे वार विवरण दे चुका हूं। हमने ये ट्रैक्टर खरीद लिये हैं। उनकी लागत लगभग १ करोड़ रुपये है । कुछ खराब हो गये थे और उनकी मरम्मत की जा रही है। हम उनसे काम ले रहे हैं जो कि असन्तोषजनक भी नहीं है ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : मंत्री महोदय ने बताया कि उन्हें मरम्मत के बारे में जानकारी नहीं है। क्या मंत्री महोदय जानकारी इकट्ठी कर उसे सभा पटल पर रखेंगे?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं केवल इस बारे में जानकारी एकत्र करूंगा कि हमें क्या देना है। यदि इसका भुगतान आयुध कारखानों के महा-निदेशालय द्वारा किया जायगा तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है।

सनत नगर में संश्लिष्ट औषधि संयंत्र

\+

†*८७३. { **श्री न० रा० मुनिस्वामी** :
श्री रामी रेड्डी :
श्री ई० मधुसूदन राव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में सनतनगर नामक स्थान पर संश्लिष्ट औषधि संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में इस बीच अन्तिम निर्णय हो गया है ;

(ख) इस संयंत्र के कब स्थापित होने की सम्भावना है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में कोई प्रारम्भिक कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (घ). आन्ध्र प्रदेश में सनतनगर में संश्लिष्ट औषधि संयंत्र स्थापित करने के लिय एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने के लिये मास्को के मेसर्ज़ टेक्नो-एक्सपर्ट के साथ एक ठेका किया गया है। यह आशा की जाती है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जून, १९६१ के अन्त तक आ जायेगा ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : यह संयंत्र सरकारी क्षेत्र में लगेगा पर गैर-सरकारी क्षेत्र में और उस पर कितनी धन राशि खर्च की जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सरकारी क्षेत्र में विनियोजन लगभग १२ से १५ करोड़ रुपये का होगा ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : उत्पादन-लक्ष्य क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: उत्पादन-लक्ष्य २५० टन संश्लिष्ट औषधि का है जिसमें कोई विटामिन, और अल्कालोयड और थियोकोल जैसी कई संश्लिष्ट औषधियां शामिल होंगी ।

†**श्री नंजप्प** : मैं यह जानना चाहता हूं कि शुरू में कौन सी संश्लिष्ट औषधियों का—जिनका अब आयात किया जाता है—उत्पादन किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि मैंने बताया, संश्लिष्ट औषधियां विटामिन, थियोकोल और अलका लोयड की तरह की होंगी । इस समय उन का वार्षिक आयात ४ से ५ करोड़ रुपये तक है और क्योंकि देश में लोक-स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, अत: हम अपनी भावी आवश्यकताओं की भी योजना बना रहे हैं ।

अगरताला के विस्थापित व्यक्तियों की मांगें

+

†*८७४. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री बांगशी ठाकुर :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला (त्रिपुरा) के विस्थापित व्यक्तियों ने भारत सरकार को कुछ मांगें पेश की थीं ;

(ग) इन मांगों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(घ) क्या भूख हड़ताल के परिणामस्वरूप शरणार्थियों के किसी नेता की मृत्यु हो गयी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) से (ग). यह अनुमान लगाया जाता है कि माननीय सदस्य त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों की उन मांगों का जिक्र कर रहेहैं जिससे अप्रैल-मई, १९६० में भूख हड़ताल हुई थी । एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २८**] ।

(घ) एक भूख हड़ताली की २० मई, १९६० को अगरताला के वी० एम० अस्पताल मे मृत्यु हो गयी थी । उसने पहले दिन भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी:** क्या यह बात सच है कि अधिकारियों को इस बात का पता था कि भूख हड़ताल समाप्त की जाने वाली है और इस के बावजूद भी पुलिस एक सज्जन, श्री विशम्बर नमोदर को पुलिस की हिरासत में ले गये जहां उसकी मृत्यु हो गयी। क्या यह भी सच है कि इस मामले की जांच नहीं की गई।

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** यह त्रिपुरा प्रशासन से सम्बन्धित विधि और व्यवस्था का प्रश्न है। इससे पुनर्वास मंत्रालय का कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता (अन्तर्बाधा)।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मंत्री महोदय ने स्पष्टतः कहा है कि इस सज्जन की मृत्यु अस्पताल में हुई, इसमे एक बात और भी है। उसकी मृत्यु अस्पताल में नहीं हुई। उसकी मृत्यु पुलिस स्टेशन में पुलिस की हिरासत में हुई।

†**अध्यक्ष महोदय :** उसकी मृत्यु पुलिस स्टेशन में हुई या पुलिस की हिरासत में ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** जैसा कि हमें त्रिपुरा प्रशासन ने बताया, उसको मृत्यु अस्पताल में हुई।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसमें मतभेद है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मेरा कहना यह है। यह सज्जन भूख हड़ताल पर थे और पुलिस इन्हें पकड़ कर अपनी हरासत में ले गयी जहां इसकी मृत्यु हो गयी।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह ठीक है। मंत्री महोदय इस बात को नहीं मानते।

†**श्री बांगशी ठाकुर :** क्या यह सच है कि जिस पार्टी ने भूख-हड़ताल कराई और जिससे मृतक का सम्बन्ध था, उसने गैर-सरकारी डाक्टर को तो उन्हें देखने दिया, परन्तु सरकारी डाक्टर को नहीं देखने दिया यद्यपि कुछ भूख-हड़तालियों की हालत बहुत चिन्ताजनक थी ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इस आन्तरिक मामले से मंत्रालय का कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** इन व्यक्तियों की मांगों में एक मांग यह भी थी कि कुछ श्रेणी के व्यक्तियों को विस्थापित व्यक्तियों मे शामिल कर दिया जाये। विवरण में बताया गया है कि मंत्रालय ने उनको विस्थापित व्यक्तियों में शामिल करना संभव नहीं समझा। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि व्यक्तियों की मांग के अनुसार उनको शामिल करना संभव क्यों नहीं है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** 'विस्थापित व्यक्ति' की एक परिभाषा है। विस्थापित व्यक्ति वह व्यक्ति है जो एक निश्चित तिथि के पश्चात् गड़बड़ी के कारण या गड़बड़ी के भय से पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान से आये। अब त्रिपुरा में बहुत से व्यक्ति रहे और जो विस्थापित व्यक्ति थे, उनको विस्थापित माना गया और उनको पुनर्वास सहायता दी गयी है। अब यदि कोई व्यक्ति ८ या दस वर्षों के बाद आता है और कहता है कि वह विस्थापित व्यक्ति है और उसका नाम नहीं लिखा गया है, मैं उस स्थिति पर विचार नहीं करूंगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** विवरण में यह कहा गया है कि एक मुख्य मांग उस क्षेत्र के विकास के बारे में प्रस्ताव सम्बन्धी थी। १९५७ के सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, बहुत से किसानों के लिये,

---

†मूल अंग्रेजी में।

जिनको भूमि दे दी गयी है, सिंचाई एक प्रमुख समस्या है। और भूमि पर खेती नहीं की जा सकती। क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार ने अपनी अवशिष्ट समस्या में उन क्षेत्रों की सिंचाई के लिये धन आवंटित किया है जहां इन किसानों को भेजा गया है और वे अपनी आजीविका भी नहीं कमा पा रहे हैं? यदि हां, तो कितना धन आवंटित किया गया है?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : त्रिपुरा में दो प्रकार की भूमि है—लुंगा भूमि और टीला भूमि/लूंगा भूमि उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस में पहले ही खेती हो रही है। हम टीला भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब कोई योजना आती है, जोकि पूरी हो तो भारत सरकार उसे मंजूर कर देती है। मैं माननीया सदस्या को और सदन को यह बता देना चाहता हूं कि त्रिपुरा में शरणार्थी समस्या की त्रिपुरा प्रशासन के परामर्श से जांच की गई है और जो भी मांगें हैं, उन पर विचार किया जा रहा है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: मेरा प्रश्न स्पष्ट है। मैं यह जानना चाहती हूं कि विस्थापित व्यक्तियों को दी गई भूमि की सिंचाई के लिये कितना धन आवंटित किया गया है और कितनी सिंचाई योजनायें मंजूर की गई हैं?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं अभी इस का उत्तर नहीं दे सकता। यदि एक पृथक प्रश्न पूछा जाये तो मैं इस का उत्तर दे दूंगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण में यह बताया गया है कि जहां तक ऋण की राशि को छोड़ने का प्रश्न है, सरकार सारे धन को छोड़ने के लिये राजी नहीं हो सकती। परन्तु जहां पर ऋणी को बहुत अधिक कठिनाई होती है, ऋण की वसूली पर जोर नहीं डाला जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई अनुमान लगाया गया है कि उन ऋणियों की क्या संख्या है जिन को वसूली से अत्यधिक कठिनाई होगी?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : पूर्वी प्रदेश में दिये गये ऋण की कुल धनराशि लगभग ४८ करोड़ रुपये की है। इस समय २१ करोड़ रुपये से अधिक की रकम बाकी है और कुल ६८ लाख रुपये वसूल किया गया है। अर्थात् तीन प्रतिशत से भी कम। इस से पता चलता है कि २१ करोड़ रुपये की मांग में से हम ने केवल ६८ लाख रुपये वसूल किये हैं जोकि तीन प्रतिशत से भी कम है। इस से पता चलता है कि हम उन की कठिनाई को दूर कर रहे हैं।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं उन को भड़काने के लिये कुछ ऐसे तत्व हैं जो उन का सही सही काम नहीं करते, वे जहां भी जाते हैं, उन्हें भड़काया करते हैं। सरकार इस का क्या इन्तजाम कर रही है कि रिफ्यूजी लोग उन से बचे रहें?

श्री मेहर चन्द खन्ना: मैं इस का जवाब नहीं दे सकता। जो मेरे मोअज़िज़ दोस्त सामने बैठे हैं, वे देंगे।

श्री विभुति मिश्र : मेरे जिले मे भी रिफ्यूजी थे, जिन को वहां पर वेस्ट लैंड दी गई है। बाहर के लोग वहां आ कर उन को भड़काया करते हैं। सरकार से जितना हो सकता है वह करती है। मैं जानना चाहता हूं कि रिफ्यूजी लोगों को उन से गार्ड करने के लिये, ताकि बाहर के एलिमेंट वहां आ कर उन को भड़काया न करें, गवर्नमेंट क्या उपाय सोचती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बांगशी ठाकुर:** औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में क्या कारण है कि मंत्री महोदय को पूरी जानकारी नहीं दी जाती है ? भूख-हड़ताली की मृत्यु अस्पताल में हुई और एक गैर-सरकारी डाक्टर ने उस की देखभाल की। दल ने सरकारी डाक्टर को अन्तिम समय उसे देखने की आज्ञा दी। मंत्री महोदय को इस बात का पता क्यों नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा। यदि वह यह बात नहीं जानते हैं तो इस में औचित्य का क्या प्रश्न है ? इस म कोई औचित्य प्रश्न नहीं है।

ओखला में मजदूरों के लिये क्वार्टर

*८७६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की ओखला औद्योगिक बस्ती में मजदूरों के लिये क्वार्टर बनाने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रूप रेखा क्या है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, हां।

(ख) योजना है कि ओखला में दिल्ली प्रशासन की तरफ़ से दो कमरे वाले ४०० दुमंजले मकान आर्थिक मदद मकान निर्माण योजना के अधीन तैयार किये जायें।

(इस के पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो आर्थिक योजना के अन्तर्गत किराये किये जाते हैं, उन से मजदूर लोग सहमत हैं ?

श्री आबिद अली: हर एक कोशिश करता है कि कम से कम किराया दे और ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करे।

श्री नवल प्रभाकर: क्या मैं जान सकता हूं कि जब ये मकान बन जायेंगे तो इन के एलाटमेंट का क्या तरीका होगा ?

श्री आबिद अली : इस के लिये नियम बना दिये गये हैं और उन के अनुसार यह होता है। माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन को वह नियम दे दूंगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी बता सकेंगे कि ये मकान कब तक बन जायेंगे ?

श्री आबिद अली : २४ एकड़ जमीन हासिल की जा रही है। उस का डेवलपमेंट करना होगा। उस के बाद मकान बनना शुरू होगा।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या यह योजना उन अन्य स्थानों मे भी लागू की जायेगी जहां औद्योगिक बस्तियां स्थापित की जा रही हैं ?

†**श्री आबिद अली** : यह विचार है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : इन क्वार्टरों पर सरकार कितना धन खर्च कर रही है और श्रमिकों से क्या किराया वसूल किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली :** सहकारी समितियों को २५ प्रतिशत राज-सहायता और ६५ प्रतिशत ऋण दिया जायेगा और राज्य सरकारों को ५० प्रतिशत ऋण और ५० प्रतिशत राज-सहायता। जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उन को २५ प्रतिशत राज-सहायता और २५ प्रतिशत ऋण दिया जायेगा । धनराशि अधिक है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** किराया क्या है ।

†**श्री आबिद अली :** किराया अभी तै नहीं किया गया है ।

श्री राम सिंह भाई वर्मा : ये जो मकान शासन की तरफ से बनाये जा रहे हैं इन का जमीन सहित खर्च का कुल कितना एस्टीमेट होगा ?

श्री आबिद अली : जमीन की कीमत और वहां पर जो माल लगता है उस की कीमत मिला कर इन की कीमत निश्चित की जायगी । उन के लिये टेंडर दिये गये हैं । उन के मंजूर होने पर कीमत निश्चित की जा सकती है ।

श्री राम सिंह भाई वर्मा : ये जो मकान किसी योजना के अन्तर्गत शहरों मे या देहात में बनाये जाते हैं, इन की कीमत कूत ली जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि ये जो मकान ओखला में बनाये जाने वाले हैं इन की जमीन सहित क्या कीमत कूती गई है ?

श्री आबिद अली : करीब ढाई हजार से आठ हजार तक होगी ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : उन का किराया क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : किराया नहीं जानते ।

भारत और इंडोनेशिया की सेवाओं में सहयोग

†*८७७. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० के० देव :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच सहयोग संबंधी समझौते पर ३ जून, १९६० को जकार्ता में हस्ताक्षर किये गये ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) और (ख). भारत और इंडोनेशिया के बीच ३ जून, १९६० को एक समझौता पर हस्ताक्षर किये गये । इस समझौते का सारांश, उस दिन जारी किये गये एक प्रेस-नोट में दिया गया था । इस प्रेस-नोट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २९]**

इस समझौते में, युद्ध-क्षेत्र सम्बन्धी गतिविधियों को सहायता और सहयोग के क्षेत्र से बाहर रखा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या समझौते को क्रियान्वित किया गया है अथवा नहीं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : इस समझौते को आंशिक रूप से क्रियान्वित किया जा चुका है । दर असल इस दिशा में जो कुछ किया जा रहा था, इस समझौते द्वारा उस को मान्यता मिल गई है । हमारे पदाधिकारी उन की वायु-सेना अथवा स्थल सेना के लोगों को प्रशिक्षण दे रहे थे ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : इस समय हमारी सेनाओं की प्रत्येक शाखा में कितने भारतीय तथा इंडोनेशियन पदाधिकारी लगाये गये हैं ।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : इस समय मेरे लिये यह बताना मुश्किल है । यह तो केवल प्रशिक्षण का प्रश्न है । मेरा विचार है कि बहुत से लोग नहीं हैं ।

†**श्री प्र० के० देव** : विवरण से हमें यह पता चलता है कि समझौते में एक देश की सेना के चुने हुए अधिकारियों को दूसरे देश की सेना में लगाने और प्रशिक्षण की व्यवस्था है । क्या मैं जान सकता हूं इंडोनेशिया के कितने अधिकारियों को भारत में और भारत के कितने अधिकारियों को इंडोनेशिया में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

†**श्री सादत अली खां** : यह तो वही प्रश्न है ।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : क्या समझौते की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**श्री रघुनाथ सिंह** : वह तो रख दी गयी है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस समझौते को अच्छी तरह से क्रियान्वित करने के लिये कोई संगठन बनाया जायेगा ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू**: मैं इस प्रश्न को समझ नहीं पाया । यह एक बड़ा सीधा सा मामला है । उनके कुछ सैनिक और पदाधिकारी यहां आते हैं और उन्हें छः महीने और एक वर्ष के लिए किसी सैनिक शाखा में लगा दिया जाता है, और कुछ प्रशिक्षण प्राप्त करके वापिस चले जाते हैं । कई बार उन्हें सैनिक अकादमियों में रखा जाता है । यह एक बड़ी सामान्य सी बात है जिसे बिना किसी करार से भी किया जाता है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : यह समझौता सेना के तीनों अंगों के बारे में है । स्पष्टतः इससे हमें वित्तीय लाभ होगा । क्या प्रधान मंत्री हमें यह बता सकेंगे कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमें कितना वित्तीय लाभ होगा ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : इसमें हमें कोई वित्तीय लाभ नहीं है ।

झा समिति

†*८७८. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झा समिति ने सरकार से भारत में निर्मित कारों की कीमत में ५०० रु० की कमी की जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कारों की कीमत में कोई वास्तविक कमी हुई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या 'फियट' मोटर कारों के निर्माताओं ने 'फियट' कार के क्रय-मूल्य में २०० रु० कम करने की घोषणा की है; और

(घ) क्या 'हिन्दुस्तान' और 'स्टैन्डर्ड' कारों के निर्माताओं ने इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३०]**

†**श्री प्र० के० देव** : विवरण से हमें यह पता चलता है कि 'फियट' और 'स्टैन्डर्ड' कारों के निर्माताओं ने अपनी कीमतें घटा दी हैं। हिन्दुस्तान मोटर्स वालों को अपनी कीमतें घटाने में क्या अड़चन है ? इस बात को हुए चार महीने बीच चुके हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : इस कमी का, जैसा कि विवरण से पता चल सकता है, समिति की सिफारिशों से कोई सम्बन्ध नहीं है। समिति ने कुछ पूर्वाश्यकताओं का उल्लेख किया है जो पूरी नहीं की जा सकीं। हमें पूरी आशा है कि जब ये पूरी हो जायेंगी तो कीमतों में कमी होगी।

†**श्री प्र० के० देव** : कौन सी शर्तें पूरी की जानी हैं।

†**श्री मनुभाई शाह**: ये स्तम्भ संख्या ३ में दी गयी हैं। पूरी क्षमता से उत्पादन करने के लिए आवश्यक मशीनों और संयंत्रों को आयात करना है और उसके लिये जितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, वह प्रदान की जानी है।

†**श्री प्र० के० देव** : यह बात तो 'फियट' पर भी लागु होती थी। यद्यपि फियट और स्टैन्डर्ड वालों ने अपनी कीमतों में कमी कर दी है किन्तु 'हिन्दुस्तान' वालों ने ऐसा नहीं किया।

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि बताया गया है, यह कमी स्वेच्छा से की गयी थी और हमें विश्वास है कि सभी निर्माता जो कीमतों में कमी कर सकते हैं, ऐसा करेंगे। किन्तु इसका समिति की सिफारिशों से कोई सम्बन्ध नहीं।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : विभिन्न कारों के निर्माताओं द्वारा बनायी गयी कारों का मूल्य निर्धारित करते समय प्रत्येक निर्माता को कितनी सीमा तक लाभ उठाने की अनुमति दी जाती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह तो कमी का मामला है, वृद्धि का नहीं, और ना ही लाभ की सीमा का। यह जानी बूझी बात है कि कई कारखाने कोई लाभांश नहीं प्राप्त कर रहे। यह उद्योग केवल अब करवट बदल रहा है।

†**श्री साधन गुप्त** : सिफारिशें चाहे कुछ भी हों, किन्तु फियट और स्टैन्डर्ड के मूल्यों में कमी होने से यह सिद्ध हो गया है कि कीमतों में कमी करने की गुंजाइश है; इसलिये क्या सरकार ने हिन्दुस्तान मोटर्स को, इन सिफारिशों के कार्यान्वित होने तक, मूल्य में कुछ न कुछ कमी करने के लिये मनाने का यत्न किया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं अपने उत्तर में पहले ही यह बता चुका हूं कि मूल्यों में यह कटौती स्वेच्छानुसार थी और इसका समिति की सिफारिशों से कोई सम्बन्ध नहीं था। जब उद्योग

---

†मूल अंग्रेजी में

और सरकार दोनों की ओर से समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जायेगा, तो मुझे पूरी आशा है कि कीमतों में कमी हो जायेगी ।

†श्री हरिश्चन्द्र भायुर : समिति ने यह सिफारिश की है कि कीमतें निश्चित करने की बजाय इस सम्बन्ध में खूली प्रतियोगिता होनी चाहिए । इस बात के लिये क्या कार्यवाही की की जा रही है कि उद्योग में खुली प्रतियोगिता हो ।

†श्री भगुभाई शाह : समिति ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की । कारों के मूल्य पर हर प्रक्रम पर नियंत्रण रहना चाहिए ।

†श्री सिंहासन सिंह : छोटी कारों के निर्माण के बारे में क्या स्थिति है ? झा समिति की नियुक्ति विशेष रूप से इस बात की जांच करने के लिये की गयी थी । क्या मैं जान सकता हूं कि इसकी रिपोर्ट के बारे में क्या कुछ किया गया है ? क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस रिपोर्ट में दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठा रही है ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने छोटी कारों के निर्माण के लिये किसी फर्म को ठेका दिया है अथवा सरकार का स्वयं इस कार्य को करने का विचार है ?

†श्री भगुभाई शाह : श्रीमन्, मैं ने पिछले सप्ताह इस प्रश्न का उत्तर दिया था । आपको याद होगा कि मैं ने यह कहा था कि मुझे आशा है कि मैं रिपोर्ट में की गयी सभी सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गये निश्चयों को इस सप्ताह अथवा अगले सप्ताह के प्रारम्भ में सभा की टेबल पर रख सकूंगा ।

जापान में निरीक्षण-शाखा

†*८७९. { श्री रा० चं० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जापान में सम्भरण तथा निपटान के महानिदेशालय (डायरेक्टोरेट जनरल आफ सप्लाई एण्ड डिस्पोजल) का एक स्थायी निरीक्षण उप-कार्यालय (इन्सपेक्शन सैल) की स्थापना के प्रश्न की जांच कर ली है; और

(ख) जापान में पिछले वर्ष खरीदी गयी चीजों जैसे रेलवे टायर, टिन पेल्ट, वैगनों के लिए इस्पात आदि का निरीक्षण करने के लिए कितने पदाधिकारियों को जापान भेजा गया था ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) जी हां । जापान में स्थायी निरीक्षण शाखा की स्थापना के बारे में सरकार ने आदेश दे दिये हैं ।

(ख) जापान में पहले से ही नियुक्त कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिये पिछले वर्ष भारत से कोई अधिकारी नहीं भेजा गया ।

†श्री रा० चं० माझी : क्या मैं जान सकता हूं कि जापान में निरीक्षण-शाखा स्थापित करने के मूल्य कारण क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अनिल कु० चन्दा : सरकारी ज़रूरतों के लिये जापान काफी माल की खरीद की जाती है, उदाहरणतः अभी हाल ही में हमने ३ करोड़ रु० के मूल्य की ६३,५०० टन रेल खरीदने का ठेका किया है। लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय द्वारा दिये गये आर्डरों के अन्तर्गत अभी ६० लाख रु० का माल आना बाकी है।

†श्री दामोदरन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उन अन्य देशों में भी, जहां से विभिन्न प्रकार की बहुत सी वस्तुओं की बहुत बड़ी मात्रा में आयात करते हैं, ऐसी निरीक्षण शाखाएं स्थापित करने का विचार है ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : नई निरीक्षण शाखाएं खोलने के सम्बन्ध में सरकार के समक्ष अभी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है।

†राजा महेन्द्र प्रताप : क्या यह बेहतर नहीं होगा कि निरीक्षण-शाखाओं के कार्य में कुछ जापानियों की भी सहायता ली जाये ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : इस शाखा के पदाधिकारी भारतीय होंगे अर्थात् उन्हें भारत से भेजा जायेगा। किन्तु जहां तक छोटे पदों का सम्बन्ध है उन पर स्थानीय लोगों को नियुक्त किया जा सकता है।

†श्री ख० वं० सावन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह शाखा भारतीय राजदूतावास का अंग होगी अथवा एक पृथक् प्रतिष्ठान होगी ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : यह एक पृथक् प्रतिष्ठान है किन्तु वहां के राजदूतावास के सामान्य अधीक्षण में होगी।

†श्री स० चं० सावन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि आजकल राजदूतावास द्वारा इसकी क्या सहायता की जा रही है ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : स्वाभाविक रूप से, श्रीमान् ! जहां तक सम्भव है।

पावन स्थानों के सम्बन्ध में भारत-पाक समझौता

†*८८०. श्री दलजीत सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या राष्ट्रमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूजा-स्थानों की रक्षा और उनकी पवित्रता को कायम रखने के बारे में समझौता करने के लिये संयुक्त समिति की बैठक करने के लिये मई, १९५५ के भारत-पाक समझौते को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में क्या कोई और प्रगति हुई है; और

(ख) इस विषय के सम्बन्ध में कोई समझौता करने के लिये सरकार का और क्या कदम उठाने का विचार है ?

†वैदेशिक कार्य मंत्री के संसदीय सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). पावन स्थानों सम्बन्धी संयुक्त भारत-पाक समिति की दूसरी बैठक में भाग लेने के लिये, जो दिल्ली में होनी थी, पाकिस्तान ने अभी तक भारत सरकार का आमन्त्रण स्वीकार नहीं किया। भारतीय उच्चआयुक्त पाकिस्तानसरकार को अपना अन्तिम उत्तर देने के लिये आग्रह कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दलजीत सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार को पता है कि यद्यपि पाकिस्तान सरकार इन पावन-स्थानों से संलग्न सम्पत्ति की आय हासिल कर रही है तथापि इन स्थानों की मुरम्मत आदि नहीं की जा रही ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ नहीं पाया। वह हमें कुछ जानकारी दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या हमें इसका पता है या नहीं। हमें कुछ का पता है और कुछ का नहीं।

परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति

+
†*८८२. { पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा परिवहन नीति और समन्वय के सम्बन्ध में नियुक्त की गयी नियोगी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य उपपत्तियां और सुझाव क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या समिति कोई अन्तरिम रिपोर्ट पेश करेगी ;

(घ) क्या परिवहन के सम्बन्ध में तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रस्थापनाओं पर संसद् द्वारा विचार किये जाने और उन्हें अन्तिम रूप दिये जाने से पहले इस समिति की रिपोर्ट उपलब्ध हो सकेगी ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) समिति का इस वर्ष के अन्त तक अन्तरिम रिपोर्ट पेश करने का विचार है।

(घ) समिति को कुछ ऐसी समस्याएं सौंपी गयी हैं जिनकी विस्तृत जांच करना आवश्यक है इसलिये समिति को अपना पूरा करने में स्वाभाविक रूप से काफी समय लगेगा। इस समय यह कहना कठिन है कि समिति अपनी अन्तिम रिपोर्ट कब पेश कर सकेगी। किन्तु तृतीय पंचवर्षीय योजना पर चर्चा प्रारम्भ होने से पहले समिति की अन्तरिम रिपोर्ट उपलब्ध होने की आशा है।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या समिति रेल और सड़क परिवहन में तालमेल के [illegible] विचार कर रही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : निश्चित रूप से, श्रीमान् परिवहन के सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा। न केवल रेल परिवहन ही बल्कि नौकाओं और बैलगाड़ियों आदि के बारे में भी विचार किया जायेगा।

श्री भक्त दर्शन श्रीमन्, क्या इस कमेटी से कोई प्रार्थना की गई थी कि किस मियाद के अन्दर वह रिपोर्ट दे दे और किस वजह से उसमें देरी हो रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ल० ना० मिश्र : देर तो ज्यादा नहीं हो रही है। उसके द्वारा रिपोर्ट देने की अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई थी।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या समिति ने अपने कार्यक्रम के बारे में, जो उन्होंने अपने लिये बनाया है, कोई जानकारी दी है, और यदि हां, तो अन्तरिम रिपोर्ट में कौनसी बातों का समावेश होगा और क्या उनसे सरकार को कोई सहायता मिलेगी ?

†श्री ल० ना० मिश्र : समिति का काम बड़ा जटिल और पेचीदा है। वे सर्वेक्षण कर रहे हैं और सामग्री एकत्र कर रहे हैं। इसके लिये उन्होंने कुछ रेलवे लाइनों को और सड़क-परिवहन के कुछ मार्गों को चुना है। उन्होंने राज्य सरकारों से भी सम्पर्क बनाया हुआ है। जहां तक समिति की रिपोर्ट पेश करने का सम्बन्ध है, मैं यह बता चुका हूं कि दिसम्बर, १९६० के अन्त तक हमें अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाने की आशा है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रश्न अन्तरिम रिपोर्ट के बारे में था। मैं जानना चाहता था कि क्या सरकार ने समिति को किन्हीं विशेष बातों पर विचार करने को कहा है, जो उन्हें लाभदायक रहेंगी अथवा इस सम्बन्ध में कोई संकेत दिया है। अन्तरिम रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : अन्तरिम रिपोर्ट में अब तक एकत्र की गयी सामग्री और उससे उत्पन्न मुख्य बातों का समावेश करने का विचार है। इस रिपोर्ट में और कुछ देने का विचार नहीं है। समिति के प्रधान अब तक एकत्र किये गये अपर्याप्त आंकड़ों और सामग्री के आधार पर कोई सिफारिश नहीं करना चाहते।

चाय का निर्यात

†*८८३. श्री आसर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चाय उद्योग को विदेशी चाय की मंडियों में भारी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या भारतीय चाय बोर्ड ने भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिये लन्दन तथा अन्य महत्वपूर्ण नगरों में चायकेन्द्र खोले हैं; और

(घ) यदि हां, तो ये केन्द्र कहां-कहां खोले गये हैं और इसका क्या परिणाम निकला है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) (क) और (ख). चाय की विश्व-मार्केट में अनिवार्य रूप से बड़ी प्रतियोगिता है क्योंकि विश्व में चाय का उत्पादन लगभग लागत के बराबर ही है और कभी कभी बढ़ भी जाता है। हमारी अच्छी किस्म की चाय का स्थान सामान्यतः वैसा ही बना हुआ है। किन्तु साधारण प्रकार की चाय के सम्बन्ध में भारी प्रतियोगिता है क्योंकि इस चाय की मांग की तुलना में सप्लाई अधिक है ;

(ग) और (घ). चाय बोर्ड ने संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब रिपब्लिक में चाय को बढ़ावा देने वाले कार्यालय खोले हैं। ब्रिटेन और जर्मनी में जल्दी ही ऐसे कार्यालय खोले जा रहे हैं। कैरों में जल्दी ही एक चाय केन्द्र खोला जायगा।

†श्री आसर : क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय चाय को मुख्यतः किस देश से प्रतियोगिता करनी पड़ती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो : चाय का उत्पादन करने वाले अन्य सभी देशों से ।

†श्री आप्टर : क्या यह सच है कि विदेशों में चाय-घर खोल कर लंका की चाय को लोकप्रिय बनाया रहा है; और यदि हां तो क्या हमारा चाय बोर्ड विदेशों में चाय घर खोलने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ?

†श्री कानूनगो : जहां हम आवश्यक समझते हैं, चाय घर खोलते हैं । कैरों में हम एक केन्द्र खोल रहे हैं । किन्तु ये सारी बातें किसी खास देश और मंडी पर निर्भर होती हैं । कई स्थानों पर प्रचार के अन्य साधनों से अधिक सफलता मिल सकती है ।

†श्री च० का० भट्टाचार्य : विदेशी मंडियों में भारतीय चाय को विदेशी चाय से प्रतियोगिता करनी पड़ती है अथवा विदेशी काफी से ?

†श्री कानूनगो : दोनों से ।

†श्री साधन गुप्त: क्योंकि विदेशी मंडियों में बढ़िया चाय भजने से भारत को प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने की आशा है, इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि अच्छी किस्म की चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†श्री कानूनगो: भारत की बढ़िया चाय की स्थिति पर इस प्रतियोगिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । हमारे इच्छा तो साधारण प्रकार की चाय की खपत को बढ़ावा देने का है जिसको कि कड़ी प्रतियोगिता का सामना है । बढ़िया चाय के क्षेत्र में कोई खास प्रतियोगिता नहीं है ।

†श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि पूर्व अफ्रीका के चाय के उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए उद्योग से, हमार चाय के निर्यात-व्यापार को खतरा है, क्या मैं जान सकता हूं कि देश में चाय के उत्पादन को बढ़ाने और निर्यात में वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

†श्री कानूनगो : हम चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिये उपाय कर रहे हैं । किन्तु उर्वरकों के अभाव और अन्य कारणों से हमारे प्रयत्नों में बाधा पड़ जाती है । किन्तु हम निरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं ।

†श्री जयपाल सिंह : मेरा ख्याल है कि चाय के ऊपर ६ आने से लेकर ८ आने प्रति पौंड तक उत्पादन शुल्क लगता है । इस प्रकार जान बूझ कर इस प्रतियोगिता में भारतीय चाय के मार्ग में बाधा डाली जा रही है । क्या सरकार ने इस स्थिति पर विचार किया है ?

†श्री कानूनगो : चाय-व्यापारियों का कहना यही हैं । हम लगातार इस बात की जांच कर रहे हैं और उसके अनसार अपने आप ढाल रहे हैं ।

†श्री नारायण स्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि विदेशों में भारतीय व्यापार आयुक्त और वाणिज्यिक प्रतिनिधि विदेशी मंडियों में भारतीय चाय के बागों में, जो विश्व की सर्वोत्तम चाय है, यथोचित प्रचार करने और लोगों को उसके प्रति आकर्षित करने में पीछे क्यों हैं ?

†श्री कानूनगो: जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं हमारे बढ़िया चाय का कोई खास प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता । और जहां तक व्यापार-प्रतिनिधियों का सम्बध है, चाय का प्रचार करना उनका काम नहीं है । चाय व्यापार के संवर्धन का काम चाय बोर्ड को

†मूल अंग्रेजी में

सौंपा गया है । उनका काम तो आर्थिक और व्यापारिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट देना है, जिसमें चाय भी शामिल है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये सोवियत रूस से सहायता

†**अल्पसूचना प्रश्न संख्या ५. डा० राम सुभग सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सोवियत रूस से तृतीय पंच वर्षीय योजना के लिये सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर विचार किया गया है और इसे अन्तिम रूप दिया जा चुका है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). जी हां । मांगी गयी जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जैसा कि सभा को ज्ञात है सोवियत सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई में तीसरी पंच वर्षीय योजना की सहायता के लिये १५० करोड़ रूबल (१८० करोड़ रु०) देने का प्रस्ताव किया था और १२ सितम्बर, १९५९ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे । इस ऋण से वित्त-पोषित होने वाली परियोजनाओं के बारे में सोवियत सरकार के साथ १२ फरवरी, १९६० को एक अतिरिक्त समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे ।

२. अपनी अभी हाल की विदेश यात्रा के सम्बन्ध में ३ अगस्त, १९६० के अपने वक्तव्य में मैंने सोवियत सरकार के नेताओं से हुई अपनी बातचीत का उल्लेख किया था । जुलाई, १९६० में मास्को में हुई इस बातचीत के दौरान दौरान भारत की तीसरी पंच वर्षीय योजना के लिये सोवियत सरकार द्वारा और अधिक सहायता देने का प्रश्न उठा था ।

३. सोवियत सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है और तीसरी पंच वर्षीय योजना की क्रियान्विति के लिये भारत को ५० करोड़ रूबल (६० करोड़ रु०) ऋण देने की इच्छा प्रकट की है । भारत सरकार ने इस सहायता को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लिया है ।

४. इस ऋण को किस प्रकार और किन कामों के लिये प्रयोग किया जायेगा इस बात पर योजना आयोग के परामर्श से विचार किया जायेगा और सोवियत सरकार के प्रतिनिधियों से चर्चा की जायेगी ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि ऋण को उपयोग करने के ढंग के बारे में योजना आयोग और रूस सरकार के प्रतिनिधियों से चर्चा की जायेगी । क्या मैं जान सकता हूं कि जिस तरह दूसरी पंचवर्षीय योजना में ऋण का उपयोग किया गया था, क्या इस ऋण का उपयोग वैसे नहीं किया जायेगा अथवा उसी तरीके का अनुसरण किया जायेगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं पूरी तरह से समझ नहीं सका । इसका उपयोग तीसरी पंचवर्षीय योजना और उसके अन्तर्गत सारी परियोजनाओं के लिये होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सिंहासन सिंह : इस पर ब्याज किस दर से लिया जायेगा ?

†श्री मोरारजी देसाई : रूस सरकार ऋणों पर हमेशा जिस दर से ब्याज लेती है, उसी दर से। यह दर ढाई प्रतिशत है।

†श्री च० द० पांडे : इस बात को देखते हुए कि विश्व-मार्केट में, जहां तक विक्रय-शक्ति का सम्बन्ध है, रूबल का कोई निश्चित मूल्य नहीं है और सामान्यत: एक रूबल आठ आने के बराबर होता है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार रूबलों में दिये गये ऋण की गणना रुपयों में कैसे करती है ? माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि ५० करोड़ रूबल ६० करोड़ रुपये के बराबर हैं। किन्तु वास्तविकता यह है कि विश्व-मार्केट में, जहां तक क्रय-शक्ति का सम्बन्ध है, यह इतने रुपयों के बराबर नहीं।

†श्री मोरारजी देसाई : सरकारी रूप से १ रूबल १.२ रु० के बराबर होता है। किन्तु रूस में पर्यटन के लिये रूबल का सरकारी मूल्य ८ आने है।

†श्री च० द० पांडे : विश्व-मार्केट में क्रय-शक्ति की दृष्टि से ऐसा नहीं है। अन्ततोगत्वा हमें यह मालूम नहीं कि क्या हम ५० करोड़ रूबलों से ६० करोड़ रु० के मूल्य की वस्तुएं खरीद सकेंगे।

†श्री मोरारजी देसाई : इस बात का हम ध्यान रखते हैं। जब हम खरीद करते हैं तो विश्व में विद्यमान कीमतों का ध्यान रखते हैं।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : दूसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान सोवियत रूस से हमें जो १८० करोड़ रु० मिलना था, वह मिल चुका है। इसमें से कितना धन व्यय किया जा चुका है अथवा क्या इसे भी तीसरी योजना की सहायता में शामिल कर लिया गया है ?

†श्री मोरारजी देसाई तीसरी योजना तो अभी शुरू होनी है। अत: जब यह शुरू होगी तो इस धन का उपयोग किया जायेगा।

†अध्यक्ष महोदय : वह पिछली योजना के बारे में जानना चाहते हैं।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : हमें जो १८० रु० मिला था, उसमें से कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

†श्री मोरारजी देसाई : हमें जो ऋण पीछे दिया गया था, वह इस ऋण से भिन्न है। हमें कुल मिला कर १८० करोड़ और ६० करोड़ रु० ३८५.६ करोड़ मिले हैं।

†श्री विद्यावरण शुक्ल : क्या कोई ऐसी शर्त भी है कि इस ऋण का उपयोग केवल रूस से खरीद करने के लिये किया जा सकता है अथवा अन्य स्थानों से भी वस्तुएं खरीदी जा सकता हैं ?

†श्री मोरारजी देसाई : निश्चित ही हमें सोवियत रूस में ही खरीद करनी होगी।

†श्री साधन गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि सोवियत रूस के अपने दौरे के पश्चात् क्या वित्त मंत्री यह बता सकते हैं कि इस १८० करोड़ रु० और ६० करोड़ रु० के ऋणों के अलावा क्या हम अपनी तीसरी पंच वर्षीय योजना के लिये सोवियत रूस से और ऋण मिलने की आशा कर सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरी पिछली यात्रा के परिणामों के बारे में यही कहा जा सकता है।

केन्द्रीय कार्मिक संघों की सदस्यता

†**अतारांकित प्रश्न संख्या ६. श्री काशीनाथ पांडे** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३१ मार्च, १९५९ तक के केन्द्रीय कार्मिक संघों के सदस्यों के सम्बन्ध में जांच पड़ताल का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस (इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस) के सदस्य शेष तीनों केन्द्रीय मजदूर संघों के सदस्यों की इकट्ठी संख्या से भी अधिक है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां।

(ख)

संगठन का नाम	संघों की संख्या	३१-३-५९ को सदस्यों की संख्या
१. भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस (इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस)	८८५	१०,२०,६५३
२. अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस (आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस)	८१४	५,०७,६५४
३. हिन्द मजदूर सभा	१८५	२,४१,६३६
४. संयुक्त कार्मिक संघ कांग्रेस (यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस)	१७२	९०,६२९

(ग) जी, हां। क्योंकि अन्तिम तीनों केन्द्रीय संगठनों के सदस्यों की इकट्ठी संख्या ८,३९,९१९ है, जबकि अकेले भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ (इन्टक) के सदस्यों की संख्या १०,२०,६५३ है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस पड़ताल के परिणामस्वरूप १८ वें श्रम सम्मेलन में अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस को पहले से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, और यदि हां, तो कितना होगा ?

†**श्री आबिद अली** : यह लगभग वैसा ही होगा क्योंकि संदस्यता लगभग उतनी ही रही है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं जानना चाहता हूं कि पड़तालों के बाद अब कितना कितना प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उतना ही प्रतिनिधित्व दिया जायेगा क्योंकि सदस्यों की संख्या में अन्तर नहीं पड़ा है।

†**श्री आबिद अली** : पड़ताल करने पर भी यह देखा गया है कि संस्थाओं में कोई अधिक अन्तर नहीं पड़ा है। इसलिये उन्हें दिये जाने वाले प्रतिनिधित्व में भी कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि कुछ एक राज्यों में अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस की कुल सदस्य संख्या भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस की सदस्यता से अधिक है? वे कौन कौन से राज्य हैं और क्या दिल्ली और पश्चिमी बंगाल उनमें सम्मिलित है ?

†श्री आबिद अली : इस समय मेरे पास वे आंकड़े नहीं हैं।

†श्री स० मो० बनर्जी : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूँ। गत सत्र या उससे पहले सत्र में भी इसी प्रकार का अल्प सूचना प्रश्न पूछा गया था। जब भी यह अनुपूरक प्रश्न पूछा है कि क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में अखिल भारतीय कार्मिक संघ की सदस्य संख्या भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ की सदस्य संख्या से अधिक है, माननीय उपमंत्री यह कह देते हैं कि इसके लिये उन्हें पूर्व सूचना की आवश्यकता है। और इसका कारण यही प्रतीत होता है कि वे सभी सदस्यों को यह दृष्टि कोण देना होते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ की सदस्यता सब से अधिक है।

†श्री नाथ पाई : भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ की वृद्धि को देख कर खुशी तो बहुत होती है, परन्तु मैं यह समझ नहीं सका कि एक ऐसे प्रश्न को जिसे एक लिखित प्रश्न के रूप में स्वीकार करना चाहिए उसे अल्प सूचना प्रश्न के रूप में कैसे सम्मिलित किया गया है अतः यही प्रतीत होता है कि यहां पर वास्तविक उद्देश्य केवल जानकारी देना न हो कर यह जाहिर करना है कि एक संघ विशेष निरन्तर आगे बढ़ता जा रहा है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को ज्ञात् होना चाहिये कि अल्प सूचना प्रश्न कैसे स्वीकार किया जाता है। प्रश्न की सूचना मिलते ही उस की एक प्रति मंत्रालय को भेज दी जाती है, यदि माननीय मंत्री उसका उत्तर देना स्वीकार कर लेते हैं, तो वे उस का यहां पर उत्तर दे देते हैं। इसलिये माननीय सदस्यों को यह चाहिये कि वे माननीय मंत्री को मनाने का यत्न किया करें।

†श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री को अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देने के लिये तैयार रहना चाहिये।

†अध्यक्ष महोदय : जहां तक अनुपूरक प्रश्नों के अन्तर्गत ब्यौरे का सम्बन्ध है, उस के बारे में माननीय सदस्य अभी भी सूचना दे सकते हैं क्योंकि सत्र ९ तारीख तक चलेगा।

†श्री कालीनाथ पांडे : उस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ के सदस्यों की संख्या शेष तीनों संघों की इकट्ठी संख्या से भी अधिक है, क्या मंत्रालय विभिन्न केन्द्रीय संघों को दिये जाने वाले प्रतिनिधित्व में संशोधन करने और अखिल भारतीय कार्मिक संघ को सभी से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ?

†श्री आबिद अली : यह तो केवल एक सुझाव है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कर्मचारी राज्य बीमा निधि

†८७५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में ऐसे कितने मामले हुए हैं जिन में कि कारखानों के मालिकों ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ की धारा ४० के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निधि में अपना अंशदान नहीं दिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) १९०

(ख) आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, के १९४८ के अधीन कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।

राज्य व्यापार निगम

†*८८१. श्री पुन्नूस : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य व्यापार निगम के कार्य को चलाने के लिये पूरा समय काम करने वाले निदेशकों की, जिन पर अलग अलग कामों का उत्तरदायित्व हो, एक पदाली बानाने की सम्भाव्यता की जांच कर रही है; और

(ख) यदि हां, इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया गया है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (१९५९-६०) की ८६ वीं रिपोर्ट में की गयी एक सिफारिश के सम्बन्ध में इस समय विचार किया जा रहा है ।

सरकारी क्षेत्र में रोजगार

†*८८४. {
श्री प्र० गं० देब :
श्री दिनेश सिंह :
श्री पुन्नूस :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री रामजी वर्मा :
डा० क० ब० मेनन :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों उपक्रमों में रोजगार के बारे में कोई नई नीति बनाई गयी है;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या आधार है; और

(ग) जिस राज्य में वह कम्पनी उपक्रम स्थित हो, वहां के लोगों के लिये कितने प्रतिशत नौकरियां निर्धारित की गयी हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). नयी नीति नहीं निर्धारित की गयी है । सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अनुकरण की जा रही उन सामान्य हिदायतों का उल्लेख है जिन पर अमल किया जा रहा है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३१]

†मूल अंग्रेजी में

बांस के गूदे का कारखाना (केरल)

†*८८५. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामंत :
श्री मेहरचन्द नेगी : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में बांस के गूदे के कारखाने के लिये मशीनें हासिल करने के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है;

(ख) किस फर्म को लाइसेंस दिया गया है; और

(ग) संयंत्र स्थापित करने में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। मुख्य उपकरणों की खरीद के लिये आर्डर दे दिये गये हैं और उस की प्रथम किश्त अप्रैल, १९६१ तक यहां पहुंच जायेगी।

(ख) मेसर्स ग्वालियर रेयन सिल्क मैनुफैक्चिरिंग (वीविंग) कम्पनी, नागडा।

(ग) ३०५ लाख रुपये।

संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन का प्रतिनिधित्व

†*८८६. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के प्रतिनिधित्व के प्रश्न को संघ की महासभा के अगले अधिवेशन में पुनः उठाने का निश्चय किया है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : सरकार ने इस वर्ष इस सम्बन्ध में कोई पहल नहीं की है। फिर भी इस का यह मत है कि चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये।

ब्रिटेन की सेना के लिये गोरखे

†*८८७. श्री पद्म देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की सेना द्वारा भर्ती किये गये गोरखों को बैरकपुर में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है ; और

(ख) क्या यह सच है कि इस कार्य के लिये २६ मार्च, १९६० को ब्रिटेन के चार सैनिक पदाधिकारी "एंकर लाइन स्टीमर" द्वारा भारत पहुंचे थे।

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी, नहीं। बैरकपुर का कैम्प एक भारतीय कैम्प है जहां गोरखे विदेश जाते हुए या वहां से वापिस आते हुए अस्थायी रूप से ठहरते हैं।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य-उत्पादन उद्योग में यूगोस्लाविया का सहयोग

†*८८८. श्री वें० ईयाचरण : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया के टेक्निकल सहयोग से खाद्य-उत्पादन उद्योग, जैसे फलों और और मछली को डिब्बों में बन्द करना, स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये उद्योग सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ; और

(ग) तीसरी योजना की अवधि में ऐसे कितने कारखाने खोलने का विचार है ?

†उद्योग मंत्री (श्री भनुभाई शाह) : (क) से (ग). जी, हां । तृतीय पंचवर्षीय योजना में यूगोस्लाविया की सरकार के टेक्निकल सहयोग से भारत में दो उत्पादन-तथा-प्रशिक्षण 'प्रोटो-टाइप' केन्द्र स्थापित करने का विचार है—एक सब्जी और खाद्य प्रोसेसिंग और डिब्बे भरने के उद्योग के लिये और दूसरा चमड़ा प्रोसेसिंग और चमड़ा वस्तु उद्योग के लिये । इन दोनों के बारे ब्यौरे अभी तक तैयार नहीं किये गये हैं ।

तिब्बत से लद्दाखियों की वापसी

†*८८९. डा० राम सुभग सिंह :
श्री जं० व० सिं० बिष्ट :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मई, १९६० से तिब्बत से कितनी लाद्दाखी वापस लौटे हैं ;

(ख) तिब्बत में अभी तक और कितने लद्दाखी हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि उन्हें समय समय पर चीनी राष्ट्रीयता अपनाने के लिये धमकाया जा रहा है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के संसद-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) : (क) ७१ ।

(ख) तिब्बत में अभी तक शेष लद्दाखियों के सम्बन्ध में सरकार को निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हुआ है, परन्तु उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लगभग १२५ लद्दाखी अभी तक तिब्बत में हैं । इस के अतिरिक्त तिब्बत में लगभग ६०० काश्मीरी मुसलमान भी हैं जोकि अधिकांश लद्दाख से वहां गये थे ।

(ग) जहां तक हमें ज्ञात है, मुख्यतया काश्मीरी मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है ताकि वे भारतीय राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में अपने दावे को छोड़ दें ।

औद्योगिक बस्तियां

†*८९०. श्री जोशुवन्द्र : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और अथवा राज्य सरकारों ने देश के विभिन्न भागों में स्थापित विभिन्न औद्योगिक बस्तियों के कार्य का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो उस का केरल में स्थापित बस्तियों का विशेष उल्लेख करते हुए क्या परिणाम रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) उन वर्तमान बस्तियों में, जिन्हें आशानुसार सफलता नहीं मिली, सुधार करने के लिये और उन्हें पूर्णत: लाभदायक बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). सभी राज्यों में, जिन में केरल भी सम्मिलित है, औद्योगिक बस्तियों के विकास पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। योजना को पूरा करने के लिये सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रगति संतोषजनक है ।

वैस्ट पटेल नगर, दिल्ली में सरकारियों के क्वार्टरों की बिक्री

†*८९१ **श्री इन्द्रजीत लाल मलहोत्रा** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वैस्ट पटेल नगर, दिल्ली में सरकार द्वारा बनाये गये दुमंजिले क्वार्टरों के अलाटी उन क्वार्टरों को 'पगड़ी' के रूप में बड़ी बड़ी रकमें ले कर अनधिकृत ढंग से बेच रहे हैं और इस पुनर्वास के सारे काम पर पानी फेर रहे हैं ;

(ख) ऐसे कितने क्वार्टर, जिन की पूरी कीमत अभी सरकार को अदा नहीं की गई, दूसरे लोगों के हाथ में चले गये हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली हैं और यदि हां, तो कितनी ; और

(घ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी, नहीं। यदि किसी विशेष मामले की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाये तो उस बारे में जांच की जा सकती है ।

(ख) प्रतिकर नियमों के अनुसार जब तक कोई एलाटी किसी मकान की पूरी कीमत अदा नहीं कर देता, तब तक हस्तान्तरण करार के अनुसार वह केवल एक 'लाइसेन्स धारी' ही समझा जायेगा और उसे उस सम्पत्ति को बेचने, बन्ध रखने या उसे पूर्ण या आंशिक रूप से हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार नहीं है ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत सेवक समाज, हिमाचल प्रदेश

†*८९२. **श्री वासुदेवन् नायर** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें बिलासपुर जिला (हिमाचल प्रदेश) के भारत सेवक समाज द्वारा मंजूरी आदि अदा न किये जाने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) ये शिकायतें किस किस्म की हैं और कितनी रकम के बारे में हैं ; और

(ग) क्या इन शिकायतों के सम्बन्ध में उन्हों ने जांच सहित उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है और २४ मई, १९६० को राजनिवास, शिमला में भारत सेवक समाज के कार्यकर्ताओं की इक बैठक में इस बात की घोषणा भी की थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) (क) से (ग). बिलासपुर जिले में कुछ मजदूरों को मजूरी अदा न करने के सम्बन्ध में कुछ आरोप लगाये गये थे। परन्तु क्योंकि अपेक्षित ब्यौरे नहीं भेजे गये थे, इसलिये शिकायत करने वाले व्यक्ति के ब्यौरे मांगे गये थे परन्तु उस ने अपेक्षित ब्यौरे भेजे नहीं ।

योजना आयोग

†*८९३. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा विकास कार्यों से सम्बन्धित सभी सरकारी सचिवों और विभागीय अध्यक्षों को प्रतिवर्ष दिल्ली बुलाया जाता है ;

(ख) इन बैठकों का क्या उद्देश्य होता है और इन के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) १९५९-६० में इन के आने जाने पर कितना समय और धन व्यय हुआ ; और

(घ) क्या इन वार्षिक सम्मेलनों के अतिरिक्त मंत्रियों और पदाधिकारियों को वर्ष के दौरान कई बार यहां आना पड़ता है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) और (ख) प्रतिवर्ष सरकारी स्तर पर योजना आयोग, केन्द्रीय मंत्रालयों और विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों में वार्षिक योजनायें तैयार करने के लिए विचार विमर्श होता है। राज्य सरकारें इस के लिए आवश्यक पदाधिकारियों को भेजती हैं ;

(ग) नियमानुसार राज्यों के पदाधिकारी दिल्ली में केवल दो दिनों के लिए ही आते हैं। उन पर आने वाला खर्च सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा ही वहन किया जाता है ।

(घ) जी, नहीं ।

हांडी धुआ कोयला खान

†८९४. श्री विश्वनाथ पांडेय : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि उड़ीसा में तालचर नामक स्थान पर हांडी धुआ कोयला खान के वर्तमान प्रबन्धकों ने खान की भूमिगत छत, दिवारों और स्तम्भों को रेत की "स्टोइंग" किए बिना गैर-कानूनी ढंग से और बिना सोचे समझे गिरा दिया जिस से वह खान असुरक्षित हो गयी ;

(ख) यदि हां, तो उस कोयला खान में सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) खनन निरीक्षकों ने खान का अन्तिम बार निरीक्षण कब किया था ; और

(घ) यदि हां, तो खनन निरीक्षक ने क्या रिपोर्ट दी थी ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) २१ और २२ जून, १९६० को खान के निरीक्षण के दौरान खान निरीक्षणालय के एक पदाधिकारी ने देखा कि गैलरियों को स्वीकृत सीमा से अधिक चौड़ा कर दिया था और जिस क्षेत्र से स्तम्भ हटा दिये गये थे, उस क्षेत्र में उचित प्रकार की 'स्टोइंग' नहीं की गई थी ।

---

†मूल अंग्रेज में ।

(ख) भूमिगत कार्यों के लिये व्यक्तियों को भेजना मना कर दिया गया और स्तम्भ गिराने का कार्य भी निलम्बित कर दिया गया ।

(ग) ८ अगस्त, १९६० को ।

(घ) पानी से रक्षा के लिये बांध बना दिये गये थे, कोई भी स्तम्भ नहीं गिराया जा रहा था, हाल ही में कोई कोयला नहीं निकाला गया था, हॉलेज रोड ब्वायलर की राख से पैक थी और कोयले का चूरा कहीं भी जमा नहीं था । स्थायी स्तम्भ न लगाने के सम्बन्ध में नियमों में कुछ एक उल्लंघन पाये गये थे और उनके सम्बन्ध में प्रबन्धकों से बातचीत शुरू कर दी गयी थी ।

दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों का संघ

†*८९५. श्री दिनेश सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देशों का विचार दक्षिण-पूर्व एशिय के देशों का एक संघ बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के साथ भारत के व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या भारत को इस संगठन में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के प्रस्थापित संघ की सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में कुछ एक समाचार मिले हैं । परन्तु उसके उपबन्धों के सम्बन्ध में हमारे पास कोई ब्योरेवार जानकारी नहीं है । अतः इस समय इन देशों के साथ भारत के व्यापार पर पड़ने वाले असर का अनुमान लगाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

कत्वा थिवू द्वीप

†*८९६. श्री तंगामणि : क्या प्रधान मंत्री ९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कत्वा थिवू द्वीप भारत का अंग है अथवा लंका का ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : उस द्वीप के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में भारत और लंका में कुछ मतभेद हैं । इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

सम्बलेश्वरी मोटर ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड

†*८९७. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय विधि प्रशासन के ध्यान में यह बात आयी है कि 'सम्बलेश्वरी मोटर ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड' नामक एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी ने पिछले दस वर्षों से अपना हिसाब किताब प्रकाशित नहीं किया और इस अवधि में न ही कम्पनी की कोई सामान्य बैठक बुलायी गयी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) क्योंकि जिन मार्गों पर उस मोटर कम्पनी का परिवहन कार्य होता था, उसका १-१-५० से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और उसकी मोटर गाड़ियों को उड़ीसा सरकार द्वारा खरीद लिया गया था, इसलिये प्रबन्धकों को यह परामर्श दिया गया था कि वे स्वयमेव इस कम्पनी को समाप्त कर दें । परन्तु क्योंकि उस कम्पनी को समाप्त नहीं किया गया था, इसलिये समवाय अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिये समवाय रजिस्ट्रार से कह दिया गया है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†*८९८. श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री नागी रेड्डी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के कुछ कारखानादारों ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अपने अंशदान की अदायगी नहीं की;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम आदि क्या हैं;

(ग) जून, १९६० तक कितनी रकम की अदायगी नहीं हुई थी; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). गैर सरकारी क्षेत्र के ३४५ संस्थापनों से लगभग ५,२६,८५३ रुपये और सरकारी क्षेत्र के २९ संस्थापनों से ८८,५३८ रुपये लेने अभी शेष हैं ।

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ के अधीन आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही की गयी है ।

सरकारी विज्ञापन

*८९९. श्री भक्त दर्शन: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री ९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन देने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसाइटी और एडवर्टाईजिंग एजेन्सीज असोसियेशन आफ इंडिया के साथ जो करार हुआ है उसका साराश क्या है; और

(ख) उक्त करार को कार्यान्वित करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). इस समझौते का एक भाग विज्ञापन-दरों से सम्बन्धित है जोकि गुप्त रखी जाती हैं, इसलिये सरकार लोक-हित की दृष्टि से इसको प्रकट करना मुनासिब नहीं समझती । फिर भी मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जिन बातों पर विचार विनिमय हुआ उन में से एक विशेष बात विचाराधीन यह थी कि सरकार का विशेष स्थान देखते हुए सरकारी विज्ञापनों के लिए विशेष दर मान लिया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ब्रिटेन में दंडित भारतीय

†*९००. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन में भारतीय उच्च आयुक्त के कार्यालय के एक कर्मचारी को ब्रिटेन के एक न्यायालय द्वारा लन्दन ट्रांसपोर्ट एक्सीक्यूटिव को धोखा देने के आरोप में अपराधी ठहराया गया; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का लन्दन तथा अन्य स्थानों में स्थित हमारे राजदूतावासों के कर्मचारियों में अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†विदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयुक्त के कार्यालय में काम करने वाले एक क्लर्क को ९ अगस्त, १९६० को लन्दन परिवहन प्राधिकार को धोखा देने के आरोप में चार महीने की कैद की सजा दी गयी थी। उसे जमानत पर छुड़ा लिया गया है और उसने सजा के विरुद्ध अपील दायर कर दी है। मामला अभी कचहरी में है।

अनुशासन सम्बन्धी व्यापक नियमों के अतिरिक्त व्यक्तिगत सम्पर्क के द्वारा भी अनुशासन बनाये रखने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है।

दिल्ली में जनता होटल

†*९०१. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री १४ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जनता होटल के निर्माण के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या अन्य बड़े शहरों में भी ऐसे होटल बनाने का विचार है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) प्रस्थापित होटल के प्रारम्भिक प्राक्कलन तथा नक्शों का परीक्षण किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

अमरीका को निर्यात

†*९०२. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्रीमती मकीदा अहमद :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १६ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५४० के

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका को निर्यात किये जाने के योग्य अच्छी किस्म के समान का उत्पादन करने के लिये डिज़ायन बनाने वालों की एक तालिका बनाने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस परिणाम पर पहुंची है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). उस सुझाव पर विचार कर लिया गया है । क्योंकि न्यूयार्क में हथकरघा निर्यात संगठन का दफ्तर खोलने और अमरीका में भारतीय डिजाइनरों को प्रशिक्षण देने तथा विदेशी डिजाइन विशेषज्ञों को भारत आमंत्रित करने के प्रश्न पर अलग रूप से विचार किया जा रहा है, इसलिये डिजाइनरों का पेनल बनाने की योजना को स्थगित कर दिया गया है ।

तिब्बती शरणार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण

†*९०४. श्री दी० चं० शर्मा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने तिब्बती शरणार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिये कुछ प्रबन्ध करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका): (क) जी, हां ।

(ख) लगभग १०० तिब्बती शरणार्थियों को चुन गय है और उन्हें वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के लघु उद्योग विभाग द्वारा चलाये जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये भेज दिया गया है । उन्हें इन प्रशिक्षण केन्द्रों में हिन्दी, प्रारम्भिक गणित, भूगोल, तथा इतिहास की शिक्षा देने का भी प्रबन्ध कर दिया गया है ।

सरकारी उपक्रम

†*९०५. श्री मुरारका : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राक्कलन समिति द्वारा अपनी २०वीं और ६० वीं रिपोर्टों में की गयी सिफारिश पर विचार किया है कि समस्त सरकारी उपक्रमों के बजट-वर्ष के कार्य व कार्यक्रम का विवरण, पिछले वर्ष के विवरण सहित, वार्षिक बजट के पेश किये जाने के समय संसद् में पेश किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया गया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है ।

एन्टीबायोटिक्स का टेट्रासाइक्लीन ग्रुप

†*९०६. श्री परूलेकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अतुल प्राडक्ट्स एण्ड फिजर नामक कम्पनी को टेट्रासाइक्लीन ग्रुप की एन्टीबायोटिक्स औषधियां बनाने का लाइसेंस दिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि १९५९ मे हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स, पिम्परी ने देश की पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिये टेट्रासाइक्लीन बनाने की परियोजना पेश की थी; और

(ग) यदि हां, तो इन एन्टीबायोटिक्स औषधियों के उत्पादन के लिये हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स के प्रस्ताव को रद्द करने और अतुल प्राडक्ट्स एण्ड फिज़र को इन के उत्पादन का लाइसेंस देने के क्या कारण हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). लाइसेंस मेसर्ज लीडरले लेबरेटरीज़ लिमिटेड तथा मेसर्स ड्यूमेक्स प्राइवेट लिमिटेड को दिये गये हैं । मेसर्ज हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स को भी टेट्रासाइक्लीन के निर्माण के लिये लाइसेंस दिया गया है ।

छोटे पैमाने के उद्योग

†*९०७. श्री वें० ईयाचरण :
कुमारी मो० वेदकुमारी :
श्री बाल्मीकी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों व औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों का छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योगों के ज़रिए उद्योगीकरण करने के प्रश्न की जांच करने के लिये छोटे पैमाने के उद्योग बोर्ड द्वारा श्री ई० पी० मून की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिये क्या प्रमाप निश्चित किया गया है और क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिये ; और

(ग) विनियोजकों को पिछड़े हुए क्षेत्रों की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन और प्रलोभन देने के सम्बन्ध में क्या नीति है और क्या उपाय किये जायेंगे ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) समिति ने केवल अभी हाल में ही कार्य प्रारम्भ किया है । आशा है कि वह किसी क्षेत्र के पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिये स्टेण्डर्ड स्थापित करने और उन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के बारे में प्रेरणा देने के सम्बन्ध में अपनी सिफ़ारिशें देगी ।

नारियल जटा उद्योग का मशीनीकरण

†*९०८. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा उद्योग में मशीनों से काम लिये जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या स्वरूप है और इससे उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की आशा है ; और

(ग) उद्योग के किस क्षेत्र में मशीनें प्रचलित हो गई हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). नारियल जटा को कातने तथा बनने की प्रविधि में सुधार करने की गुंजाइश के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मोटर गाड़ियों के पुर्जों का निर्माण

†*९०९. श्री हरिश्चन्द्र सायर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोटर गाड़ियों के पुर्जे बनाने के लिये सहायक उद्योग के विकास के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ३२] ।

हावड़ा में प्रशिक्षित अध्यापक-प्रशासक

†*९१०. श्री तंगामणि: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी शिक्षा केन्द्र, हावड़ा में अध्यापक-प्रशासकों का शिक्षाक्रम पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने छात्रों ने योग्यता प्राप्त की ; और

(ग) क्या उन्हें विभिन्न राज्यों में बांट दिया गया है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ला० ना० मिश्र) : (क) शिक्षक-प्रशासक कार्य कर्मचारी शिक्षा केन्द्र, हावड़ा में नहीं, अपितु भारतीय कल्याण तथा व्यापार प्रबन्ध संस्था, कलकत्ते में दिया गया था । वह अप्रैल, १९६० में पूरा हुआ था ।

(ख) ४३ जिनमें १९ कार्मिक संघ के नाम-निर्देशित व्यक्ति थे ।

(ग) प्रशिक्षण के पूरा हो जाने पर कार्मिक संघ के १९ व्यक्ति अपने-अपने संघों को वापिस चले गये ताकि वे उन संघों को संगठित कर सकें और उन संघों के अन्तर्गत श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम चला सकें। शेष २४ व्यक्तियों को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड तथा विभिन्न प्रादेशिक केन्द्रों में नियुक्त कर दिया गया ।

टेलीविजन द्वारा शिक्षा

†*९११. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री ९ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा और संस्कृति के साधन के रूप में टेलीविजन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये यथोचित योजना बनाने का प्रश्न किस दशा में है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : ग्राम्य तथा नगरीय जनता पर विशेष रूप से शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में टेलीविजन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये बनायी गयी योजना विचाराधीन है । यह एक विशिष्ट प्रकार का अध्ययन है और इसके पूरा होने में कुछ समय लगेगा । परन्तु फिर भी इस समय किया गया मूल्यांकन अस्थायी ही होगा, क्योंकि पूर्णरुपेण टेलीविजन का कार्यक्रम देश में कहीं भी नहीं चल रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदन

†*६१२. श्री मुरारका : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संसद् में सरकारी उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदन पेश किये जाने के लिये, ब्रिटेन और अमरीका में प्रचलित पद्धति की भांति, कोई समय-सीमा निर्धारित करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). जी, हां । मैं माननीय सदस्य का ध्यान समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५९ के पुनरीक्षित सेक्शन ६३९(क) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । उस सेक्शन में एक उपबन्ध सम्मिलित कर दिया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार के लिये उस दृष्टि से तीन महीनों की अवधि निर्धारित हैं जिसमें सरकारी कम्पनियों के कार्यों के सम्बन्ध में वार्षिक रिपोर्ट संसद् के दोनों सदनों के सामने पेश कर दी जाया करे ।

ब्रिटेन में भारतीय आप्रवासी

†*६१३. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटेन में उन भारतीय आप्रवासियों की समस्या के बारे में जो अवश्य कार्य करते हैं, भारत सरकार के साथ कोई बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की बातचीत हुई है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग दो वर्ष पूर्व नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग ने भारतीय राष्ट्रजनों के ब्रिटेन में बढ़ते हुए आप्रवास के प्रश्न पर एक संभरण पेश किया था । उसमें यह बताया गया था कि इस आप्रवास का ब्रिटेन की राष्ट्रीय बीमा तथा स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर बुरा असर पड़ रहा है ।

संभरण में यह भी बताया गया है कि ब्रिटिश प्राधिकारी भारतीय लोगों के इंगलैण्ड में आने का स्वागत करेंगे । परन्तु वे अधिक संख्या में आने वाले उन अशिक्षित अप्रवीण मजदूरों के आगमन पर चिन्तित हैं जो कि अपने-आप को वहां आत्मक्षात नहीं कर सके ।

उसके उतर में भारत सरकार ने यह कहा है कि वह इंगलैण्ड जाने के इच्छुक व्यक्तियों को पारपत्र जारी करने में सदा ही कठोर रही है और वह अनियमित पारपत्रों पर अवैध रूप से जाने वाले व्यक्तियों की रोकथाम के लिये सभी प्रकार के आवश्यक उपाय करता रहा है । और वास्तव में उनके बाद स्थिति नियन्त्रण में है और उसके उपरान्त ब्रिटिश सरकार से इस बारे में बातचीत करने का कोई अवसर नहीं आया है ।

कर्मचारियों के शिक्षा केन्द्र

†*६१४. श्री तंगामणि: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्यापक-प्रशासकों के प्रशिक्षण के लिये बम्बई और कलकत्ते के ढंग पर कर्मचारियों की शिक्षा के और अधिक केन्द्र स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वे कहां-कहां पर और संभवतः कब खोले जायेंगे ; और

(ग) इन केन्द्रों में कितने छात्रों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†श्रम और रोजगार उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :(क) से (ग). आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक बम्बई में ४० अध्यापक प्रशासकों का तीसरा कोर्स प्रारम्भ हो जायेगा।

आकाशवाणी किसान मंडल

†१७०८. श्री पांगरकर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो से कृषि सम्बन्धी प्रसारण की योजना प्रारम्भ होने के बाद महाराष्ट्र राज्य में सामुदायिक विकास खण्डों में कितने आकाशवाणी किसान मंडल बनाये गये हैं ; और

(ख) महाराष्ट्र मे आकाशावणी के केन्द्रों को उपरोक्त प्रत्येक आकाशवाणी किसान मंडल से कितने सवाल स्पष्टीकरण के लिये प्राप्त हुए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) ३१ जुलाई, १९६० तक १३० ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ३३]।

तिब्बती शरणार्थी

†१७०९. श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री अजित सिंह:
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री १७ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बती शरणार्थियों को पूर्वोत्तर सीमांत एजेन्सी के मालूचपुंग में बसाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उस क्षेत्र के विकास पर कितनी राशि खर्च की गयी है ; और

(ग) वह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) मालूचपुंग में तिब्बती शरणार्थियों के लिये चुनी गयी भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण करने पर यह ज्ञात हुआ है कि वह भूमि केवल ५०० शरणार्थियों के लिये कृषि कार्य के योग्य है। उस सर्वेक्षण के प्रकाश में योजना को पुनः तैयार किया गया है और जंगल काटने तथा सड़कें और भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। तब तक के लिये उन शरणार्थियों को मालूचपुंग में लगाये गये मार्गस्थ कैम्प में भेज दिया गया है।

(ख) इस परियोजना पर किये गये खर्च के बारे में इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) इस वर्ष वहां पर अधिक वर्षा होने के कारण काम में कुछ रुकावट पड़ गयी है, परन्तु आशा है कि १९६२-६३ में कार्य पूरा हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

बांस का कागज

†१७१०. श्री प्र० के० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अनुसंधान संस्था ने बांस से कागज (क्राफ्ट पेपर) तैयार करने के सम्बन्ध में सफलतापूर्वक अनुसन्धान कार्य किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कागज मिलें कहां-कहां हैं जो बांस से 'क्राफ्ट पेपर' तैयार कर रही हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) बिहार, केरल, मैसूर और उड़ीसा में ।

मोटर कारों का निर्माण

†१७११. श्री सरजू पांडेय : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५९ से १ जनवरी, १९६० की अवधि के बीच हमारे देश में कुल कितनी मोटर कारों का निर्माण हुआ;

(ख) इनमें से कितनी कारें देश में बेची गईं; और

(ग) इस अवधि में कितनी कारों (सी० के० डी० पैक) का आयात किया गया ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) ९६६२ टन ।

(ख) ९४९८ ।

(ग) ४८७५ ।

नीरा से चीनी का उत्पादन

†१७१२. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में सरकार ने नीरा से सफेद चीनी बनाने के लिये कुछ केन्द्र स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन के नाम और प्रत्येक का वार्षिक उत्पादन तथा कुल व्यय कितना है; और

(ग) क्या देश में अन्य भागों में ऐसे केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रयोगात्मक आधार पर कृष्णा जिले में नुजविद और गुंटूर जिले में रेब ल में खजूर गुड़ के दो संयंत्र लगाने का फैसला किया है । जब संयंत्र कार्य करना आरम्भ कर देंगे उसके पश्चात् प्रत्येक संयंत्र का उत्पादन और होने वाले व्यय का पता लगेगा ।

(ग) जी, नहीं ।

न्यूयार्क में विश्व व्यापार मेला

†१७१३. श्री न० म० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मई १९६० में न्यूयार्क में जो विश्व व्यापार मेला हुआ था, उसमें भारतीय माल का प्रदर्शन किया गया था ?

---

†पूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : जी, हां। भारत ने मेले में भाग लिया और किस माल की अमेरिका में खपत हो सकती है उनका प्रदर्शन किया। चार्टों, मानचित्रों और चित्रों के द्वारा भारत के सांस्कृतिक एवं औद्योगिक विकास का प्रदर्शन करने का भी प्रयत्न किया गया।

अभ्रक उद्योग

†१७१४. श्री न० म० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की भारत में अभ्रक उद्योग के विस्तार के लिये कोई योजना है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गई है। अभ्रक का उपयोग बिजली उद्योग के लिये इंस्यूलेटिंग सामग्री बनाने और भट्टियों के लिये इन्स्यूलेटिंग ईंटें बनाने में किया जाता है। इस के अतिरिक्त गीले अभ्रक का उपयोग रंग, रबड़ आदि बनाने के लिये भी किया जा सकता है। बिहार की एक फर्म मिकेनाइट बना रही है और दूसरी इकाई इंस्यूलेटिंग ईंटें बना रही है। अभ्रक इंस्यूलेटिंग ईंटें तैयार करने के लिये एक और इकाई को लाइसेंस दिया गया है। गीला अभ्रक बनाने की एक योजना को भी अनुमोदित किया गया है।

नेताओं के भाषणों का रिकार्ड

†१७१५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री ४ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७२५ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रसिद्ध नेताओं के भाषणों के रिकार्ड भरने के बारे में आद्यतन स्थिति क्या है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): प्रसिद्ध नेताओं के भाषणों के रिकार्ड भरने की अग्रेतर प्रगति नीचे दी जाती है :—

व्यक्तियों के नाम जिनके भाषणों का अग्रेतर 'प्रोसेसिंग' किया गया है	१-२-६० से १५-८-६० तक तैयार किये गये रिकार्डों की अग्रेतर समय
महात्मा गांधी . . .	२½ घण्टे
श्रीमती सरोजिनी नायडू . .	१५ मिनट

घड़ियों का आयात

†१७१६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में कितने दीवार-घड़ियों के आयात के लिये परमिट जारी किये ; और

(ख) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). अप्रैल, १९५९—मार्च १९६० की अवधि के बीच, आई० टी० सी० अनुसूची के एस० संख्या ३०८(क)/४ के अन्तर्गत आने वाले घण्टों के आयात के लिये, २३,००० रुपये के मूल्य के ११ लाइसेंस जारी किये गये।

दिल्ली में उद्योग

†१७१७. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योगों के विकास के लिये १९५९ में दिल्ली प्रशासन ने ऋण और अर्थ सहायता के रूप में विभिन्न उद्योगों को कितनी राशि दी और उन उद्योगों के नाम क्या हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : अपेक्षित जानकारी वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	उद्योग का नाम	१९५९–६० में दिये गये ऋण की राशि
१.	फुटकर कपड़े	५४,५५०
२.	लकड़ी और लकड़ी का सामान	९,०५०
३.	चमड़ा और चमड़े का सामान	७९,८५०
४.	रबड़, पेट्रोलियम और कोयला सामान	२०,१००
५.	पेट्रोलियम और कोक के इलावा गैर मैटलिक खनिज	२७,५००
६.	रसायन और रसायन उत्पाद	३६,७५०
७.	मूल धातु और उनके उत्पाद	२२,०००
८.	परिवहन तथा बिजली उपकरण के अतिरिक्त मशीनरी	१८४,५५०
९.	परिवहन उपकरण	४४,०००
१०.	फुटकर निर्माण उद्योग	१००,८५०

दिल्ली प्रशासन ने १९५९–६० में उद्योगों को सहायतानुदान के रूप में कोई अर्थ-सहायता मंजूर नहीं की।

दिल्ली की दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में रेडियो वार्ता

†१७१८. श्री दो चं० शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में अब तक आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से दिल्ली की दूसरी पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी कितनी वार्ताएं प्रसारित हुई हैं; और

(ख) इनमें से कितनी वार्ताएं ग्राम्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रसारित हुई हैं ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). पांच वार्ताओं समेत २३ कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से दिल्ली की दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में १९६० में प्रसारित हो चुके हैं। उनमें से चार वार्ताओं को मिला आठ कार्यक्रम ग्राम्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रसारित किये गये हैं।

वियना में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

†१७१९. श्री न० म० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर १९६० में वियना में जो अन्तर्राष्ट्रीय शरद व्यापार मेला होगा क्या उसमें भाग लेने का सरकार ने फैसला कर लिया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : जी, हां।

डीज़ल इंजनों का निर्माण

†१७२०. श्री न० म० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च गति डीज़ल इंजनों का निर्माण कहां और कब होगा; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ऐसे इंजन की अनुमानित लागत क्या होगी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) विभिन्न मेकों और आकारों के उच्च गति डीजल इंजन देश में पहले ही बनाये जा रहे हैं।

(ख) इंजन के प्रकार और आकार के अनुसार मूल्य में अन्तर होता है।

दिल्ली में सिविल निर्माण कार्य

†१७२१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सामान्य पुंज में सिविल निर्माण कार्यों के लिये १९५९–६० में केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि मंजूर की है; और

(ख) १९६०–६१ में कितनी राशि खर्च हुई है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) १९५९–६० में सामान्य पुंज में निर्माण कार्यों के लिये '७८—दिल्ली पूंजी व्यय" शीर्ष के अन्तर्गत तथा '५०—सिविल निर्माण कार्य—केन्द्रीय' के शीर्ष के अन्तर्गत अन्य सब कामों के लिये मंजूर राशि ४,५७,००,९४० रुपये थी। (इन कामों में नये काम और चल रहे काम दोनों सम्मिलित थे)।

(ख) १९६०–६१ में ऐसे कामों तथा वर्ष में अनुमोदित कामों पर ४,९७,७२,००० रुपये व्यय होने की आशा है।

आकाशवाणी किसान मंडल

†१७२२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में आकाशवाणी के केन्द्रों को प्रत्येक आकाशवाणी किसान मंडल से कितने सवाल प्राप्त हुए हैं?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : सूचना दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ३४]।

गुरदासपुर जिले का औद्योगिक सर्वेक्षण

†१७२३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरदासपुर जिले का औद्योगिक सर्वेक्षण करने के लिये नियुक्त औद्योगिक सर्वेक्षण दल ने अपना सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ; और

(ग) क्या उस की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). पंजाब सरकार ने १९५५ में गुरदासपुर जिले का औद्योगिक सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण संबंधी १९५७ में तैयार हुआ था और १९५९ में प्रकाशित हुआ था। भारत सरकार के अल्पस्तर उद्योग संगठन ने गुरदासपुर जिले के बटाला अग्रिम परियोजना क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था। इस प्रतिवेदन की प्रतियां राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई के लिये भेज दी गई हैं, और संसद् पुस्तकालय में भी रखी गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में दूसरी पंचवर्षीय योजना का व्यय

†१७२४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गई थी ; और

(ख) इस आवंटन में से कितनी राशि १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९ और १९५९-६० में वर्षवार प्रयोग में लाई गई है और १९६०-६१ के लिये प्रत्याशित व्यय क्या होगा ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) १६.९७ करोड़ रुपये ।

(ख) सूचना अभी दिल्ली प्रशासन से प्राप्त नहीं हुई और प्राप्त होते ही दे दी जायगी ।

दिल्ली का औद्योगिक विकास

†१७२५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १९६०-६१ में औद्योगिक विभाग के लिये दिल्ली को आवंटित की गई राशि बताने की कृपा करेंग ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : ३१.७५ लाख रुपये ।

आवास योजनाएं

†१७२६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में आवास योजनाओं के लिये दिल्ली को कितनी राशि आवंटित करने का विचार है ; और

(ख) इस में से कितनी राशि औद्योगिक आवास योजनाओं तथा अल्प आय वर्ग आवास योजनाओं के लिये होगी ?

†निर्माण, आवास तथा संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटित राशि (लाख रुपयों में)
१	सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	१५.००
२	कम आय वर्ग आवास योजना	४०.००
३	ग्राम आवास परियोजना योजना	२.००
४	मध्य आय वर्ग आय योजना	४५.००
५	भूमि अधिग्रहण एवं विकास योजना	९.००
६	गन्दी बस्तियों की सफाई योजना	१५०.००
	कुल जोड़	२६१.००

†मूल अंग्रेजी में

रोजगार दफ्तरों में पंजीबद्ध स्नातक

†१७२७. श्री वी० चं० शर्मा : क्या श्रम तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३० जून, १९६० को भारत के विभिन्न रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में पंजीबद्ध कितने स्नातक बेकार हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आविद अली) : ४०,७२९ ।

पंजाब में कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योग

†१७२८. श्री वी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार की सहायता से कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों की कितनी योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं ; और

(ख) इस दिशा में अभी तक कितनी प्रगति की गई है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

उड़ीसा का औद्योगिक विकास

†१७२९. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २५ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ और १९५९-६० में उड़ीसा राज्य को भारत सरकार ने जो १.९८ करोड़ रुपये का अनुदान दिया था उस से किन उद्योगों का विकास किया गया था ;

(ख) क्या १९६०-६१ में इस कार्य के लिये कोई अनुदान दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) राज्य को १९५६—५९ में १.९८ करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया था । यह निम्न उद्योगों के विकास के लिये था :—

१. खादी (परम्परागत और अम्बर)

२. ग्राम उद्योग

३. छोटे पैमाने के उद्योग (जिन में औद्योगिक सम्पदायें सम्मिलित हैं)

४. रेशम के कीड़े पालने का उद्योग

५. दस्तकारी उद्योग

६. हथकरघा (विद्युत् करघा उद्योग सम्मिलित है)

७. नारियल जटा उद्योग

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार ने १९६०-६१ के लिये उड़ीसा राज्य के लिये इस काम के हेतु १२५.३१ लाख रुपये की राशि मंजूर की है—(३९.६५ लाख रुपये अनुदान के रूप में और ८५.६६ लाख रुपये ऋण के रूप में)।

गोआ और बम्बई के बीच स्टीमर सेवा

†१७३०. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री १२ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ और बम्बई के बीच स्टीमर सेवा चालू करने के बारे में आधुनिकतम स्थिति क्या है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

जूतों का निर्यात

†१७३१. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १२ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय अल्प उद्योग निगम और राजकीय व्यापार निगम ने फालतू जूतों को बेचने के लिये अन्य ग्राहक खोजने के लिये जो कार्यवाही की थी उस का क्या परिणाम निकला है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : तैरते फिरते मेले में अदन में खेप आधार पर १८५ जोड़े फालतू जूते बेचे गय हैं । राजकीय व्यापार निगम स्थानीय मंडी के शेष जूतों की बेचने के लिये प्रयत्न कर रहा है ।

दिल्ली में उद्योगों के लिये अनुसंधान केन्द्र

†१७३२. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १६ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में मिट्टी के बर्तन, फाउंडरी और फल रक्षण उद्योगों के लिये अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : अग्रेतर विचार करने पर दिल्ली प्रशासन ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण

†१७३३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री आसर :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री नेकराम नेगी :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा भारत के कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये स्थापित किये गये कार्य कारी वर्ग ने अपना काम पूरा कर लिया है ;

(ख) क्या इस ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) कार्यकारी वर्ग का प्रतिवेदन शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

खनिज तेल उद्योग के लिये मशीनरी

†१७३४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रूसी सहायता से खनिज तेल उद्योग के लिये मशीनरी निर्माण करने के लिये फैक्टरी स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : २५ मार्च, १९६० को अतारांकित प्रश्न संख्या १४६२ के दिये गये उत्तर के पश्चात, दुर्गापुर में कोयला खनन मशीनरी संयंत्र की क्षमता को ३०,००० टन से ४५,००० टन मशीनरी चीजें प्रति वर्ष बढ़ाने का फैसला किया गया है । इस विस्तार कार्यक्रम में २५ टन हल्के ड्रिलिंग रिग वार्षिक का निर्माण सम्मिलित होगा और यह २५ मार्च, १९६० को दिये गये उत्तर में उल्लिखित ५५०० टन भारी तेल ड्रिलिंग रिगों के अतिरिक्त होगा । मैसर्स प्रौमश ऐक्सपोर्ट, मास्को को भारी मशीन निर्माण संयंत्र के लिये (४५००० टन) और कोयला खनन उद्योग संयंत्र के लिये ३०,००० टन मशीनरी तथा उपकरणों के आयात के लिये आर्डर दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा सरकार के कार्मचारियों को मकान बनाने के लिये ऋण

†१७३५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार को दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के लिये कोई ऋण सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गई है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने मकान बनाये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) जी, हां ।

(ख) १७.८५ लाख रुपये ।

(ग) राज्य सरकार ने ३० जून, १९६० तक ४२० मकानों के निर्माण की मंजूरी दी है, जिस में से उस तिथि तक ३७० मकान बन रहे थे ।

दिल्ली में निर्माण-कार्य

१७३६. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की १९५९–६० की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ १६ (पैरा २.१४) के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित निर्माण-कार्य आरम्भ किये जा चुके हैं :—

(१) दिल्ली पोलीटैक्नीक की इमारतें;

(२) नजफगढ़ झील नाली को चौड़ा करना;

(३) अरब की सराय की औद्योगिक बस्ती में वर्कशाप और औद्योगिक खंड; और

(ख) यदि नहीं, तो ये संभवत: कब तक आरम्भ किये जायेंगे ?

निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) :—(१) नहीं ।

(२) नहीं ।

(३) वर्कशाप का निर्माण हो रहा है, पर दूसरी इमारत अभी शुरू नहीं की गई ।

(ख) दिल्ली पोलीटैक्नीक के इंजीनियरिंग तथा वाणिज्य (कामर्स) ब्लाकों का निर्माण क्रमश: सितम्बर और दिसम्बर, १९६० में प्रारम्भ होने की सम्भावना है । आशा है कि नजफगढ़ झील नाली को चौड़ा करने का काम सितम्बर १९६० में शुरू हो जायगा । अरब की सराय में प्रशासन ब्लाक का (औद्योगिक ब्लाक का नहीं) निर्माण भी सितम्बर, १९६० में शुरू होने की आशा है ।

दिल्ली में मुद्रणालय

१७३७. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फैक्टरीज एक्ट, १९४८ के अन्तर्गत इस समय दिल्ली में कितने मुद्रणालय पंजीकृत हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन में से कितने १९५९-६० में पंजीकृत हुए हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) १२१ ।

(ख) ७ ।

हिमाचल प्रदेश में बन्दूकें बनाना

१७३८. श्री पद्म देव : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंडी (हिमाचल प्रदेश) में बन्दूकें बनाने के कितने केन्द्र हैं;

(ख) बन्दूकें बनाने के लिए निर्धारित कोटे में से १९५९-६० में उन्हें कितना लोहा दिया गया ;

(ग) इस वर्ष इन कारखानों में कितनी बन्दूकें तैयार की गयीं और वे किस प्रकार और कहां बेची गयीं; और

(घ) क्या सरकार ने इस वर्ष उन्हें कोई अनुदान दिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तीन ।

(ख) ३१ टन ।

(ग) १९५९-६० में इन केन्द्रों में १,४२१ बन्दूकें बनाई गईं । इन में से ११ हिमाचल प्रदेश में और बाकी देश के दूसरे राज्यों में बेची गईं ।

(घ) जी, नहीं ।

पांगी में ऊनी कपड़े का उद्योग

१७३९. श्री पद्म देव : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांगी (ज़िला चम्बा, हिमाचल प्रदेश) में ऊनी कपड़े के उद्योग के विकास के लिये किस प्रकार की योजनाओं पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) प्रस्तावित योजनाओं में से कौन-कौन सी कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ग) क्या इस बात का पता लगाया गया है कि वर्तमान उद्योग में कौन-कौन से सुधार करने की ज़रूरत है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) किलार (पांगी क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश में एक बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र खोला जा चुका है । इसके अलावा "केन्द्रीय वस्त्र संगठन" योजना के अन्तर्गत विकेन्द्रीकरण के आधार पर कातने वालों और बुनकरों को ऊन और सूत देने की भी व्यवस्था की गई है जिसके लिये उन्हें मजदूरी दी जाती है ।

(ख) उपर्युक्त (क) में बताई गई दोनों योजनायें राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं ।

(ग) जी हां । ज्ञात हुआ है कि यह उद्योग जो चीज़ें तैयार कर रहा है उनकी डिज़ाइनों और निर्माण प्रणालियों में सुधार करने की आवश्यकता है । इसके लिये डिजाइन प्रदर्शन केन्द्र, मण्डी द्वारा जो अभी हाल ही में खोला गया है, हथ करघे के सामान के उन्नत डिज़ाइन प्रदान किये जाने की कार्रवाई की जा रही है ।

---

†रूस अंग्रेजी में

राज्य व्यापार निगम

†१७४०. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राप्त अनुभव की दृष्टि से राजकीय व्यापार निगम को सौंपे जाने वाले कामों के बारे में कोई नवीन व्यापार नीति अपनाई गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : जिस समय राजकीय व्यापार निगम के सम्बन्ध में १९५९–६० के बारे में प्राक्कलन समिति के ८६वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर विचार किया जायेगा उस समय सम्बद्ध प्राधिकारियों के परामर्श से इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

भारतीय इलायची का निर्यात

†१७४१. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५९–६० में १९५८–५९ की तुलना में भारतीय इलायची के कुल निर्यात में कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) और (ख). १९५८–५९ और १९५९–६० में भारतीय इलायची का निर्यात इस प्रकार था :

	मात्रा	मूल्य
१९५८–५९ .	३४,८९६ हंडरवेट	३५९ लाख रुपये
१९५९–६० .	३४,२४५ हंडरवेट	३३३ लाख रुपये

१९५८–५९ में इलायची का निर्यात कई वर्षों में सर्वाधिक था, और पिछले तीन वर्षों में औसत आय लगभग २३० लाख रुपये थी । विदेश व्यापार में थोड़ी कमी बेशी सदा होती रहती है ।

(ग) इलायची का निर्यात बढ़ाने के लिये निम्न कार्यवाही की गई है :—

(१) इलायचियों समेत मसाले, समय समय पर किये गये विभिन्न व्यापार करारों में भारत से संभरण के लिये उपलब्ध वस्तुओं की अनुसूची में सम्मिलित हैं ।

(२) भारत से आयात की जाने वाली इलायची के गुण प्रकार के बारे में आयातकों में अधिक विश्वास पैदा करने के लिये एक स्वैच्छिक गुण प्रकार नियंत्रण योजना जारी की गयी है ।

(३) भारत के कुछ प्रमुख इलायची निर्यातकों की एक पंजीबद्ध निर्यातक संथा, इलायची उद्योग और व्यापार की संगठन सम्बन्धी शक्ति देने के लिये, मद्रास में स्थापित की गई है । इसके अतिरिक्त, इलायची समेत सब मसालों के लिए एक निर्यात-वर्धन परिषद भी बनाई गई है ।

---

†तूल अंग्रेजी में

सामुदायिक सेवा कर्मचारियों के लिये मकान

१७४२. श्री नवल प्रभाकर : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के विभिन्न भागों में सामुदायिक सेवा कर्मचारियों के लिये मकान बनाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुहल्लों में;

(ग) प्रत्येक मुहल्ले में कितने कर्मचारियों को बसाया जायेगा;

(घ) किस प्रकार के मकान बनाये जायेंगे;

(ङ) कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(च) ये मकान किस तरीके से दिये जायेंगे ?

निर्माण, आवास और सम्भरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) से (च) तक. सामुदायिक सेवा कर्मचारियों के लिए इस समय कोई मकान नहीं बन रहे । साथ में एक विवरण **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३५]** लगा है, जिसमें दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में दिल्ली विकास अधिकारी (दिल्ली डैवेलपमेंट अथौरिटी) दिल्ली नगर निगम द्वारा "गन्दी बस्ती सुधार योजना" के अन्तर्गत अब तक बनाये गये २६४ मकानों का ब्यौरा दिया गया है । ये मकान उन दर्जियों, चमारों, नाइयों आदि को, जिन्होंने सरकारी बस्तियों में या सरकारी बस्तियों के पास की भूमि पर अनधिकृत रूप से अपनी झोंपड़ियां बना ली हैं, या उन पात्र व्यक्तियों को, जो समाप्त की जाने वाली गन्दी बस्तियों में रहते हैं, देने के इरादे से बनाये गये हैं।

पूर्व पाकिस्तान से लोगों का आगमन

†**१७४३. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व पाकिस्तान से असम में लोगों का आगमन बढ़ रहा है; और

(ख) १९६० में अब तक कितने लोग आ चुके ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां, १९५१ के आंकड़ों की तुलना में ।

(ख) जून, १९६० के अन्त तक ३५६ ।

एमरी स्टोन बनाने वाली कम्पनी

१७४४. **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री र० चं० व्यास :
श्री दीनबन्धु परमार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने एमरी स्टोन बनाने वाली कम्पनी को ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना और क्या वह राशि वसूल कर ली गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एमरी स्टोन

१७४५. { **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री र० चं० व्यास :
श्री दीनबन्धु परमार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि एमरी ग्राइंड स्टोन पर २० रुपये से अधिक लागत नहीं आती परन्तु खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग उसे ३० रुपय में बेचता है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने ये चक्कियां नहीं बेची हैं। यह तो इन चक्कियों की बिक्री पर आर्थिक सहायता दे रहा था जो नवम्बर, १९५८ से बन्द कर दी गई हैं। इन पत्थरों तथा उस के लिये अन्य आवश्यक सामान की ही कीमत रु० २०.५९ नय पैसे पड़ती थी। मजदूरी, पैकिंग, माल भेजने तथा दूसरे प्रासंगिक खर्चों को देखते हुए इनका विक्रय मूल्य ३० रुपये प्रति चक्की निश्चित किया गया था।

दिल्ली में आकाशवाणी का आडिटोरियम

†१७४६. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २० अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में आकाशवाणी का आडीटोरियम बनाने के बारे में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : आडीटोरियम बनाने का काम संतोषजनक रूप में हो रहा है।

बैंकाक में भारतीय कपड़े की प्रदर्शिनी

†१७४७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाईलैंड के आर्थिक कार्य मंत्री ने जून के पहले सप्ताह में बैंकाक में भारतीय कपड़े की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या थाई जनता भारतीय वस्त्रों को पसन्द करती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां, ४ जून, १९६० को।

(ख) थाई जनता भारतीय वस्त्रों का टिकाउपन और उन के पक्के रंग पसन्द करती है। उनके नमूने और पैकिंग में सुधार की गुंजाइश है।

पंजाब में नये औद्योगिक एकक

†१७४८. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में पंजाब में कौन कौन से नये औद्योगिक एकक खोले गये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उसके लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की थी ;

(ग) वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(घ) १९६० में कौन कौन से नये औद्योगिक एकक खोले जायेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) से (घ). आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३६]**

कांगड़ा में सहकारी चाय कारखाना

†**१७४९. श्री हेमराज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १७ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २३९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा जिले में सहकारी चाय कारखाना स्थापित करने की अंतिम योजना सरकार को वापस मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो उस की क्या लागत है और वह कब स्थापित की जायेगी; और

(ग) उस में चाय बोर्ड का क्या अंशदान होगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (ग). एक चाय कारखाना स्थापित करने और चलाने के लिये पंजाब सरकार अब भी स्वतः उत्पादकों की एक सहकारी संस्था संगठित कर रही है। सहकारी संस्था बनाये जाने और उस के पंजीयन, तथा एक औपचारिक योजना प्राप्त होने के बाद ही चाय बोर्ड के अंशदान का प्रश्न उत्पन्न होगा। किन्तु सिद्धान्त के तौर पर, इस प्रकार की संस्था की सहायता करने का निश्चय किया जा चुका है।

सौर उद्भेदन[1] का रेडियो ट्रांसमीशन पर प्रभाव

†**१७५०. श्री प्र० के० देव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौर उद्भेदन से जून, १९६० के पहले सप्ताह में शार्ट वेव ट्रांसमिशन (प्रेषण) पर असर पड़ा था; और

(ख) क्या इस उद्भेदन के फलस्वरूप संपूर्ण देश में रेडियो 'फेड आउट' हो गया था ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) जी हां। १ जून, १९६० को संभवतः सौर उद्भेदन के कारण ट्रांसमिशन पर असर पड़ा था।

(ख) उस दिन सभी आकाशवाणी केन्द्रों ने करीब २० मिनट तक पूरी तरह से रेडियो फेड आउट होने का समाचार दिया था। उस के फलस्वरूप शार्टवेव कार्यक्रमों का ट्रांसमिशन नहीं हो सका ।

तिब्बती शरणार्थी औरतें

†**१७५१. श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी सेनाओं के साथ सीमावर्ती झगड़ों के कारण सिक्किम से हो कर आने वाले शरणार्थियों, अधिकतर औरतों की संख्या जून, १९६० में बढ़ गयी थी;

(ख) यदि हां, तो उन शरणार्थी औरतों की संख्या कितनी है; और

(ग) उन्हें बसाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Solar eruptions.

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जून, १९६० में ४३२ तिब्बती शरणार्थी सिक्किम में आये। यह ठीक है कि पिछले पांच महीनों में किसी भी महीने की अपेक्षा जून के महीने में अधिक शरणार्थी सिक्किम में आये।

(ख) १४४ शरणार्थी औरतें जून, १९६० में सिक्किम में आयीं।

(ग) उत्तर सिक्किम में पशुओं सहित शरणार्थियों को बसाने की व्यवस्था की जा रही है।

तटकर आयोग

†**१७५२. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वित्तीय वर्ष में तटकर आयोग ने जिन उद्योगों को उत्पादित वस्तुओं के अधिकतम मूल्यों की सिफारिश की थी, उन मूल्यों को लागू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३७]**

कालीन मन्त्रणा समिति[1]

†**१७५३. श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड द्वारा स्थापित की गयी कालीन मंत्रणा समिति ने कोई रिपोर्ट दी है; और

(ख) यदि हां, तो उस ने क्या सिफारिशें की हैं और उस पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

फर्मों को काली सूची में दर्ज करना

†**१७५४. श्री प्र० गं० देव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने कितनी फर्मों के नाम काली सूची में दर्ज किये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पंजाब उच्च न्यायालय ने कुछ फर्मों के नाम काली सूची में दर्ज करने के विरुद्ध निर्णय दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन फर्मों के नाम काली सूची से हटा दिये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) ४७९।

(ख) सरकार को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है जिस में कि काली सूची में दर्ज कोई फर्म काली सूची में दर्ज किये जाने के आदेश रद्द कराने के लिये पंजाब के उच्च न्यायालय के पास गयी हो।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Carpet Advisory Committee.

माल्ट मिला हुआ दूध

†१७५५. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री नकराम नेंगी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में माल्ट मिले हुए दूध[1] (माल्टेड मिल्क) की अभी कुल कितनी आवश्यकता है;

(ख) क्या वह सम्पूर्ण मात्रा हमारे देश में तैयार की जाती है या बाहर से आयात की जाती है;

(ग) माल्ट मिला हुआ दूध तैयार करने वाले कितने कारखाने हैं; और

(घ) प्रत्येक दूध-कारखाने में कितनी मात्रा तैयार की जाती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) लगभग २,५०० टन ।

(ख) अधिकतर मांग देश में किये गये उत्पादन से ही पूरी की जाती है और बहुत थोड़ी मात्रा बाहर से मंगायी जाती है ।

(ग) दो बड़े पैमाने के क्षेत्र में और तीन चार छोटे पैमाने के क्षेत्र में ।

(घ) सार्वजनिक हित में यह नहीं बताया जाता कि प्रत्येक एकक कितनी मात्रा तैयार करता है ।

खेल के सामान का निर्यात

†१७५६. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री नंकराम नेंगी :
श्री रा० च० माझी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात परिषद् दल भारतीय खेलों के सामान के लिये बाजार ढूंढने के लिये यूरोपीय देशों में गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई बाजार मिला; और

(ग) क्या माल के निर्यात के लिये कोई आर्डर प्राप्त हुआ था और क्या उन का निर्यात किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). खेल-सामान-निर्यात-वृद्धि-परिषद् द्वारा भेजा गया तीन व्यक्तियों का एक शिष्ट मंडल पश्चिम यूरोपीय देशों का दौरा कर के जुलाई में भारत लौटा, इस शिष्ट मंडल का

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]*Melted Milk.*

उद्देश्य बाजार स्थिति और मूल्यों के उतार चढ़ाव, लाइसेंस की औपचारिकता और जिन देशों का दौरा किया गया था उन में से प्रत्येक देश में विज्ञापन और प्रसार के उपयुक्त साधनों का अध्ययन करना था। शिष्टमंडल की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

उर्वरक कारखाना, ट्राम्बे

†१७५७. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० माझी :
श्री नेकराम नेगी : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राम्बे उर्वरक कारखाने के लिये बड़े संयंत्र मुहैया करने के लिये टेन्डर मंगाये गये हैं ;

(ख) कितने टेन्डर प्राप्त हुए हैं;

(ग) टेन्डर प्राप्त करने की अन्तिम तारीख क्या थी;

(घ) क्या कोई टेंडर मंजूर किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो फर्म का नाम क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी हां।

(ख) भाग क (गैस रिफार्मेशन और अमोनिया संयंत्र) के लिये ११ टन्डर, भाग ख (यूरिया संयंत्र) के लिये ८, भाग ग (नाइट्रिक एसिड संयंत्र) के लिये ६ और भाग घ (नाइट्रोफास्फेट संयंत्र) के लिये ५ संयंत्र प्राप्त हुए हैं। ३ अन्य फर्मों ने केवल भाग क के छोटे अनुभागों के लिये टेन्डर भेजे हैं।

(ग) भाग क और ख के लिये टेन्डर प्राप्त करने की अन्तिम तारीख ३० अप्रैल, १९६० और भाग ग और घ के लिये ३० जून, १९६० थी।

(घ) अभी तक नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खाली सरकारी क्वार्टर

†**१७५८. श्री राम गरीब :** क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विनय नगर में गांव के सामने पुल के पास उत्तर और पूरब की ओर बनाये गये कई क्वार्टर दो साल से अधिक समय से खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ये क्वार्टर किन के लिये हैं ;

(ग) ये क्वार्टर किसी को न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या वहां अभी कुछ सुविधायें देनी बाकी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) से (ग). विनयनगर (सरोजनी नगर और लक्ष्मी बाई नगर) में ६४ मकान सितम्बर, १९५९ में गंदी बस्तियां दूर करने की योजना के अधीन, दर्जी, मोची, नाई आदि जैसे उन सामुदायिक सेवा कर्मचारियों को, जिन्होंने सरकारी बस्तियों में या उसके निकट जमीन पर अनधिकृत झौंपड़ियां बनायी हैं या जो गंदी बस्तियों में रह रहे हैं, दिये जाने के लिये तैयार किये गये थे। दिल्ली नगरपालिका ने ये मकान संबंधित व्यक्तियों को दिये जाने के लिये प्रस्तुत किये थे। ज्ञात हुआ है कि इन में से किसी व्यक्ति ने अब तक उन्हें स्वीकार नहीं किया है।

(घ) जी नहीं।

राष्ट्रीय खान सुरक्षा समिति

†१७५९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुरक्षा शिक्षा और प्रचार समिति की बैठक झरिया में २४ जून, १९६० को हुई थी और उस ने राष्ट्रीय खान सुरक्षा समिति बनाने के लिये सरकार से प्रार्थना की थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) और (ख). ९ अगस्त, १९६० को पेश की गयी रिपोर्ट में समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा खान परिषद् की स्थापना की सिफारिश की है। रिपोर्ट की छान बीन की जा रही है।

उल्हासनगर में खाली जमीनें

†१७६०. **श्री परुलेकर** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के थाना जिले में स्थित उल्हासनगर में कितनी जमीनें खाली पड़ी हैं;

(ख) क्या ऐसी जमीनों की खरीद के लिये विस्थापित व्यक्तियों से आवेदन पत्र मांगे गये थे;

(ग) यदि हां, तो उनकी खरीद के लिये कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया; और

(घ) उन में से कितनी जमीनें अब तक बेची जा चुकी हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) ३४३।

(ख) जी हां।

(ग) ७५।

(घ) २१।

रेयन मिल

†१७६१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी सहकार्य से और २० प्रतिशत तक जापानी पूंजी से भारत में एक रेयन मिल स्थापित करने का विचार है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वह किस प्रकार की योजना है और क्या वह भारत सरकार के नियंत्रण में होगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). सरकार ने विस्कोज रेयनसूत तैयार करने के लिए एक भारतीय फर्म को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया है। ज्ञात हुआ है कि इस परियोजना के लिए आवश्यक मशीनें खरीदने के लिए भारतीय फर्म ने जापानी फर्म के साथ ठेका किया है और मशीनों की लागत के आंशिक भुगतान के बदले में जापानी फर्म को ७ प्रतिशत तक साम्य अंश (इक्विटी शेयर्स) संभवतः लेगी। सरकार इस योजना में कोई रकम नहीं लगा रही है।

चीनी सम्बन्धी भारतीय उत्पादकता दल

†१७६२. **श्री अजित सिंह सरहदी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी संबंधी भारतीय उत्पादकता दल के जो, ज्ञात हुआ है कि विदेशों में दौरा कर रहा है, निर्देश पद क्या है ;

(ख) क्या अब तक कोई अन्तरिम या अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(ग) दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) चीनी उद्योग उत्पादकता दल के अध्ययन के विषय इस प्रकार हैं :

(१) सामान्य संगठन और उत्पादन और उपभोग की प्रवृत्तियां जिनमें स्वामित्व और प्रबन्ध का रूप भी शामिल है, किसानों और निर्माताओं और श्रम और प्रबंध के बीच संबंध उत्पादन, बिक्री आदि पर सरकारी नियंत्रण।

(२) गन्ने की फसल बढ़ाने के संबंध में उत्पादन-कार्य क्षमता जिसमें सिंचाई, खाद, नाशक कीड़ों और रोगों पर नियंत्रण, मशीनों से करना, श्रम बचाने वाले तरीके और खेती की निरर्थक वस्तुओं का उपयोग शामिल है। खेतिहर श्रमिक और वस्तुओं की लागत के तरीके।

(३) खेतों से मिलों तक गन्ना पहुंचाने के लिए परिवहन के तरीके और आगमन की बारंबारता नियंत्रित करने तथा फसल काटने और पेराई के बीच का समय कम करने के लिए किये गये उपाय।

(४) मौजूदा गन्ने के लिए भुगतान जिसमें मूल्य निर्धारण के लिए गन्ने की किस्म का अंदाजा लगाना शामिल है।

(५) चीनी के उठाने धरने और इसका भंडार रखने के साथ साथ चीनी तैयार करने की विभिन्न दशाओं में प्राप्त शोधन शैलियां और कार्यक्षमता।

(६) संयंत्रों और तरीकों का आधुनिकरण जिसमें आणविक तरीके और शोधन नियंत्रण औजार, भाफ और ईंधन मितव्ययिता के तरीके और चीनी तैयार करने की मशीनें शामिल हैं।

(७) निर्वहन के लिए संगठन और संचलन जिसमें मौसम के दौरान में बंदी रोकने के लिए उपाय और निर्वहन संबंधी लोगों को दिये गये प्रोत्साहन शामिल हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(८) उपोत्पाद का, खासकर कागज तैयार करने के लिए खोई का उपयोग ।

(९) लागत पद्धति के ब्यौरे जिसमें परिवहन, उठाने-धरने, शोधन और पैकिंग जैसे प्रत्येक प्रक्रम को लागत निकालने के तरीके शामिल हैं ।

(१०) नियुक्त किये गये मजदूरों के प्रकार मजूरी निर्धारण करने के तरीके, कर्मचारी संगठन, मजदूर-प्रबंधक संबंध, श्रमिकों के बीच अनुशासन और खाली मौसम में श्रमिकों और साज सामान का उपयोग ।

(११) चीनी और गन्ना अनुसन्धान का संगठन और सलाहकार सेवाएं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रोटोटाइप मशीन फैक्टरी

†१७६३. **श्री सूपकार** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में एक प्रोटोटाइप मशीन फैक्टरी चालू करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसके अनुमानित व्यय, स्थान आदि के ब्यौरे तैयार कर लिये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). अभी ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है ।

अमरीकी निर्यात आयात बैंक से ऋण

†१७६४. **श्री कालिका सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) उत्तर प्रदेश में बरेली में संश्लिष्ट रबड़ तैयार करने के लिए इंडियन सिन्थेटिक्स को (२) उत्तर प्रदेश में रिहन्द बांध के निकट अल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने में सहायता करने के लिए हिन्दुस्तान अल्यूमियनयम कारपोरेशन लिमिटेड को और (३) मैसूर में स्थापित किया जाने वाला सीमेंट संयंत्र तैयार करने के लिए मैसूर सीमेन्ट्स लिमिटेड को अमरीकी निर्यात-आयात बैंक से अलग-अलग कितना ऋण दिया जाने वाला है ;

(ख) कौन कौन सी विदेशी और भारतीय फर्में उपरोक्त परियोजनाओं में सहकार्य कर रही हैं ; और

(ग) उपरोक्त वस्तुओं के लिए विदेशों पर भारत का निर्भर रहना अगले पांच वर्षों में कितना कम हो जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३८]**

---

†मूल अंग्रेजी ।

रेयन के उत्पादन के लिये मिल

†१७६५. **श्री आचार :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेयन के उत्पादन के लिए एक मिल बनाने के लिए मैसर्स बड़ौदा रेयन कारपोरेशन बम्बई और जापानी फर्मों के बीच कोई ठेका हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस परियोजना के लिए मंजूरी दे दी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) सरकार ने विस्कोज रेयन सूत तैयार करने के लिए मेसर्स बड़ौदा रेयन कारपोरेशन को उद्योग (विकास और वियमन) अधिनियम के अधीन एक लाइसेंस दिया है । ज्ञात हुआ है कि इस परियोजना के लिए आवश्यक मशीनें खरीदने के लिए भारतीय फर्म ने जापानी फर्म के साथ एक ठेका किया है ।

कालिम्पोंग से काजिनी डोरजी का देश निकाला

†१७६६. **श्री हेम बरुआ :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की पत्नी काजिनी डोरजी खंगेहरपा को अभी हाल में कालिम्पोंग से, जहां वह कुछ समय से निवास कर रही थीं, बाहर निकाल दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पहले का अपना निश्चय बदल दिया है और उसे अपना निवास जारी रखने की अनुमति दे दी है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख) जी हां ।

झुमरिया बाजार विस्फोट

†१७६७. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले झुमरिया बाजार (आसनसोल) विस्फोट के बारे में, जिसमें ५५ आदमियों की मृत्यु हुई, किसी के विरुद्ध मामला चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के विरुद्ध ;

(ग) किन अधिनियमों और धाराओं के अधीन ; और

(घ) यदि अंतिम रूप से मामले का निर्णय हो गया हो तो उसका क्या परिणाम है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) और (ख) दो आदमियों के विरुद्ध दो मामले दर्ज किये गये हैं—

(१) राज्य बनाम सरजू प्रसाद शा और सीताराम शा और

(२) राज्य बनाम सीताराम शा

(ग) श्री सरजू प्रसाद शा पर भारतीय दंड संहिता की धाराएं ३०४–क, ३३७ और ३३८ और भारतीय विस्फोट पदार्थ अधिनियम, १८८४ की धारा ५(३)(ख) के अधीन मुकद्दमा चलाया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री पोतारामशा पर भारतीय विस्फोट पदार्थ अधिनियम, १८८४ की धारा ५(३)(ख) के अधीन मुकद्दमा चलाया गया है ।

(ब) श्री पोतारामशा को एक साल की कड़ी कैद और दो हजार रुपया जुर्माना या जुर्माना न देने पर नौ महिने की कड़ी कैद दी गयी है । श्री सरजू प्रसाद शा का मामला अभी न्यायालय में चल रहा है ।

हांडीधुआ कोयला खान द्वारा किराये का भुगतान

†१७६८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तालचर में हांडीधुआ कोयला खान के प्रबंधकों ने कोयला खान की मशीन और इमारत के इस्तेमाल के लिये अब तक किराये की किसी धनराशि का भुगतान किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि है ; और

(ग) क्या इस किराये से वसूल की गयी धनराशि में से श्रमिकों को उनकी बकाया रकम के लिये कोई धनराशि दी गयी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हांडीधुआ कोयला खान द्वारा श्रम नियमों का अतिक्रमण

†१७६९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि उड़ीसा में तालचर में हांडीधुआ कोयला खान के प्रबंधक मजूरी भुगतान अधिनियम बोनस योजना अधिनियम, न्यायाधिकरण पंचाट और दास गुप्ता पंचाट का अतिक्रमण कर रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय प्रादेशिक श्रम आयुक्त ने कथित प्रशासन द्वारा श्रम नियमों के अतिक्रमण के बारे में जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) सरकार को पता है कि कोयला खान का एक ठेकेदार कम भुगतान और बोनस न देने के लिये अपराधी है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) क्योंकि प्रबंधकों को यह बता दिया गया है कि दास गुप्ता पंचाट के अधीन वे अपने ठेकेदारों द्वारा श्रम नियमों और पंचाटों की कार्यान्विति के लिये उत्तरदायी हैं, उन्होंने अनियमितता को दूर करने का आश्वासन दिया है ।

---

†तारांकन अंग्रेजी में

भुसंडपुर में सहकारी समिति

†१७७०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में भुसंडपुर में कुन्तलबाई बस्ती में बसे शरणार्थियों ने अपनी जीविका कमाने के लिये विभिन्न सहकारी कार्यों के लिये एक बहुप्रयोजनीय सहकारी समिति बनाई है ; और

(ख) सरकार ने समिति को अब तक क्या प्रोत्साहन दिया है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

शुष्क दुग्ध पाउडर में चोर बाजारी

†१७७२. **श्री कुन्हन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सघन क्षेत्र, ताजपुर, बिजनौर द्वारा शुष्क दुग्ध पाउडर में चोर बाजारी करने के बारे में ३० मई, १९६० को कोई जांच की गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रातः ९ बजे ट्रक नं० यू० एस० एल० ७७११ में सूखे दूध के २०० बक्स लादे गये थे और वे ३५ रुपये प्रति बक्स पर बेच दिये गये ; और

(ग) जांच का क्या परिणाम निकला ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). सूखे दूध के पाउडर की बिक्री के बारे में एक विस्तृत जांच आरम्भ की गई है और वह अभी चल रही है । कुछ शुष्क दुग्ध पाउडर बेचा गया था और जिस मूल्य पर यह पबेचा गया उस का पता जांच पूरी होने पर लगेगा ।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

†१७७३. **श्री शिवदत्त उपाध्याय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सरकारी क्षेत्र में उद्योग चालू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या इस क्षेत्र में उद्योगों के स्थान के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कोई औद्योगिक उपक्रम चालू करने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । तृतीय पंचवर्षीय योजना राज्य-क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के समेत मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्तावों पर योजना आयोग विचार करेगा ।

मद्रास में श्रमिक शिक्षा केन्द्र

†१७७४. **श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास शहर में श्रमिक शिक्षा केन्द्र जुलाई, १९६० में आरम्भ किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मद्रास राज्य में और केन्द्र खोले जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो कब खोले जायेंगे और कहां खोले जायेंगे ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, हां ।

(ख) तमिल में विशेष योग्यता रखने वाले प्रशिक्षित अध्यापक प्रशासक उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) और (घ). मद्रास केन्द्र में अनुभव प्राप्त कर लेने पर इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

मदुरै में आकाशवाणी केन्द्र

†१७७५. श्री तंगामणि : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै के मदुरै रामनद चैम्बर आफ़ कामर्स से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि मदुरै में एक आकाशवाणी केन्द्र खोला जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार अधिक स्थानों में प्रसारण के लिये देश में विभिन्न स्थानों पर अधिक मीडियम ट्रांसमिटर स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है और इन में से एक ट्रांसमिटर मदुरै में लगाने के लिये मदुरै क्षेत्र की उपयुक्तता की जांच की जावेगी । तिरुचिरापल्ली में एक ५० किलो-वाट का मीडियम वेव ट्रांसमिटर लगा दिया गया है और आशा की जाती है कि यह शीघ्र ही चालू हो जायेगा ।

त्रिपुरा में निराश्रित शरणार्थी महिलायें

†१७७६. { श्री दशरथ देब :
श्री हाल्दर :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कुल कितनी निराश्रित शरणार्थी महिलायें हैं जिन्हें शिविरों में या शिविरों से बाहर अकर्म वेतन[1] (आर्थिक सहायता) मिल रहा है ;

(ख) क्या उन्हें बसाने की कोई योजना है ;

(ग) यदि हां, तो वे योजना क्या हैं ; और

(घ) वे योजनायें कब कार्यान्वित की जावेंगी ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) ११५० परिवार जिन में ३०४९ व्यक्ति हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) (१) विस्थापित महिला सहकारी समितियों द्वारा चलाये जाने वाले उत्पादन केन्द्र ।

(२) व्यावसायिक व्यापार में प्रशिक्षण पाने वालों को पुनर्वास से अनुदान का दिया जाना ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Dole.

(३) उन को, जिन के लड़के वयस्क हैं, सामान्य तरीके से पुनर्वास ऋण देना ।

(घ) वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में ।

नरसिंहगढ़ बस्ती, त्रिपुरा

†१७७७. **श्री दशरथ देब :**
श्री हाल्दर :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये नरसिंहगढ़ बस्ती, त्रिपुरा में सरकारी लागत पर कितने मकान बनाये गये हैं ;

(ख) उन में अब कितने विस्थापित व्यक्ति रहते हैं ; और

(ग) बाकी मकान बनाने और उन्हें विस्थापित व्यक्तियों को देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) २० ।

(ख) अभी मकान विस्थापित व्यक्तियों को नहीं दिये गये हैं । उन को अस्थायी तौर पर नरसिंहगढ़ में पालीटेक्नीक के कर्मचारियों को और राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के पदाधिकारियों को दिया गया है ।

(ग) नरसिंहगढ़ में बस्ती की योजना में सरकार द्वारा ४ प्रकार के २० मकान बनाने का उपबन्ध है जोकि विस्थापित व्यक्तियों द्वारा स्वयं ऐसी ही मकान बनाने के लिये नमूने का काम करेंगे । विस्थापित व्यक्तियों को बस्ती में भूमि दी जायेगी मकान बनाने के लिये ऋण दिया जायेगा ।

मध्य वर्ग के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण

†१७७८. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमंडल सचिवालय के केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन ने भारत में मध्यम वर्ग की जनता की आर्थिक स्थिति के बारे में--हाल ही में एक सर्वेक्षण किया है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई प्रतिवेदन दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जावेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) जी, हां । जुलाई, १९५८ से जून, १९५९ की अवधि में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के निदेशक द्वारा केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन द्वारा आयोजित एक मध्य वर्ग परिवार जीविका सर्वेक्षण किया गया था ।

(ख) से (घ) अभी तक कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया है क्योंकि इकट्ठे किये गये आंकड़ों को ठीक प्रकार लगाया जा रहा है । तथापि, सर्वेक्षण के प्रथम दो उप-दौरों के फलस्वरूप प्राप्त

---

†मूल अंग्रेजी में

जानकारी के आधार पर मध्यम वर्ग परिवारों के आय और व्यय के बारे में एक नोट "मन्थली एब्स-ट्रैक्ट्स आफ़ स्टैटिस्टिक्स" के जून, १९६० के संस्करण में प्रकाशित किया गया है जिस की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

मोटरगाड़ी उद्योग

†१७७९. **श्री तंगामणि :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३ मार्च १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले १८ महीनों में मोटर गाड़ी उद्योग के लिये आवश्यक हिस्सों के आयात के लिये कितनी विदेशी मुद्रा आवंटित की गई है ;

(ख) विभिन्न यूनिटों को आवंटन के क्या आंकड़े हैं ;

(ग) क्या सारे आवंटन का उपयोग कर लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख) पिछले १८ महीनों में अर्थात् अप्रैल, १९५९ से सितम्बर, १९६० तक की अवधि में मोटर गाड़ियों के हिस्सों के आयात के लिये मोटर गाड़ी और मोटर गाड़ियों के डीज़ल के इंजन निर्माताओं को विदेशी मुद्रा का आवंटन निम्न प्रकार किया गया है :

		रुपये (लाखों में)
१.	मेसर्ज़ हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कलकत्ता . . .	१०१४.९०
२.	मेसर्ज़ प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड, बम्बई . . .	८५०.३४
३.	मेसर्ज़ स्टैण्डर्ड मोटर प्राडक्टस आफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास .	१७१.६२
४.	मेसर्ज़ महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड, बम्बई . .	४७८.१०
५.	मेसर्ज़ राय लोकोमोटिव एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	१०२१.००
६.	मेसर्ज़ अशोक लीलैण्ड लिमिटेड, मद्रास . . .	५५०.९४
७.	मेसर्ज़ सिम्पसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, मद्रास . . .	२७०.३६
८.	मेसर्ज़ आटोमोबाइल प्राडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई . .	९८.१२
	कुल	४४५५.३८

(ग) विभिन्न यूनिटों को किये गये आवंटन का करीब करीब पूरा उपयोग कर लिया गया है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अखबारी कागज़

†१७८०. **श्री तंगामणि :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी से जुलाई, १९६० की अवधि में विदेशों से अखबारी कागज का आयात किया गया है;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में आयात किया गया है;

(ग) इस अवधि मे नेपा न्यूज़ प्रिन्ट मिल्स ने कितनी मात्रा का संभरण किया; और

(घ) इस अवधि में क्या मांग मे कोई कमी हुई तो कितनी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) केवल मई, १९६० तक के आयात के आंकड़े उपलब्ध हैं और जनवरी से मई, १९६० तक की अवधि में ३२,३१० मीटरिक टन अखबारी कागज का आयात किया गया।

(ग) जनवरी से जून, १९६० तक नेपा मिल्स ने ११२९१.३० मीटरिक टन अखबारी कागज बनाया।

(घ) जहां तक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की मांग का सम्बन्ध है, अभी तक अखबारी कागज में कोई कमी नहीं हुई है।

सरकारी क्वार्टर

१७८१. श्री भक्त दर्शन : क्या निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री १२ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टरों सम्बन्धी समिति में नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ख) उक्त समिति के निदेश-पद क्या हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) शुरू में विभागीय समिति की रचना निम्नलिखित थी :

अध्यक्ष—

श्री अनिल कु० चन्दा, निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री।

सदस्य—

१. श्री गोपाल मेनन, सह सचिव, गृह मन्त्रालय।

२. श्री ए० एस० नायक, सह सचिव, निर्माण, आवास और संभरण मन्त्रालय।

३. श्री ऐस० वोहरा, सह सचिव, वित्त मन्त्रालय।

४. श्री आर० ऐस० गई, सह सचिव, विधि मन्त्रालय।

५. श्री एम० जी० कौल, सह सचिव, रक्षा मन्त्रालय।

६. श्री एस० पी० सक्सेना, उपसचिव, निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय (सदस्य सचिव)

७. श्री बाल सुब्रमणियम, आस्ति-निदेशक।

परन्तु बाद में श्री आर० एस० गई का स्थान श्री के० श्री निवासन, सह सचिव, विधि मन्त्रालय ने ले लिया। श्री कौल के स्थान पर श्री जे० ऐस० लाल, सह सचिव, रक्षा मन्त्रालय को नियुक्त किया गया। समिति की बैठकों मे रक्षा मन्त्रालय की ओर से श्री बी० जे० सेन गुता, मुख्य प्रशासन-अफसर, रक्षा

---

†मूल अंग्रेजी में

मन्त्रालय भाग ले रहे हैं। श्री वोहरा द्वारा कार्यभार सौंप देने के फलस्वरूप वित्त मन्त्रालय का प्रतिनिधित्व श्री पी० सी० भट्टाचार्य, सह सचिव कर रहे हैं।

(ख) समिति से कहा गया है कि वह निम्नलिखित बातों की परीक्षा करे :

(अ) दिल्ली और नई दिल्ली में नियमित निवास स्थानों के नियतन (अलाटमेंट) के बारे में नियम।

(आ) विशेष स्थान नियम (स्पैशल एकोमोडेशन रूल्स) १९५०।

(इ) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निवास स्थान के नियतन के बारे में नियम।

(ई) होस्टल में निवास स्थान के नियतन के बारे में नियम।

(उ) बिना बारी के आधार पर स्थान के नियतन तथा अधिरोहणी अग्रता (ओवर-राइडिंग प्रायौरिटी) देने के लिये सिद्धान्त।

(ऊ) निवास स्थानों का वर्तमान वर्गीकरण, इस दृष्टि से कि उनकी श्रेणियों को कम करके कुछ थोड़ी सी मोटी मोटी श्रेणियों में ले आया जाये।

(ए) जिन्हें स्थान का नियतन हुआ है, उन्हें सरकारी स्थान में दूसरों को हिस्सा देने की अनुमति देने के लिये क्रिया विधि (प्रोसीजर) और सरकारी स्थान को अनधिकृत रूप से अनुभाटक पर देने (सबलैटिंग) के मामलों की जांच करने तथा दण्ड देने के लिये क्रियाविधि।

(ऐ) सरकारी स्थान को अपने कब्जे में बनाये रखने और एक समूह (पूल) के कर्मचारियों का किसी ऐसे कार्यालय में, जिसका निवास का अपना अलग समूह हो, तबादला हो जाने पर उनके सेवाकाल को गिनने के लिये क्रियाविधि।

(ओ) अन्य सम्बद्ध प्रश्न।

और निम्नलिखित बातों का विशेष निर्देश करते हुए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे :

(१) दिल्ली और नई दिल्ली में नियमित और विशेष निवास स्थानों तथा चतुर्थ श्रेणी के क्वार्टरों के नियतन (अलाटमेंट) के लिये क्या अलग अलग नियमों की कोई आवश्यकता है ;

(२) वह ढंग और वह दिशा, जिसके अनुसार ये नियम सरल बनाये जा सकते हैं, इनका वैज्ञानिकन (रेशनलाइज़ेशन) किया जा सकता है और क्रियाविधि को सुवाही (स्ट्रीमलाइण्ड) बनाया जा सकता है;

(३) बारी के बिना नियतनों के लिये और इस प्रकार के नियतनों में अधिरोहणी अग्रता (ओवराइडग प्रायौरिटी) देने के लिये कसौटियां (मानदण्ड) ;

(४) सरकारी स्थान में दूसरों को हिस्सा देने की अनुमति के लिये कसौटियां तथा व्यक्तियों की श्रेणियां, और सरकारी स्थान को अनधिकृत रूप से अनुभाटक पर देने के मामलों में जांच की पद्धति और दण्ड देने का आधार।

---

†मूल अंग्रेजी में

विशेषाधिकार भंग के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री हेम बरुआ विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहते थे; मैंने उसकी अनुमति दे दी है।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : कलकत्ता के एक श्री धीरेन्द्र भौमिक द्वारा प्रधान मन्त्री को लिखित एक खुले पत्र की प्रति हमारे पास आयी है। मुझे इस में लिखी बातों के बारे में कुछ नहीं कहना परन्तु इसमें कुछ भाग आपत्तिजनक हैं। उस पत्र में जो लिखा है उसके एक भाग का सारांश इस प्रकार है :—

> "क्या आज की सभ्य दुनिया में कोई ऐसा लोकतन्त्रात्मक देश है जहां पर आसाम में हुए अत्याचारों जैसी निरीह घटनाओं पर केवल इस कारण चर्चा न हो कि यह बात शासक दल के कुछ लोगों के अनुरूप न जाय। जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने संसद् को एक निजी क्लब का रूप दे दिया है स्वयं अध्यक्ष भी बेशर्मी से शासकों के हाथ की कठपुतली बन गया है। इस प्रकार देश की हर संस्था को इन लोगों के कलुषित नेतृत्व ने दूषित कर दिया है। संसद् सदस्य हुक्म के बन्दे है और इनकी बदौलत संसद् की प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी है। क्या हम नहीं देख रहे कि देश में कांग्रेस की तानाशाही चल रही है। जवाहरलाल नेहरू तथा गोविन्द बल्लभ पन्त ने आसाम सम्बन्धी वाद-विवाद को स्थगित करने के लिये जो तर्क दिये हैं वे बच्चों जैसी बातें हैं परन्तु उन पर अनुग्रह करने वाले अध्यक्ष की कृपा से उन्हें सफलता मिली है। यह सारी बात ही एक धोखा है।"

मैं समझता हूं कि इससे संसद् का विशेषाधिकार भंग होता हैं। अध्यक्ष महोदय के बारे में इस तरह की बातें करने की किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जा सकती। मुझे आशा है सभा की प्रतिष्ठा बनाये रखने में सभी सदस्य सहयोग देंगे।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर) : मैं श्री हेम बरुआ से सहमत हूं। संसद् तथा अध्यक्ष की गरिमा बनाये रखने के बारे में दो मत नहीं हो सकते।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि सभा माननीय सदस्य को अनुमति दे रही है। यदि नियम २२५ के अन्तर्गत सभा इसे स्वीकार करे तो या तो स्वयं इस पर विचार कर सकती है या माननीय सदस्य प्रस्ताव रख सकते हैं और मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "इस विषय को विशेषाधिकार समिति को विचार करने तथा उस पर प्रतिवेदन देने के लिये सौंप दिया जाय।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

> "इस विषय को विशेषाधिकार समिति को, विचार करने तथा उस पर प्रतिवेदन देने के लिये सौंप दिया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ तथा ९०३ के बारे में

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची-पश्चिम-रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां) : मुझे एक निवेदन करना है। प्रश्न संख्या ८७२ तथा ९०३ दोनों समान नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय ने यह विनिर्णय दिया था कि यदि प्रश्नकर्त्ता उत्तर न मांगें तो उत्तर न दिया जाय। परन्तु मेरी प्रार्थना है कि लिखित उत्तर तैयार करने पर काफी परिश्रम किया गया है अतः सभा को उससे अनभिज्ञ न रखा जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : सामान्य रूप से जिन प्रश्नों के उत्तर सभा में बोल कर नहीं दिये जाते उन्हें सभा-पटल पर रख दिया जाता है। परन्तु यदि कोई सदस्य अपना प्रश्न वापस ले ले तो वह ले सकता है। उसका उत्तर आदि वाद-विवाद में प्रकाशित नहीं होगा। जब प्रश्न सभा के सामने आ जाता है तो उसे वापस लेने के लिये सभा की अनुमति ली जाती है वरना जिन प्रश्नों को मैं गृहीत करता हूं, उन्हें वापस लेने की मैं अनुमति दे सकता हूं।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** (बलोदा बाजार) : मैंने स्वयं प्रश्न पूछने से इंकार नहीं किया। माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि मेरा प्रश्न उसी विषय के दूसरे प्रश्न के साथ रख दिया जाये। वैसे प्रश्न एक ही विषय पर था लेकिन दोनों में अलग बात पूछी गई थी। मैं चाहता था कि अपने क्रम पर ही इसे अलग पूछूं। इस पर आपने कहा यदि सदस्य प्रश्न नहीं पूछना चाहते तो हम उसे वापस लिया गया समझेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक ही विषय के दो प्रश्नों को इकट्ठा करवा देना मेरा अधिकार है। मुझ से यह नहीं कहा जा सकता कि इस तरह प्रश्न न पूछे जायं। यदि माननीय सदस्य इस प्रबन्ध को नहीं चाहते थे तो मैंने कहा कि इस प्रश्न को वापस लिया गया समझा जायेगा। मैंने माननीय सदस्य से पूछा परन्तु उन्होंने इन्कार किया। इसलिये इस प्रश्न को वाद-विवाद में प्रकाशित करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचनाएं तथा प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १५ के अन्तर्गत निकाली गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक १८ जुलाई, १९६० का एस० ओ० १७९१।

(दो) दिनांक २८ जुलाई, १९६० का एस० ओ० १८८६।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—२३२६/६०]

(२) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कच्चे रबड़ के मूल्यों के पुनरीक्षण के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन।

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) सरकारी संकल्प संख्या १६(४) प्लांट (बी)/६० दिनांक २३ अगस्त, १९६० ।

(तीन) उपरोक्त भाग (एक) और (दो) में उल्लिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर सभा-पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी इसके कारण बताने वाला विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—२३२७/६०]

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचनाएं तथा खोसला समिति के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में टिप्पण

†**श्री कानूनगो** : श्री मनुभाई शाह की ओर से मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत निकाली गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक २२ जून, १९६० का एस० ओ० १५९८ ।

(दो) दिनांक ११ जुलाई, १९६० का एस० ओ० १७१८ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—२३२८/६०]

(४) सर्वेक्षण, ड्राइंग और गणित सम्बन्धी उपकरण उद्योग के बारे में खोसला समिति के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले टिप्पण की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—२३२९/६०]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से एक सन्देश प्राप्त हुआ है जिसके साथ उन्होंने राज्य सभा द्वारा २४ अगस्त, १९६० को पारित दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६० की एक प्रति संलग्न की है ।

मुझे राज्य सभा के सचिव से एक और सन्देश मिला है कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा ११ अगस्त, १९६० को पारित कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६० के बारे में लोक-सभा से कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है ।

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६० की एक प्रति, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम जाने वाले संसद-सदस्यों के शिष्टमण्डल का प्रतिवेदन

†**श्री अ० प्र० जैन** (सहारनपुर) : मैं आसाम जाने वाले संसद सदस्यों के शिष्टमंडल का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : श्रीमान्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है। नियम ३६९(२) के अधीन यह दस्तावेज सार्वजनिक हो जायगा। इस विषय पर १, २ तथा ३ सितम्बर को वाद-विवाद होगा। क्या हमारी आलोचना नियमानुकूल होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, क्यों नहीं।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या सरकार समिति की सिफारिशों से आबद्ध है ? मेरा औचित्य प्रश्न केवल इतना ही नहीं है आपने इस शिष्टमंडल की नियुक्ति की थी। मैं इसे असम के मामले में हस्तक्षेप समझता हूं। यह बात आप के पूर्ण विनिर्णय के अनुरूप भी नहीं जो आपने हमारे स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिया था। आप ने उस समय कहा था :

> "सामान्यतया किसी राज्यीय विषय से हमारा सम्बन्ध नहीं होता किन्तु यहां कहा गया है कि स्थिति असाधारण है। इसलिए मुझे यह देखना है कि क्या वस्तुतः स्थिति ऐसी है जिससे कि हस्तक्षेप किया जाय अथवा क्या स्थगन प्रस्ताव ही उपयुक्त साधन है ?"

अन्त में आपने निर्णय किया था कि आप सभा में इस विषय की चर्चा की अनुमति देंगे ताकि यहां पर कोई ऐसा उपाय निकाला जा सके जिससे अन्य राज्यों में भी ऐसी दुर्घटनायें न घटने पावें। दूसरे शब्दों में आप उस समय समझते थे कि आसाम की स्थिति अत्यन्त भयानक है परन्तु आपने यह नहीं स्पष्ट किया कि इस सभा को हस्तक्षेप भी करना चाहिए या नहीं। मैं आपके अधिकार के बारे में कुछ नहीं कहता। किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि इस शिष्टमंडल की संवैधानिक हैसियत क्या है।

सभा में आसाम की दुर्घटना के बारे में चर्चा नहीं हुई और न सभा अपनी कोई राय ही दे सकी। परन्तु समिति के निर्देशन पदों को देखने से ज्ञात होता है कि वह समिति एक जांच समिति ही थी। निर्देशन पद काफी व्यापक हैं। समिति को जांच के अलावा स्थिति के सुधार के उपायों का सुझाव भी देना था। परन्तु यह सुझाव किसे दिया जाना है। संसद में किसी बात की चर्चा तक नहीं की गयी। आसाम की घटना का ज्ञान हमें अखबारों से हुआ; वहां सेनायें गयीं परन्तु क्या उन्हें केन्द्र ने स्वतः भेजा अथवा राज्य-सरकार की प्रार्थना पर। अतः क्या सभा इस प्रतिवेदन पर वाद-विवाद कर सकती है ? इन बातों के अलावा मुझे आपका विनिर्णय इस प्रश्न पर भी चाहिए कि क्या हमें आसाम की घटनाओं की सरकारी खबरें नहीं मिलनी चाहिएं। श्री अशोक सेन ने आसाम की स्थिति पर सरकार को रिपोर्ट दी है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या हम समस्त आसाम की घटनाओं पर विचार करेंगे या केवल प्रतिवेदन पर।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सभा किसी राज्य के मामले में तभी हस्तक्षेप कर सकती है जबकि वहां पर विधि तथा व्यवस्था की हालत इतनी खराब हो जाय कि राज्य सरकार पर भरोसा ही न किया जा सके। इस प्रकार की स्थिति पैदा होने पर सभा में तत्सम्बन्धी विषय पर चर्चा हो

---

†मूल अंग्रेजी में

सकती है। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है इस के महत्व को देखते हुए ही मैं ने यह कहा था कि सभा इस पर चर्चा करेगी। मेरा अब भी यही मत है कि ऐसे विषय को उठाने के लिए स्थगन प्रस्ताव ही सर्वोतम ढंग नहीं है।

जहां तक आसाम की स्थिति का सम्बन्ध है उसके बारे में भी दो रायें हैं। बंगाली एक बात कहते हैं, और आसामी दूसरी बात। इसलिए तथ्यों की जानकारी के लिए समिति की नियुक्ति श्रयस्कर समझी गयी थी। समिति का प्रतिवेदन आप के सामन है।

जहां तक श्री सेन की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, वह शायद स्वयं भी वाद-विवाद में भाग लें तथा अपना अनुभव बतायें। सभा इस प्रतिवेदन को चाहे स्वीकार करे चाहे अस्वीकृत, इसका उसे पूरा अधिकार है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन के अतिरिक्त सभा किसी भी प्रतिवेदन से आबद्ध नहीं है।

इस विषय पर सभा में एक प्रस्ताव पर चर्चा चल सकती है। समय भी पर्याप्त दिया जायगा। हम सरकार से पहले वक्तव्य देने को बात नहीं कह सकते। यह सभा केन्द्र को कुछ हिदायतें दे सकती है और यह भी कह सकती है कि अमुक राज्य का प्रबन्ध अपने हाथों में ले लिया जाय। अतः हम रिपोर्ट पर नहीं अपितु आसाम की स्थिति पर वाद-विवाद करेंगे।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : सरकारी प्रस्ताव दिया जा रहा है।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी आपके कहने से यह बात हुई कि यह समिति तदर्थ समिति थी तथा इसका प्रतिवेदन चर्चा के लिए सहायक होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : इस शिष्टमंडल की नियुक्ति के समय तो संसद का परामर्श नहीं लिया गया परन्तु आगे के लिए यह प्रक्रिया बनानी चाहिए।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : यदि हम इसे तथ्यों की जांच करने वाली समिति कहें तो सारी बात ही स्पष्ट हो जाय।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : सरकार का प्रस्ताव किस प्रकार का है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा है मैं उसमें तनिक संशोधन करके इस प्रकार पढ़ना चाहूंगा :—

> "कि आसाम की घटनाओं तथा उनके बारे में संसद् सदस्यों के प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।"

†**श्री महंती** : (ढेंकानाल) : आप ने कहा कि यह विधि तथा व्यवस्था की समस्या है।

†अध्यक्ष महोदय : मैं ने ऐसा नहीं कहा।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उनहत्तरवां प्रतिवेदन

सरदार अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का उनहत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

बिलासपुर वाणिज्यिक निगम (निरसन) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिलासपुर वाणिज्यिक निगम अधिनियम, २००५ विक्रमी का निरसन करने वाले तथा कुछ आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि बिलासपुर वाणिज्यिक निगम अधिनियम, २००५ विक्रमी का निरसन करने वाले तथा कुछ आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री दातार** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

विनियोग संख्या ४ विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ अग्रेतर राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ अग्रेतर राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब २९ अगस्त १९६० को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी :—

"कि उत्पादन शुल्क संबंधी कुछ विधियों में मीट्रिक इकाइयों को लागू करने के उद्देश्य से इन विधियों में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मोहम्मद इमाम अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (कितलद्रुग) : मैं यह बता रहा था कि मीट्रिक प्रणाली लागू करने से जनता में गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि पुरानी पद्धति बहुत दिनों से लागू है। मैं समझता हूं कि जनता तो अलग रही हम सदस्यों में से बहुत से सदस्यों को भी इन तौलों के बारे में ज्ञान नहीं है। इसलिए इनका विस्तृत प्रचार करने की आवश्यकता है।

मुद्रा की दशमलव प्रणाली लागू करने पर हमें अनुभव हुआ कि दरों की पूरी संख्या करने के बहाने से दर बढ़ा दिए गए। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बात का ध्यान रखें और बाटों का परिवर्तन होने पर वस्तुओं के मूल्य नहीं बढ़ें।

बाटों तथा मापों में परिवर्तन होने के कारण सरकार को बहुत से अधिनियमों का संशोधन करना होगा इसलिए मेरा सुझाव है कि इनका अलग अलग संशोधन करने के स्थान पर एक साथ एक अनुसूची के रूप में संशोधन कर दिया जाये।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं इस विधेयक का समर्थन इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि हिसाब-किताब रखने और गणना करने में अब बहुत सुविधा रहेगी। परन्तु इसके साथ साथ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब दशमलव मुद्रा प्रणाली लागू की गई थी उस समय से अब तक इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी जनता उनके बारे में नहीं जान पाई है कि एक आने में कितने नये पैसे होते हैं।

मेरा यह सुझाव है कि सरकार को जो भी परिवर्तन करने हों वह उसे तुरन्त करने चाहिएं। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि सेर-छटांक भी चालू रहें और मीट्रिक बाट भी चालू रहें। इससे गड़बड़ी की अधिक आशंका है। एक तिथि निर्धारित कर दी जाये और उस तिथि को पुराने बाट बाजार से हटा कर नये बाट बाज़ार में चालू होने चाहिएं।

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० ब० गोपाल रेड्डी)** : मुझे प्रसन्नता है कि इस आनुषंगिक विधान को सारे सभा के सभी पक्षों ने स्वीकृति दी है। इसके बारे में भूल अधिनियम १९५६ में पारित किया गया था और यह सभी विधेयक उस अधिनियम को लागू करने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए कोई नई बात अब नहीं की जा रही है। हम इसका भी ध्यान रख रहे हैं कि इस परिवर्तन के द्वारा कोई आर्थिक लाभ उठाने का प्रयत्न न करें। मैं नहीं जानता कि डाक तथा तार की दरों के परिवर्तन में क्या हुआ ; मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि हमने मीट्रिक पद्धति लागू करने में कोई लाभ उठाने की बात नहीं सोची है। अगर हमें रुपये की ज़रूरत हुई तो हम साफ़ बात करेंगें और वित्त विधेयक में उसकी मांग करेंगे।

मैं कल बता चुका हूं कि ४०० करोड़ रुपये के कुल राजस्व में से वृद्धि लगभग १६ लाख रुपये की होने की आशा है। हम राजस्व में इस को भी नहीं चाहते थे परन्तु गणना करने में इतनी कठिनाई हो रही थी कि हमें पूरी संख्यायें रखनी पड़ीं और इसी कारण हमें यह १६ लाख रुपये मिले।

श्री त्यागी द्वारा दिए गए सुझाव पर वाणिज्य तथा उद्योग को विचार करना होगा क्योंकि यह उनका काम है। यह तो निश्चित है कि बीच के समय में कुछ गड़बड़ी हो, क्योंकि हम पुरानी बातों को देर से ही भूल पाते हैं। आज तक हम रुपये-पैसे आने पाई में ही हिसाब लगाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० बे० गोपाल रेड्डी]

इसलिये इन्हें एक दम भूल जाना कठिन होगा। हमें इन सभी नई बातों का प्रचार करना होगा। जब तक यह प्रचलित नहीं हो जाती तब तक दोनों ही प्रकार की पद्धतियों को हमें लागू रखना होगा अन्यथा बड़ी गड़बड़ी होगी।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, राज्य सरकारें, सभी नई मीट्रिक प्रणाली का प्रचार करने में लगे हुए हैं। मैंने कल हीं मुरादाबाद में देखा था कि मीट्रिक प्रणाली के प्रचार के लिए मुरादाबाद में एक विराट जलूस निकाला जाने वाला था जो वर्षा के कारण नहीं निकाला जा सका। सिनेमाओं में इसका प्रचार किया जाता है। रेडियो, समाचारपत्रों, पुस्तिकाओं के द्वारा इनका प्रचार होता है। यह सब प्रचार कार्य वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और राज्य सरकारें कर रही हैं। मैं आशा करता हूं कि इन सभी प्रचार कार्यों से जनता इनके बारे में पूर्णत: जान जायेगी। श्री त्यागी ने यह ठीक ही बताया है कि मीट्रिक प्रणाली से गणना करने में बहुत आसानी रहेगी क्योंकि इससे १० पर एक यूनिट बन जाती है। १२ इन्च का एक फुट, तीन फुट का एक गज़ आदि का हिसाब लगाने का अब झंझट समाप्त हो जायेगा। इसीलिए संसद् ने १९५६ में इस विधान को पारित किया था। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि आगामी वर्षों में इसके प्रचार में बहुत सावधानी रखी जायेगी। क्योंकि मैं समझता हूं कि प्रचार का तभी अधिक लाभ होगा जब यह बाट तथा भाव बाजार में प्रयोग में लाये जाने लगेंगे। कुछ महीनों तक दोनों पद्धतियों को लागू करके धीरे धीरे मीट्रिक प्रणाली को बढ़ाया जायेगा।

राज्य सरकारों से पाठय-पुस्तकों में परिवर्तन करने के बारे में भी कहा जायेगा। वे भी परिवर्तन करना चाहते हैं। इन पाठ्य-पुस्तकों के ज़रिये मीट्रिक प्रणाली का प्रचार काफी हो सकेगा।

यह बिक्री कर नहीं है कि जब भी बिक्री हो तभी इसको वसूल किया जाये। आम तौर से उत्पादन कर तो मूल स्थान यानी उत्पादन के स्थान पर दिया जाता है इसलिए छोटे छोटे व्यापारियों द्वारा कोई उत्पादन कर देय नहीं होगा और जब उनकी जेब से कुछ नहीं जायेगा तो वह मूल्य क्यों बढ़ायेंगे।

पन्द्रह डिग्री सेन्टीग्रेड के बारे में श्री प्रभात कार ने कुछ कहा है। मैं बताना चाहता हूं कि हम तापमान के कारण हुए परिवतनों को हटाना चाहते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रामाणिक तापमान निर्धारित करने से पैट्रोल उत्पाद दिये जाने में क्या फ़ायदा होगा। ऐसा सिर्फ़ लम्बा चौड़ा हिसाब करने से बचने के लिये किया जा रहा है। माननीय सदस्य जानते हैं कि पैट्रोल, मोटर स्पिरिट तथा मिट्टी का तेल यह सभी उड़नशील पदार्थ हैं। तापमान बढ़ने पर यह बढ़ जाते हैं तथा तापमान घटने पर यह कम हो जाते हैं। १ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होने पर प्रति हजार गैलन में से सवा गैलन पैट्रोल कम हो जाता है और ५ सैंटीग्रेड तापमान कम होने पर प्रति हज़ार गैलन में से ६.२५ गैलन पैट्रोल कम हो जायेगा।

सरकार को वर्तमान दरों के अनुसार लगभग ९.२५ रुपये शुल्क का नुक्सान हो जायेगा। इसी प्रकार यदि तापमान ५ डिग्री सैंटीग्रेड बढ़ जायेगा तो उद्योग को प्रति हजार गैलन पर ९.२५ रुपये अधिक देने पड़ेंगे। व्यवस्था यह है कि शोधन शालाओं से पैट्रोल के उत्पाद बन्दरगाहों पर पहुंचाये जाते हैं जहां पर इनको बन्द टैंकों में रखा जाता है। टैंकों में भरे जाने का तापमान लिख लिया जाता है और जब भी कभी टैंकों में से इनको निकाला जाता है उस समय का तापमान भी लिख लिया जाता है। फिर हिसाब लगाया जाता है कि यह मात्रा उस तापमान पर कितनी होती

जिस पर उसे शुरू में भरा गया था। इस प्रकार इसमें बहुत हिसाब करना पड़ता है। और यदि एक प्रामाणिक तापमान बना लिया जाये तो हम इस लम्बे हिसाब किताब से छुटकारा पा सकते हैं। इस प्रकार पैट्रोल उद्योग तथा प्रशासन दोनों की दृष्टि से इसमें लाभ रहेगा। उपभोक्ताओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हमने प्रामाणिक तापमान १५ डिग्री सैंटीग्रेड मान लिया है ; यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार ही है। समवायों को भी हमने अपने इस विचार को बताया था और उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं की है।

जहां तक बाटों आदि के नामों की कठिनाई का प्रश्न है मैं आशा करता हूं कि आगामी कुछ वर्षों में हम इनके हिन्दी में नाम रख सकेंगे और तब कोई कठिनाई नहीं रहेगी। हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके बारे में संसद् मूल अधिनियम १९५६ में पारित कर चुकी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि उत्पादन शुल्क सम्बन्धी कुछ विधियों में मीट्रिक इकाइयों को लागू करने के उद्देश्य से इन विधियों में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार के विधेयकों को जिन में लम्बे विवरण होते हैं, सरकारी प्रारूपलेखक तैयार करता है। वे अधिनियम बन जाते हैं। यदि कभी कोई मामला इन में रही किसी ग़लती के कारण उठ खड़ा हुआ तो बड़ी कठिनाई हो सकती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के विधेयकों पर मंत्रियों और कुछेक सदस्यों के बीच अनौपचारिक चर्चा हो जाया करे। आयन्दा के लिये मैं यह निदेश दूंगा कि कुछ सदस्य मिल कर ऐसे विधेयकों की जांच किया करें; या इन्हें दो तीन के लिये प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

प्रश्न यह है :

'कि खण्ड २ से ५ विधेयक का अंग बनें।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ से ५ विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : मैं नये खंड ५ के बारे में अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं। खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास अधिनियम की धारा ५ के अनुसार सरकार नियम बना सकती है लेकिन इन नियमों का सभा पटल पर रखने का कोई उपबन्ध नहीं है। इस संशोधन द्वारा मैं यही उपबन्ध करना चाहता हूं।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : यह अनावश्यक है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड ६ विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ७, ८, ९, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, खण्ड १, विधयक का नाम, और अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक को पारित किया जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं 'कि बाट तथा माप के प्रमाप अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।'

यह एक छोटा सा विधेयक है जिस पर विवाद की कोई गुंजायश नहीं है । १९५६ में जब यह अधिनियम पारित किया गया था तब इस को जम्मू और काश्मीर राज्य पर इसलिये लागू नहीं किया गया था क्योंकि संघ सूची की ५०वीं प्रविष्टि उस राज्य पर लागू नहीं थी । हाल में ही संविधान (संशोधन) आदेश, १९६० के द्वारा यह प्रविष्टि उस राज्य पर लागू हो गई है और इसीलिये १९५६ के इस अधिनियम को जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू करने का विचार है ।

यह उपबन्ध किया जा रहा है कि इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम सभा पटल पर रखे जायें और यदि संसद् चाहेगी तो उन नियमों में रूपभेद कर सकती है । मैं इस के बारे में केवल दो एक बातें कहूंगा जिन का आज जिक्र किया गया ।

मेरे मित्र श्री त्यागी ने कहा कि हमें बाट तथा माप की मीट्रिक प्रणाली को एक बार में ही लागू कर देना चाहिये । और पुराने बाटों आदि का प्रयोग बन्द हो जाना चाहिये । अगर हो सकता तो बड़ा अच्छा था, परन्तु ऐसा करने में कुछ कठिनाइयां हैं जिन में एक कठिनाई यह है कि ऐसा करने से हमें लगभग ५०० लाख बाट तथा माप की देश में वितरण के लिये एकदम आवश्यकता होगी जबकि इतने बाट तथा माप तुरन्त बना पाना बड़ा कठिन होगा । संसद् ने इस प्रकार की सभी कठिनाइयों पर ध्यान रख कर ही इस विधेयक को पारित किया था और इन को पूरी तरह लागू करने के लिये दस वर्ष की अवधि निश्चित की थी । १९५८ में कुछ बड़े नगरों तथा राज्यों के कुछ चुने हुए जिलों में एक प्रयोग किया गया जो सफल हुआ और उन क्षेत्रों के लोग बाट तथा माप की मीट्रिक प्रणाली को पूरी तरह जान गये ; प्रचार कार्य किये गये । राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री अभी बता चुके हैं कि नये बाटों के प्रचार के बारे में हम ने क्या क्या कार्यवाही की है । मैं बताना चाहता हूं कि उन सभी क्षेत्रों में १ अक्तूबर, १९६० से दशमिक बाटों को अनिवार्यतः लागू कर दिया जायेगा । बाकी बचे हुए देश में दशमिक बाटों को वैकल्पिक रूप में लागू कर दिया जायेगा । सभी स्थानों पर दो वर्षों तक अन्तर्कालीन स्थिति रखी जायेगी जिस से जनता को नये बाट तथा माप की जानकारी हो जाये और उन को नये बाट उपलब्ध हो सकें । हम प्रयत्न कर रहे हैं कि बीच की यह अवधि कम हो जाय और, जन साधारण की कठिनाइयां दूर हो जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह विधेयक निर्विवाद है क्योंकि इस के द्वारा अधिनियम को जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू किया जा रहा है । मैं आशा करता हूं कि सभा इसे स्वीकार कर लेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : इस विधेयक के बारे में मैं केवल एक बात यह कहना चाहता हूं कि एक विधेयक के पारित हो जाने के बाद दूसरा विधेयक उस अधिनियम को जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू करने के लिये कुछ समय बाद प्रस्तुत कर दिया जाता है और इस प्रकार बड़ा समय नष्ट हो जाता है । इसलिये क्या कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की जा सकती कि विधेयक को पुरः-स्थापित करने से पहले जम्मू तथा काश्मीर राज्य से यह पूछ लिया जाये वह विधेयक को अपने राज्य में लागू करना चाहते हैं अथवा नहीं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मीट्रिक पद्धति का प्रचार बहुत ज़ोर शोर से किया जाना चाहिये जिस से देश की जनता पुराने अंकों में सोचना बन्द कर दे । उस के लिये सब से आवश्यक यह है कि शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय सभी स्कूलों के गणित के पाठ्यक्रम को नई मीट्रिक प्रणाली के अनुसार रख दें ।

मैं मानता हूं कि पुरानी पद्धति को नई पद्धति में बदलने के लिये अधिनियम में दस वर्ष का अन्तर्काल रखा गया है । माननीय मंत्री ने इस बारे में यह भी बताया है कि पुराने बाटों के स्थान पर चलाने के लिये ५०० लाख बाटों की आवश्यकता होगी । मैं उन की इस बात से सहमत हूं कि दस वर्ष का समय उचित समय है क्योंकि हमारा देश पुरातन पंथी अधिक है और उस के पुराने विचारों को बदलने में निश्चित रूप से समय लगेगा । इसीलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरे सुझाव को स्वीकार कर लेंगे कि स्कूलों में बच्चों को मीट्रिक प्रणाली से गणित पढ़ाया जाय । इन दस वर्षों में नई पीढ़ी के बालक इस प्रणाली में ही सोचना आरम्भ कर दें ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : मैं माननीय मंत्री के इस कथन से पूरी तरह सहमत हूं कि यह विधेयक एकदम निर्विवाद है परन्तु एक बात सभा के समक्ष स्पष्ट रूप से रख देना चाहता हूं और वह यह है कि हम सिद्धान्त रूप में संसद् में विधेयकों को यह समझ कर कि वह उत्तम हैं पारित कर देते हैं । परन्तु जब वह व्यावहारिक रूप में हमारे सामने आते हैं तो दूसरा ही चित्र प्रस्तुत होता है । उदाहरण के लिये मैं अपने राज्य की एक घटना बताता हूं । मेरे राज्य में पहले एक सेर १०० तोले का होता था । परन्तु राज्य सरकार ने जब बंगाल बाट तथा माप अधिनियम राज्य में लागू किया उसी दिन से सेर ८० तोले का रह गया । इस प्रकार जो घी ६ रुपये सेर था वह ८० तोले का सेर होने पर भी ६ रुपये का सेर ही रहा जबकि उस के भाव कम हो जाने चाहियें थे । मैं यही बताना चाहता हूं कि इन परिवर्तनों के कारण उपभोक्ताओं को बड़ी हानि उठानी पड़ती है । इसलिये मेरी इस बारे में भी यही आशंका है कि व्यापारी इनका लाभ उठायेंगे और वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायेंगे । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इन बातों का ध्यान रखें ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री ने जम्मू तथा काश्मीर में इस मीट्रिक प्रणाली को लागू करने के लिये कार्यक्रम बना लिया है जिस से पुरानी पद्धति को नई में बदलने में कोई कठिनाई न हो ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : इस के बारे में मैं सरकार को केवल यह बताना चाहता हूं कि मुद्रा तथा बाट आदि को लागू करने से यह मतलब तो नहीं होता है कि एक आदमी लागू कर ले तथा दूसरा न करे। यह तो तभी लागू होते हैं जब एक बाजार में सभी लोग इन को लागू कर लें और वह भी एक निश्चित दिन से।

इस के साथ साथ मैं इस सुझाव से पूरी तरह सहमत हूं कि स्कूलों में गणित के पाठ्यक्रम में हमें मीट्रिक प्रणाली ही अब रख देनी चाहिये जिस से नई पीढ़ी पुरानी प्रणाली में सोचना भी बन्द कर दे। इस से तो इन का प्रचार भी हो जायगा और इन को निश्चित तिथि से लागू कर देने से गड़बड़ी जो होती है वह बन्द हो जायेगी।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : इस सम्बन्ध में मेरा केवल एक सुझाव है कि पुरानी प्रणाली तथा नई प्रणाली के बाट दुकानों में एक साथ रख दिये जायें जिस से उपभोक्ता को पता लग सके कि नये बाट कितने कितने भारी होते हैं और वह उन के अनुसार वस्तुओं की खरीदारी कर ले।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : मेरा अपना ऐसा अनुभव है कि जब भी मुद्रा, बाटों तथा सरकारी कर्मचारियों के वेतन आदि में कोई परिवर्तन किया जाता है तभी व्यापारी वर्ग उस से लाभ उठाता है। इसलिये सरकार को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिस से इस प्रकार की बातें न हो पायें और व्यापारी जनता को धोखा न दे पायें।

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : सभापति महोदय, मेरे ख्याल में यह अत्यन्त निरुपद्रवी, **हार्मलैस** सा बिल है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं एक दो बातें आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इस बात की तरफ आपका बहुत पहले ही ध्यान जाना चाहिये था। अभी हमारे कुछ मित्रों ने बताया है कि दोनों प्रकार के मैजर्स को एक दूसरे के सामने लिख देने से क्या लाभ होता है। एक तरफ तो पाउण्ड, सेर इत्यादि लिखे जा सकते हैं और दूसरी तरफ किल्लोग्राम इत्यादि लिखे जा सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि इतने सेर या इतने पाउण्ड के इतने किल्लोग्राम होते हैं। इस चीज़ को साथ साथ दिखाने से स्पष्ट ही लाभ होते हैं। जिस प्रकार हमने रुपये, आने, पैसे से नये पैसे में सिस्टम को चेंज किया था, उस समय जैसे कहा गया था उसी प्रकार अगर गवर्नमेंट जो महत्व की चीजें हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, काफी है, शुगर है, चाय है, या दूसरी आवश्यक वस्तुयें हैं, इन सब के बारे में छपवाया करे कि इतने सेर इनका वज़न होता है तो इतनी कीमत लगती है और अब इतने किल्लोग्राम होगा तो इतनी कीमत लगेगी तो अच्छा होगा। पुराने मैजरमेंट में अगर यह भाव है, तो नए मैजरमेंट में यह भाव होगा, इस चीज़ को अगर दैनिक पत्रों में कुछ दिनों के लिये छपवाया जाए, तो शायद वह चीज़ दुबारा घटित नहीं होगी, जो कि जोधपुर में हुई है और जिसका ज़िक्र मेरे माननीय मित्र ने किया है। मेरे मित्र ने बताया है कि सौ तोला के बजाय ८२ तोला दिया जा रहा था और इस तरह से १८ परसेंट का मुनाफा लिया जा रहा था। यह बहुत भारी फर्क है। मेरे मित्र जैसे क्या वहां लोग नहीं थे, जो कि इस चीज़ के बारे में झगड़ा करते, इस चीज़ के बारे में लड़ते और क्या उनका यह देखना कर्त्तव्य नहीं था कि कैसे लोगों ने उसे लिया।

यह ठीक है कि जब भी कोई इस तरह की चेंज होती है, तो जो व्यापारी लोग हैं, वे लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और लाभ उठाते भी हैं। व्यापारी वर्ग लाभ न उठा सके, इसी वास्ते तो इस पद्धति को अपनाया जा रहा है। अब इसको जम्मू तथा काश्मीर में लागू किया जा रहा है। वहां पर काफी

---

†मूल अंग्रेजी में

संख्या में लोग अशिक्षित हैं और इसवास्ते यह और भी जरूरी है कि इसका खूब प्रचार किया जाए। मैं चाहता हूं कि जो खाद्य पदार्थ हैं, जो दैनिक आवश्यकताओं की चीजें हैं, उनके पुराने भाव और नए भाव, दोनों ही छपवाये जाने चाहियें और उनका काफी प्रचार दैनिक पत्रों में किया जाना चाहिये।

†**श्री सतीश चन्द्र** : श्रीमान्, मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने विधेयक को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है। कुछ माननीय सदस्यों ने अवश्य कुछ शंकायें उठाई हैं परन्तु यह सभी शंकायें लगभग उसी प्रकार की हैं जैसी चार वर्ष पहले संसद् में उठाई गई थीं। समाचार पत्रों तथा सार्वजनिक सभाओं में भी इसके बारे में उस समय बहुत कुछ कहा गया था और इसीलिये इस सभा ने १९५६ के अधिनियम को पारित किया था और मीट्रिक बाट तथा मापों को स्वीकार किया था।

मुझे मीट्रिक बाटों तथा मापों की उपयोगिता के बारे में उठाये गये सन्देहों को सुन कर कुछ आश्चर्य हुआ क्योंकि सभी जानते हैं कि देश में आज भिन्न भिन्न प्रकार के बाट तथा माप प्रचलित हैं और इनको एक समान करना नितान्त आवश्यक है।

इसकी आवश्यकता समझ कर यह निर्णय करना कि कौन से बाट तथा माप को लागू करना हितकर होगा बड़ा कठिन काम था और अन्त में हमने यही ठीक समझा कि मीट्रिक प्रणाली सर्वोत्तम प्रणाली है क्योंकि संसार के अधिकांश देशों में इसका प्रचलन है।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को एक गलतफहमी भी हो गई है कि अधिनियम में १० वर्ष के अन्तर्काल की व्यवस्था है। सही स्थिति यह है कि किसी भी क्षेत्र में बाट तथा माप लागू करने से पूर्व उस क्षेत्र में प्राथमिक कार्य किया जाता है। जैसे केन्द्रीय सरकार केवल बाट तथा माप के प्रमाप निश्चित कर देती है और उनको लागू करने का काम राज्य सरकारों का होता है। राज्य सरकारें अपनी विधान सभाओं में इसे लागू करने आदि के बारे में विधान बनाती हैं जिसमें बाट तथा माप के निर्माण, इनको चालू करने के निदेशालय आदि के उपबन्ध होते हैं। इस प्रकार के कामों में समय लगता है।

जम्मू तथा काश्मीर राज्यों को भी इसी प्रकार का विधान पारित करना पड़ेगा और तभी यह नये बाट तथा माप राज्य में लागू हो पायेंगे।

सामान्यतः अन्तर्काल दो वर्ष रखा गया है और जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि इनको कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तथा विशिष्ट उद्योगों में लागू किया गया था और उन क्षेत्रों का अन्तर्काल १ अक्तूबर १९६० को समाप्त हो जायेगा। बाटों को लागू करने के सम्बन्ध में २ वर्ष का अन्तर्काल इस तिथि से आरम्भ होता है। इसलिये अब लागू करने की व्यवस्था करनी होगी। बाट तथा माप बनाये जायेंगे और फिर उनका वितरण किया जायेगा। एक निदेशालय बनाया जायेगा। जनता को इनके बारे में बताया जायेगा। अभी हम केवल बाटों को लागू कर रहे हैं। माप आदि के सभी भार लागू करने में १० वर्ष लगेंगे।

मैं स्पष्टतः बताना चाहता हूं कि पोस्टरों, पुस्तिकाओं, परिवर्तन सूचियों, समाचार पत्रों में लेखों, विशेष पत्रिकाओं, सीनेमा स्लाइडों, वृत्त चित्रों आदि के द्वारा जनता में इनके प्रचार की व्यवस्था की गई है। यदि जनता इन सभी प्रकार के कार्यों से इनके बारे में नहीं जान पाती है तो मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपना सहयोग दें और जनता में इसका प्रचार करें।

श्री प्रभात कार, श्री त्यागी आदि ने पाठ्य पुस्तकों के बारे में जो सुझाव दिये हैं वह ठीक ही हैं और उस दिशा में उपयुक्त कदम निश्चित रूप से उठाये जायेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि हम तीन

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सतीश चन्द्र]

अथवा चार वर्षों से शिक्षा विभाग से सम्पर्क बनाये हुये हैं और मीट्रिक प्रणाली के आधार पर नई पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं। पुरानी पाठ्य पुस्तकों के अनुसार एक दम पढ़ाना तो बन्द नहीं किया जा सकता। राज्य सरकारों ने हमें आश्वानसन दिया है कि नये संस्करण तथा नई पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित होने पर नये बाट तथा मापों के अनुसार पढ़ाने पर अधिक जोर दिया जायेगा। नई पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन से पहले ही शिक्षा विभाग ने विभिन्न राज्य सरकारों से कहा है कि मीट्रिक प्रणाली का भी बच्चों को समुचित ज्ञान कराया जाये।

श्री माथुर ने जो अपना अनुभव बताया मैं समझता हूं कि उनका यह अनुभव १९५६ से पुराना है। क्योंकि इस वर्ष बाट तथा माप की मीट्रिक प्रणाली का अधिनियम बन जाने के बाद राजस्थान सरकार कभी भी १०० तोले के सेर को ८० तोले का करने के बारे में कदम नहीं उठायेगी। यह निश्चित है कि १९५६ के बाद बाटों तथा मापों में जो परिवर्तन राजस्थान में हुए हैं वह उनको मीट्रिक बनाने के बारे में ही हुए है।

सतर्कता तथा कुवृत्ति के बारे में राज्य सरकारें पूरी तरह जागरुक हैं। एक कठोर संगठन बना दिया है तथा मैं आशा करता हूं कि यह संगठन समस्या को पूरी तरह हल कर लेगा। सम्भव है आरम्भ में कुछ कठिनाइयां हों परन्तु धीरे धीरे सभी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। दशमलव मुद्रा प्रणाली लागू करते समय भी यह कठिनाइयां हमारे सामने आई थीं जिनको दूर किया गया। मैं आशा करता हूं कि बाट तथा माप की दशमलव प्रणाली लागू हो जाने पर जनता इसका बहुत स्वागत करेगी।

परिवर्तन सूचियों को बांटा जा रहा है। राज्य सरकारों, जिला अधिकारियों तथा राज्यों के प्रचार संगठनों ने काम को आगे बढ़ाने के लिये उचित कदम उठाये हैं। इस विधेयक की व्याप्ति तो सीमित ही है क्योंकि इससे केवल पहले पारित अधिनियम को जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू किया जा रहा है।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि बाट तथा माप के प्रमाप अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २, ३, १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २, ३, १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय मज़दूर संघ (संशोधन) विधेयक

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) अधिनियम, १९२६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

यह विधेयक बड़ा सरल और अविवादस्पद है । यह विधेयक देश में ठोस आधार पर मजदूर संघ आन्दोलन के विकास में सहायक होगा । इस संशोधन विधेयक के उपबन्धों पर त्रिदलीय सम्मेलनों में भी कई बार चर्चा हो रही है । और इस संशोधन विधेयक को उसी चर्चा और तत्पश्चात हुए निर्णयों के आधार पर ही तैयार किया गया है ।

एक सुझाव यह है कि मजदूर संघों की सदस्यता चाहने वाले किसी व्यक्ति का कम से कम चन्दा निर्धारित कर दिया जाये । इस समय कुछ राज्यों में चन्दे के सम्बन्ध में वहां के अधिनियमों में कोई एकरूपता नहीं है । कई स्थानों पर जहां ये अधिनियम लागू नहीं हैं २५ नये पैसे वर्ष तक चन्दा है । मजदूर संघों के चन्दे में एकरूपता हो और उनके पास अपनी कुछ धनराशि भी हो जाय जिसका कि समय आने पर कुछ उपयोग किया जा सके, इस उद्देश्य को समक्ष रख कर ही हम यह विधेयक लाये हैं । इस उपबन्ध का न होना मजदूर संघ विधि की एक कमी थी जिसे अब दूर कर दिया जा रहा है ।

एक संशोधन द्वारा रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा नामजद व्यक्ति को मजदूर संघों के कागज पत्रों का निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है । इसका उद्देश्य यह है कि संघ उचित ढंग से काम करें और उनके सदस्यों के हित सुरक्षित रहें । आज स्थिति यह है कि हिसाब किताब, कार्यवाही विवरण तथा अन्य आवश्यक कागज पत्र ठीक प्रकार से न रखे जाने के कारण बहुत से विवाद हो जाते हैं । साथ ही मजदूरों से अनुचित लाभ उठाने के लिये मजदूर संघ बना लिये जाते हैं । अतः इस उपबन्ध का उद्देश्य यह है कि मजदूर संघों के सदस्यों के हितों की रक्षा की जाय । हमारा इरादा मजदूर संघों के काम में दखल देने का नहीं है । जहां सन्देह होगा और कोई शिकायत आयेगी, केवल वहीं रजिस्ट्रार कागज पत्रों का निरीक्षण कर लेगा ।

अगला संशोधन रजिस्ट्रेशन के लिये उन आवेदकों के सम्बन्ध में है जो कि रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन पत्र देने के योग्य नहीं रहते । इस सम्बन्ध में काफी कठिनाई देखने में आई है । कुछ स्थानों पर ऐसा भी हुआ है कि अपेक्षित संख्या में व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दे दिया, पर उसके बाद उन पर दबाव डाल कर आवेदन पत्र वापिस करवा दिया गया । कुछ ऐसे भी मामले हुए हैं, जब उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया और इसके बाद यह आपत्ति की गयी कि चूंकि वे लोग उस मालिक की नौकरी में नहीं है, अतः उनके संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता । इस सम्बन्ध में आने वाली विविध प्रकार की कठिनाइयों को संशोधन द्वारा हल कर दिया गया है ।

चूंकि वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत सभी अधिकार रजिस्ट्रार के पास हैं, अतः कार्य को निपटाने में देर हो जाना स्वाभाविक है । इस संशोधन द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार अथवा अतिरिक्त रजिस्ट्रार को भी समुचित अधिकार दिये जा रहे हैं । इससे यह भी होगा कि किसी राज्य के गांव में या ज़िला हेडक्वार्टर्स में स्थित संघों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि रजिस्ट्रार का कार्यालय तो राज्य के प्रधान कार्य स्थल पर होता है । इसमें उद्देश्य यह है कि अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया जाये और राज्य सरकारों को डिप्टी •रजिस्ट्रारों या अतिरिक्त रजिस्ट्रारों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आप्रिद अली]

को शक्ति देने का अधिकार हो ताकि मजदूर संघों को अपने काम में कठिनाई न उठानी पड़े। यही इस संशोधन विधेयक के मुख्य उपबन्ध हैं।

†सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरी राय में संघों की मान्यता के सिद्धान्तों तथा तत्सम्बन्धी मामलों को साथ रख कर एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में अखबारों में भी चर्चा हुई है। 'टाइम्स आफ इंडिया' के १९ अगस्त के अंक में इस सम्बन्ध में एक अग्रलेख भी प्रकाशित हुआ था जिसमें कहा गया है कि सरकार को एक एक करके संशोधन लाने की आदत पड़ गई है; जब जोर दिया जाता है तो कह देती है कि एक व्यापक विधेयक आने वाला है। २५ नया पैसा चन्दा निर्धारित करना ठीक ही है। अभी देश का मजदूर इतना समक्ष नहीं हुआ कि इससे अधिक कुछ दे सके। लेकिन मेरी राय में सरकार को संघों की मान्यता आदि के बारे में उपबन्ध करके एक व्यापक विधेयक लाना चाहिये था।

मैंने अपने संशोधन प्रस्तुत किये हैं। प्रथम संशोधन अतिरिक्त रजिस्ट्रारों के सम्बन्ध में है। यह बात समझ में नहीं आई कि अतिरिक्त रजिस्ट्रार क्यों नियुक्त किये जा रहे हैं। डिप्टी या उप रजिस्ट्रारों से ही काम चल सकता है। इन उप रजिस्ट्रारों को सभी अधिकार दिये जाने चाहिएं ताकि वे उचित प्रकार से निरीक्षण करके कार्य कर सकें। मेरा मत है कि अतिरिक्त रजिस्ट्रारों सम्बन्धी उपबन्ध हटा देना चाहिए।

दूसरा संशोधन चन्दे के सम्बन्ध में है। मेरा निवेदन है कि कई बार प्रत्येक सदस्य से २५ नये पैसे इकट्ठे करने कठिन हो जाते हैं, अतः अच्छा है कि यह चन्दे की राशि ३ रुपये वार्षिक कर दी जाय। इसके साथ ही खेतिहर मजदूरों तथा मौसमी उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के संघों के सम्बन्ध में चन्दा सम्बन्धी उपबन्ध लागू नहीं होना चाहिए। खेतिहर मजदूर बहुत गरीब हैं, उनके लिए न्यूनतम मजूरी भी निर्धारित नहीं की गयी है। मौसमी कारखाने साल में केवल ४ या ५ महीने चलते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि कुछ लोगों की सदस्यता बिना नियमित चन्दा दिये बनी रहेगी। यदि मेरा संशोधन स्वीकार न किया गया तो रजिस्ट्रार के पास हिसाब किताब भेजते समय, इस में यह त्रुटि रह जाया करेगी।

मेरा अन्तिम संशोधन विधेयक के पृष्ठ २ पर "अन्य कागज़ पत्रों" शब्दों को हटाने के बारे में है। इसको स्पष्ट किया जाना चाहिये और इन शब्दों के स्थान पर "कार्यवाही-सारांश पुस्तिका" रख दिया जाना चाहिये। अगर शब्द अस्पष्ट रखे गये तो कुछ नियोजक रजिस्ट्रार से मिल कर संघ के सदस्यों के नाम, पते वगैरा भी मालूम कर सकेंगे। मेरी राय में इतने अनिश्चित अधिकार रजिस्ट्रार को देना मजदूरों के हित की बात नहीं होगी।

अन्त में मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार का एक उपबन्ध होना चाहिए कि संघ वेतन टेबल पर ही चन्दा ले सके। इससे चन्दा एकत्रित करने की कठिनाइयां बहुत सीमा तक दूर हो जायेंगी। मुझे आशा है कि यदि मंत्री महोदय मेरे संशोधनों को स्वीकार कर लेंगे तो इससे मजदूर संघ मजबूत होंगे। उन्होंने स्वयं ही माना है कि इसी उद्देश्य से वह इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे भी मेरे संशोधन किसी भी प्रकार विवादास्पद नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामसिंह भाई वर्मा (निमाड़) : सभापति महोदय, जो बिल पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं किन्तु समर्थन के साथ साथ जो ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अन्दर खामियां हैं वह भी श्रीमान् के ध्यान में लाना इस समय में जरूरी समझता हूं ।

चूंकि आज देश के अन्दर औद्योगिक विकास हो रहा है और औद्योगिक विकास के साथ साथ अगर ट्रेड यूनियंस का विकास नहीं होता है और ट्रेड यूनियंस स्ट्रांग नहीं बनती हैं तो यह देश के हित में भी नहीं है और उद्योगों के हित में भी नहीं है क्योंकि इस कमी को लेकर पूंजीवाद पनप सकता है और अधिक से अधिक दुःख देश की जनता और कंज्यूमर्स को उठाना पड़ता है । इसलिए यह जरूरी है कि जहां ट्रेड यूनियनों का विकास हो वहां उसी के साथ साथ वे मजबूत हों और मजबूत वे तभी हो सकती हैं जब कि वे स्वतन्त्र चलें और उन की आर्थिक हालत सुधरती जाय ।

इस बिल के अन्दर जो दो बातें रखी गई हैं उन दो बातों का मैं खास तौर से जिक्र करना चाहता हूं और वे बहुत जरूरी हैं । एक तो यह कि ट्रेड यूनियंस चलती हैं उनके मेम्बर्स चन्दा क्या देते हैं । वह चन्दे की रकम बढ़ा कर ४ आने माह रखी गई है । मेरे खयाल से तो वह भी कम है क्योंकि जो ट्रेड यूनियन मैं चलाता हूं उस में कम से कम चन्दे की रकम ८ आने महीना मैं लेता हूं और लगभग २ रुपये महीने तक है और जो मेम्बर बनते हैं वे खुशी से देते हैं लेकिन शर्त्त यह है कि वे ट्रेड यूनियनें हों और वे एम्पलाईज के और श्रमिकों के हित में चलती हों । उनका हिसाब किताब इतना स्वच्छ हो कि श्रमिकों को यह लगे कि यहां चन्दा देने में उनका हित है । चन्दा न देने की गड़बड़ी और कठिनाई वहां पर पैदा होती है जहां श्रमिकों को विश्वास नहीं होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि जो चन्दे की रकम हम देते हैं उस का उपयोग हमारे हित में नहीं हो रहा है और जब श्रमिक यह देखते हैं कि हमारे हित में नहीं हो रहा है तो वे चन्दा देना बन्द कर देते हैं । लेकिन यह मैं अपने ज़ाती अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जहां पर ठीक से काम होता है और उनके दिये हुए पैसे का मज़दूरों और श्रमिकों के हित में उपयोग होता है वहां चन्दा न देने की कोई गड़बड़ी और कठिनाई पेश नहीं आती और वे सहर्ष अपना चन्दा यूनियन में दे देते हैं और ज्यादा से ज्यादा चन्दा देने में भी नहीं हिचकते । जिस ट्रेड यूनियन में मैं काम करता हूं उस में २२ हजार मजदूर काम करते हैं और सन् १९५७ में उसकी सालाना इनकम ७० हजार रुपये थी । और अभी जो उसकी इनकम है, वह लगभग डेढ़ लाख के करीब है । मेम्बर उतने ही हैं । २२,००० मज़दूर इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिन में से १८,००० मज़दूर हमारे मेम्बर हैं । लेकिन उन से १९५७ में जो ७०,००० रुपये की रकम चन्दे से आती थी, उतने ही मेम्बरों से वह रकम डेढ़ लाख साल की आती है । क्यों आती है ? हम उन का चन्दा बढ़ाते हैं, तो भी वे देते हैं । वे समझते हैं कि जो रकम वे हम को दे रहे हैं, उस का उपयोग हमारे हित में होगा । सही ट्रेड यूनियन चलाने वालों को इस बात पर एतराज़ नहीं होना चाहिए कि चन्दे की रकम क्यों बढ़ाई जा रही है । हम देखते हैं कि हमारे देश में यह भावना है कि खाना बना कर पहले ठाकुरजी को भोग लगाया जाता है । थाली सजा कर ठाकुरजी के सामने क्यों रखी जाती है ? हमारी देवियां, मातायें और बहनें थाली सजा कर पहले पति और बच्चों के सामने नहीं रखतीं, बल्कि पहले वे उस को भगवान के सामने रखती हैं । वे जानती हैं कि भगवान उस खाने को खाने वाला नहीं है, हम ही खाने वाले हैं । अगर भगवान खाने लग जाये, तो कोई देवी भगवान के सामने थाली रखने वाली नहीं है । यह एक मानी हुई बात है कि लोग मानते हैं कि जो वे चाहते हैं, वह इसलिए कि वह उन्हें वापस मिल जाता है । अगर देवता चढ़ाये हुए को खाने लग जायें, तो देवता को कोई चढ़ाने वाला नहीं है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे साथियों ने जो चार आने चन्दे का विरोध किया है वह ठीक नहीं है । जो लोग हमारी ट्रेड यूनियन के मेम्बर बने, वे विश्वास के साथ बने । जब हम

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

पहले ट्रेड यूनियन में काम करते थे, तो हमारे विरोधी साथी बिना चन्दा लिए हुए मेम्बर बनाते थे। हम ने चार पैसे से शुरुआत की, जब कि वे बिना चन्दा लिए मेम्बर बनाते थे। जब हम ने दो आने किया, तो उन्होंने एक आना चन्दा रख दिया और उस में भी वे उधार मेम्बर बनाते थे। श्रीमन्, उधार में तो बहुत मेम्बर बन जायेंगे।

मैं आप को बताना चाहता हूं कि मैं उज्जैन गया था और वहां की ट्रेड यूनियन वालों ने लाउड स्पीकर से एलान किया कि रामसिंह भाई यहां आ रहे हैं, फ़लां जगह आम सभा होगी और उन का भाषण होगा। जब लाउड स्पीकर से सारे शहर में एलान किया गया, तो दोपहर के टाइम कुछ आदमी मेरे पास आफ़िस में, जहां मैं ठहरा हुआ था, पहुंचे और मुझ से कहने लगे कि हमारे बोनस का क्या हुआ ? मैं ने कहा कि तुम्हारे बोनस का कैसे ? कहां काम करते हो ? उन्होंने कहा कि हम मिल में काम नहीं करते हैं, हम तो ठेला ढोते हैं, जब कोई बाजार में माल खरीदता है, तो पहुंचा देते हैं। मैं ने कहा कि फिर बोनस का सवाल क्या है ? उन्होंने कहा कि हम विनोद मिल में माल लेकर गये थे, तो गेट पर हमसे दस्तखत कराये गये कि इस एप्लिकेशन पर दस्तखत कर दो। हम इस को रामसिंह भाई को देंगे, जो कि तुम को बोनस दिलायेंगे। तथ्य यह है कि लाल झंडा यूनियन ने यह आन्दोलन चलाया कि मजदूरों को बोनस मिलना चाहिए और वह रामसिंह भाई दिला सकते हैं। इसलिए मिल के गेट पर छपे हुए फ़ार्म लेकर खड़े हो गये और जो वहां आया, उस के दस्तखत ले लिए गये। जो ठेला ले कर वहां आया, उस के भी दस्तखत ले लिये गये और उनका नाम मैम्बरों के रजिस्टर में लिख लिया गया। यह हाल हमारी ट्रेड यूनियन्ज़ का चल रहा है ! इसलिए यह निहायत ज़रूरी है कि मेम्बर चन्दा अच्छी तरह समझ कर दें। यह बिल बहुत लेट लाया गया है। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में लेबर पालिसी के विषय में कहा गया है कि हमारे देश की ट्रेड यूनियन्ज़ की हालत बहुत खराब है, उन की हालत सुधारनी चाहिए, उन की आर्थिक हालत सुधारनी चाहिए और आर्थिक हालत सुधारने का एक ही ज़रिया होता है और वह यह कि चन्दे की रकम को, दर को बढ़ाया जाये। मेरी तो लेबर मिनिस्ट्री से यह शिकायत है कि उस ने बहुत देरी की, इस को द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के शुरू में रखना चाहिए था, क्योंकि यह तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट को मज़बूत करने की बात है।

रजिस्ट्रार को मेम्बरशिप, एकाउण्ट्स और मिनटबुक वग़ैरह वगैरह देखने के जो अधिकार दिये गये हैं, मैं उस का समर्थन करता हूं, क्योंकि अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं और सही मेम्बरशिप रखते हैं और कोई गलत काम नहीं करते हैं, तो हम को कोई भी कागज़ वगैरह दिखाने पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिये। हमारे कार्यालय में आ कर अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ देखता है, तो हमें अभिमान होता है। मैं अपने कार्यालय में चौबीस घंटे के लिये एक आदमी रखता हूं और हमारे प्राइम मिनिस्टर से ले कर देश-विदेश के, एशिया के कम्युनिस्ट वहां आये हैं। उन्होंने आ कर मेरे एकाउंट्स देखे, मेम्बरशिप देखी और मेरा कार्य देखा, तो उन को यह कहना पड़ा कि इतनी अच्छी व्यवस्था हम ने अपने देश में नहीं देखी। यह मैं कम्युनिस्टों की बात कह रहा हूं और उन का यह लिखा हुआ मेरे पास है। मेरे कार्यालय के बारे में उन्होंने कहा कि आप के यहां जो व्यवस्थित कार्यालय है, वह हमारे देश में भी नहीं है। मैं भी उन के यहां की अवस्था देख कर आया हूं। वे सरकारी मकानों में डेरे डाले हुए हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर रजिस्ट्रार आ कर यह चेकिंग करता है कि हमारी मेम्बरशिप कितनी है, हिसाब सही है या नहीं, तो इस में कोई आबजेक्शन नहीं होना चाहिये। क्यों

होना चाहिये ? लेकिन आबजेक्शन उन को होता है, जो रास्ते पर खड़े हुए, रास्ते पर चलते हुए आदमियों के नाम लिख लेते हैं कि अनाज सस्ता करायेंगे, इस कागज़ पर दस्तखत कर दो और जो दस्तखत कर दे, उस का नाम उन के मेम्बरशिप के रजिस्टर पर चढ़ जाता है । वह खदान में काम करता है, मिल में काम करता है, कहीं काम करता है, इस से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है । ऐसे लोगों को आबजेक्शन हो सकता है कि रजिस्ट्रार को ये पावर्स क्यों दी जा रही हैं । मैं तो मानता हूं कि देनी चाहियें ।

मैं ने पहले भी ज़िक्र किया था कि रजिस्ट्रार महोदय एक यूनियन के आफ़िस में पहुंचे और कहा कि अपनी मेम्बरशिप का रजिस्टर बताओ, तो जवाब दिया गया कि हमारे सेक्रेटरी साहब शादी में गये हैं । जब उन्हों ने कहा कि अपनी एकाउंट्स बुक्स दिखाओ, तो कहा गया कि हमारे कैशियर और एकाउंटेंट इन्दौर में मौजूद नहीं हैं । जब पूछा गया कि कब आयेंगे, तो बताया कि सात दिन के बाद आयेंगे, यानी सात दिन में तो सब कुछ नया बनाया जा सकता है । जब यह चीज़ हमारे सामने आई, तो हम ने रजिस्ट्रार को महसूस कराया कि इन का एकाउंटेंट और कैशियर एक ही आदमी है और आप को यह कहा गया है कि वह सात दिन में आयगा और वह इन्दौर में मौजद नहीं है, वह अमुक मिल में अमुक डिपार्टमेंट में फ़िटर का काम कर रहा है और उस रोज़ भी और जिन सात दिनों के बारे में कहा गया है, उन दिनों भी वह वहां हाज़िर रहा ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि रजिस्ट्रार को जो पावर्ज़ दी गई है, उस के लिये हमें कोई आबजेक्शन नहीं है, लेकिन आबजेक्शन यह है कि अगर रजिस्ट्रार जाता है ट्रेड यूनियन के आफ़िस में और उसे एकाउंट्स बुक नहीं दिखाई जाती है, उसे मेम्बरशिप रजिस्टर नहीं दिखाया जाता है, तो गवर्नमेंट कार्यवाही क्या करने वाली है ? कुछ नहीं । जब तक उस में यह नहीं होता है कि अगर एकाउंट्स बुक, मेम्बरशिप रजिस्टर या मिनट बुक, या कोई दूसरी मांगी हुई चीज़ नहीं दिखाई गई,तो अमुक अमुक कार्यवाही की जायगी, तब तक इस व्यवस्था का कुछ लाभ नहीं होगा । बिना कार्यवाही के गवर्नमेंट की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है और फिर अधिकारियों को कोई गिनने वाला नहीं है । इसलिये इस बात का विरोध किया जाता है कि यह न दिखाया जाये, वह न दिखाया जाये ।

मेम्बरशिप के बारे में फ़िगर्ज़ समय समय पर हाउस के सामने आये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जिस सेंट्रल आरगनाइज़ेशन एटक ने १९५२-५३ में अपनी मेम्बरशिप ६,७५,००० क्लेम की थी, उस की मेम्बरशिप २,१०,००० निकली । कुछ ही अरसा पहले आई० एल० ओ० में एक आबजेक्शन उठाया गया था और आई० टी० यू० सी० वालों ने आबजेक्शन उठाया था कि हिन्दुस्तान में प्रतिनिधि संस्था और ज्यादा मेम्बरशिप वाली संस्था एटक है और इनटक नहीं है और गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने इनटक के प्रतिनिधि आई० एल० ओ० में क्यों भेजे । डांगे साहब ने कलकत्ता में यह स्टेटमेंट दिया कि हमारी पन्द्रह लाख मेम्बरशिप है, जबकि इनटक की मेम्बरशिप पन्द्रह लाख से कम है । गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से इन फ़िगर्ज़ को वेरिफ़ाई किया गया है । सन् १९५८-५९ के अन्दर डांगे साहब ने कलकत्ता के अन्दर स्टेटमेंट में क्लेम किया था कि उन के १५ लाख मेम्बर हैं, आई० एल० ओ० के अन्दर भी उन्होंने आई० एन० टी० यू० सी० के विरुद्ध आब्जेक्शन किया था, लेकिन उन्हों ने गवर्नमेंट को जो स्टेटमेंट सबमिट किया कि उन की मेम्बरशिप क्या है, उसमें उन्होंने बताया १० लाख ८६ हजार । वहां तो उन्होंने कहा १५ लाख और गवर्नमेंट को जो स्टेटमेंट दिया उस में लिखा १० लाख ८६ हजार मेम्बरशिप (अन्तर्बाधा) और वेरिफाई करने के बाद जिस मेम्बरशिप को वे १० लाख ८६ हजार बतलाते थे वह निकली ५ लाख ७ हजार, यानी ५० परसेन्ट । उनके हाथों से ही कितना रिडक्शन हुआ, मैं उस को दिखला रहा हूं । इतना ही नहीं, सन् १९५८-५९ के अन्दर जो क्लेम था १४ लाख का वह सन् १९५८-५९ में १० लाख का रहा और सन् १९५७-५८ में वेरिफाई करने से जो मेम्बरशिप ५

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

लाख ३७ हजार की निकली थी, वह सन् १९५८-५९ के अन्दर ५ लाख ७ हजार रह गई। यानी यह फिगर्स नीचे जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे हैं।

†श्री ओझा (झालावाड़) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह विधेयक हमारे मजदूर संघ आन्दोलन को स्वस्थ तथा ठोस आधार पर विकसित करने की दिशा में एक कदम है। मजदूर संघ आन्दोलन अभी हमारे देश में पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया है। आज देश में जो औद्योगिक अशांति दिखाई देती है उस का एक मुख्य कारण अभाव है।

२५ नये पैसे मासिक चन्दा लेने का उपबन्ध मजदूर संघ आन्दोलन को एक ठोस आधार पर आगे बढ़ायेगा। मैं इस बात के पक्ष में नहीं कि चन्दा वार्षिक लिया जाय। मासिक चन्दा देने से मजदूरों को अपने संघ की प्रतिदिन की गतिविधियों में रुचि लेने का अवसर मिलेगा। अभी तो मजदूरों की रुचि इस ओर तब ही होती है जबकि मालिक के सामने कुछ मांगें रखनी होती हैं।

चन्दा वेतन में से काटने का मैं पक्ष में नहीं हूं। यह बात मजदूरों की इच्छा पर छोड़ दी जानी चाहिये। यदि ऐसा न किया गया तो किसी भी मजदूर को किसी विशिष्ट मजदूर संघ में शामिल होने के लिये परेशान किया जा सकेगा। मैं अपने माननीय मित्र के संशोधनों का समर्थन नहीं कर सकता। मैं विधेयक का स्वागत करता हूं और मंत्री महोदय को इस के लिये मुबारकबाद देता हूं।

†श्री राजेन्द्र सिंह (छपरा): मजदूर संघ आन्दोलन को एक स्वस्थ तथा शक्तिशाली आधार पर लाने के लिये यह विधेयक काफी नहीं है। देश में जो तीव्रगति से औद्योगीकरण हो रहा है, इस के उपबन्ध उस के अनुरूप नहीं हैं। अतः मेरा मत है कि श्रम मंत्रालय को सभी जरूरतों को पूरा करने वाला एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये।

देश में मजदूर संघ की प्रगति में सब से बड़ी रुकावट यह है कि सरकार मजदूर संघ क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। इसी उद्देश्य से 'इन्टक' का निर्माण किया गया है। हो सकता है कि उप-रजिस्ट्रार को जो निरीक्षण के अधिकार दिये जा रहे ह, वे उन का अनुचित लाभ उठायें। एक और कठिनाई यह है कि उन सच्चे मजदूर संघों को, जिन को बहुसंख्यक सदस्यों का विश्वास प्राप्त है, मान्यता नहीं दी जाती। उनकी मान्यता का विनियमन करने के लिये कुछ वैधानिक उपबन्ध होने चाहियें।

†श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जब तक आप गुप्त मतदान के आधार पर मजदूर संघों को मान्यता देने का सिद्धान्त स्वीकार नहीं करते, तब तक मजदूर संघ आन्दोलन अपनी उन कठिनाइयों से मुक्त नहीं हो सकता, जोकि इस समय उनके सामने हैं।

मैं माननीय सदस्य, श्री बनर्जी से सहमत हूं कि अतिरिक्त रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार रखने का कोई लाभ नहीं। जब तक विचार यह नहीं हो कि एक सीमित क्षेत्र के सम्बन्ध में रोजाना के काम को सुविधाजनक बनाने के लिये अतिरिक्त रजिस्ट्रार को वैसे ही अधिकार होंगे जैसे कि रजिस्ट्रार को है, तब तक ऐसा पद बनाने का कोई लाभ नहीं है। यह बात भी ठीक ही है कि खेतिहर मजदूरों तथा मौसमी कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को संघों के चन्दे से मुक्त रखा जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक मुझे याद है त्रिपक्षीय सम्मेलन में यह निश्चय नहीं हुआ था कि उप रजिस्ट्रार को इतने अधिकार दिये जाएं कि वह किसी भी संघ से कोई भी कागज पत्र मांग सके। इस से संघों के आन्तरिक कामों में हस्तक्षेप होता रहेगा।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

यह बात पूर्णतः स्पष्ट कर देनी चाहिये कि रजिस्ट्रार किन कागज पत्रों को निरीक्षण के लिये मांग सकता है। इस बारे में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है कि वह किस ढंग से अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह निरीक्षण किस समय किया जाये, इस का निर्णय करते हुए मजदूर संघों की सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिये।

चन्दे के सम्बन्ध में भी मेरा मत यह है कि वार्षिक आधार पर चन्दा एकत्रित करने की अनुमति होनी चाहिये। अतः मेरी माननीय उपमंत्री से अपील है कि उन्हें श्री बनर्जी के संशोधन स्वीकार कर लेने चाहियें। इस में मजदूर संघों के हित की ही बात है।

श्री रामकृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : मैडम चेयरमैन, मैं मौजूदा बिल का, जो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट को अमेंड करने के लिये पेश किया गया है, स्वागत करता हूं। जैसाकि स्टेटमेंट आफ़ आबजेक्ट्स एण्ड रीज़न्ज़ में कहा गया है, इस एक्ट को इसलिये अमेंड किया जा रहा है कि सोलहवीं और सत्रहवीं ट्राइपार्टाइट कांफ़्रेंसिज़ ने कुछ रीकमेंडशन्ज़ की थीं और उन की रौशनी में इस एक्ट को अमेंड किया जा रहा है।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

जहां तक उन सिफ़ारिशों का ताल्लुक है, मैं इस बारे में सिर्फ दश तीन बातें हाउस के सामने रखना चाहता हूं। सब से पहला सवाल यह है कि और ज्यादा, एडीशनल और डिप्टी रजिस्ट्रार मुकर्रर किय जायेंगे। यह इसलिये किया जा रहा है कि ट्रेड यूनियन्ज़ के रजिस्ट्रेशन का काम असानी से हो सके। आज हम देखते हैं—और जो दोस्त ट्रेड यूनियन मूवमेंट में काम करते हैं, उन को काफ़ी एक्सपीरियन्स है—कि हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार होने से इस काम में काफ़ी दिक्कत आती है और एक मामूली सी यूनियन को रजिस्टर्ड करवाने मे काफ़ी अरसा लग जाता है। इसलिये ऐसा करने से काफी फायदा होगा। जहां तक इसका सम्बन्ध है कि डिप्टी रजिस्ट्रार हो या डिप्टी रजिस्ट्रार और एडिशनल रजिस्ट्रार दोनों हों, इसके बारे में मैं समझता हूं यह कोई अधिक कंट्रोवर्सी का प्वाइंट नहीं है। लेकिन हमारी पालिसी यह होनी चाहिये कि आफिसर कम से कम हों। अगर कम से कम आफिसर रखे गये तो जो प्रोसीजर होगा वह सिम्पल होगा और मजदूर आसानी से उसे समझ सकेंगे। आज हम देखते हैं कि बहुत से आफिसर्स मुकर्रर कर दिये जाते हैं उस सूरत में जब कि उनकी ड्यूटीज़ यकसां होती हैं और इससे काफी कन्फ्यूशन पैदा होता है। इस वास्ते मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस तजवीज को ज़रूर मान लेंगे। प्रैक्टिकल तौर पर ऐसा करने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है किसी जगह पर एक डिप्टी रजिस्ट्रार और एडिशनल रजिस्ट्रार की जगहें हैं, तो हम एरिया को डिवाइड करके दो डिप्टी रजिस्ट्रार मुकरर कर सकते हैं और इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस तजवीज को मान लेंगे।

जहां तक इस बिल के मकसद का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इसको इसलिये पेश किया जा रहा है ताकि जो बोगज ट्रेड यूनियंस बन जाती हैं, उनको कुछ हद तक रोका जा सके। यह जो सिफारिश है, यह भी ट्राइपारटाइट कमेटी की है जिसमें हर ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव थे। काफी सोच विचार

[श्री रामकृष्ण गुप्त]

के बाद इन सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस बिल के पास हो जाने से काफी हद तक बोगस ट्रेड यूनियंस पर रोक लग सकती है। लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि इस मामले पर और अधिक विचार करने की जरूरत है। आज हम देखते हैं कि जहां तक लेबर क्लास, वर्किंग क्लास की सालिडैरिटी, यूनिटी का सम्बन्ध है, वह तभी कायम रह सकती है जब कि ट्रेड यूनियनिज्म में राइवलिज्म न हो। यह बहुत खतरनाक चीज़ है और इसको अवश्य ही रोका जाना चाहिये। आज देखने में आया है कि यह दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। मैं यह नहीं कहता कि किस पार्टी या किस ग्रुप की यूनियन बने। मैं तो यही कहना चहता हूं कि राइवेलिज्म को रोका जाए। आप मुझसे इस बात में सहमत होंगे कि बहुत सी यूनियंस सिर्फ पोलिटिकल पावर हासिल करने के उद्देश्य से बनाई जाती है और साथ ही साथ इसलिये बनाई जाती हैं कि जो सरमायेदार हैं, जो एम्पलायर हैं, वे मजदूरों को एक्सप्लायट कर सके, उनके अन्दर डिसरपशन पैदा कर सकें और इस तरह से नाजायज तौर से लाभ उठा सकें। इस तरह की बातों को रोका जाना चाहिये और इस तरह की बातें न हों, इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये। अगर हम मजदूरों को एक्सप्लायटेशन से बचा सकें तो हमारा देश और ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है। इस बात को मद्दे नजर रखते हुए मैंने एक छोटी सी अमेंडमेंट दी है और मैं समझता हूं कि उस पर अच्छी तरह से विचार किया जाएगा और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा।

हमें देखना होगा कि हमारा मौजूदा ट्रेड यूनियन एक्ट किन हालत में बना था। मौजूदा एक्ट जो है वह १९२६ में बनाया या था और वह तमाम ब्रिटिश ला पर आधारित है। यहां भी सात या इससे ज्यादा मेम्बर इनरोल करके यूनियन को रजिस्टर करवाया जा सकता है। अगर किसी कारखाने में सात सौ के करीब मजदूर काम करते हों, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर सौ के करीब यूनियंस बन सकती हैं। इतनी अधिक यूनियनें बनने नहीं दी जानी चाहिये। आज हमारा स्लोगन यह होना चाहिये "एक ट्रेड के लिये एक यूनियन।" यदि ऐसा हुआ तभी हम मजदूरों को एक्सप्लायटेशन से बचा सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी इस पतजवीज पर जरूर गौर किया जाएगा। यह ठीक है कि यूनियंस को गाइडेंस मिले, उनकी मदद की जाए, उनको आगे लाने की कोशिश की जाये और जब तक मजदूर अपना इंतिजाम, अपनी यूनियन का सब काम अपने हाथ में नहीं ले लेते हैं, तब तक मैं समझता हूं उनको एक्सप्लायटेशन से बचाया नही जा सकता है। इसी चीज़ को मद्दे नजर रखते हुए मैंने यह अमेंडमेंट दी है और उसको मान लिया जाना चाहिये। इसमें किसी ग्रुप या पार्टी का सवाल नहीं है, यह तो देश का सवाल है। हमें मजदूरों को एक्सप्लायटेशन से बचाना है। हमारे बहुत से दोस्त जो मजदूरों में काम करते हैं, वे जानते हैं कि बहुत सी यूनियंस बोगस होती हैं और इसका कारण यह है कि सात मैम्बर एनरौल करना कोई मुश्किल नहीं होता है और जब इस तरह की छोटी छोटी यूनियंस बन जाती हैं तो ज्यादातर वे एम्पलायर्स के हाथों में खेलती हैं। इससे उनकी यूनिटी और सालिडेरिटी पर असर पड़ता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने एमेंडमेंट पेश की है जिनको स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

हमने तीसरी योजना बनाई है और उसको हम कामयाब करना चाहते हैं। इसके लिये यह जरूरी है कि मजदूरों के एक्सप्लायटेशन को रोका जाए और उनकी यूनिटी और सालिडेरिटी को कायम रखा जाए। यह तभी हो सकता है जब ट्रेड यूनियंस मूवमेंट के अन्दर राइवेलिज्म को रोका जाए।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : यह विधेयक ठीक है लेकिन इससे विशेष लाभ नहीं होगा। खंड खंड कर के विधान लेना उचित नहीं है। भारतीय मजदूर संघ अधिनियम १९२६

†मूल अंग्रेजी में

में बनाया गया था। उसके बाद से हमारे देश में औद्योगिक, आर्थिक और प्रविधिक तथा अन्य प्रकार के सभी विकास हुए हैं लेकिन इस अधिनियम को तब से अब तक कोई व्यापक संशोधन नहीं हुआ है। इसलिये यह विधयक अब पुराना पड़ गया है और अब इसमें व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है।

एक व्यापक विधेयक में यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि जब कोई संघ रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन करे तो उसमें सदस्यों की संख्या कम से कम इतनी होनी चाहिये। साथ ही मालिकों द्वारा इन संघों को मान्यता देने के लिये भी कुछ सिद्धान्तों का उल्लेख किया जाना चाहिये। पंजीकृत मजदूर संघों के अधिकार एवं उनके दायित्वों का भी परिशोधन होना चाहिये। मेरे विचार से इतना ही काफी नहीं है कि रजिस्ट्रार को इन संघों के लेखाओं तथा दस्तावेजों की जांच पड़ताल के अधिकार दिये जायें बल्कि उसे दोषी ठहराने तथा दंड देने का भी अधिकार दिया जाना चाहिये जैसा कि समवाय अधिनियम में व्यवस्था की गई है। बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम के उपबन्धों को भी जो कि सन्तोषप्रद सिद्ध हुए हैं, इस नये भारतीय मजदूर संघ अधिनियम में स्थान दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी बातों की इसमें व्यवस्था की जानी चाहिये इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस समिति की स्थापना करे जिसमें मजदूर संघ आन्दोलन के नेता ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेता तथा कुछ ऐसे व्यक्ति हों जो अधिनियम के संचालन सम्बन्धी मामलों में जानकारी रखते हों और उन्हें इस बात की सिफारिश करनी चाहिये कि किस प्रकार एक व्यापक विधेयक तैयार करना और पेश करना चाहिये।

अतिरिक्त रजिस्ट्रारों को नियुक्ति के सम्बन्ध में जो गलतफहमी है वह व्यर्थ है। क्योंकि इस विधेयक में यह बात स्पष्ट रूप से प्रकट कर दी गई है कि इन पदाधिकारियों का कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिया जायेगा। क्योंकि यह शिकायत है कि मजदूर संघों के प्रार्थना पत्रो को निपटाने में काफी देरी होती है अतः इस बात की आवश्यकता है कि इन रजिस्ट्रारों की संख्या में वृद्धि की जाय।

मेरे विचार से प्रति मास का चन्दा २५ नये पैसे निर्धारित करना बिल्कुल ठीक है। श्री बर्नर्जी ने जो प्रश्न उठाया है उसका निराधार भी इस बात से हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि विधेयक की भाषा से उन्हें कहीं गलतफहमी उत्पन्न हो गई है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि चन्दे की राशि वेतन लेते समय नहीं काटनी चाहिये। क्योंकि ऐसा करने से इस बात का डर है कहीं ऐसा न हो कि नियोजक लोग अपने मजदूर संघों को प्रमुखता देने लगें।

मजदूर संघ के हिसाब किताबों की जांच करने का अधिकार जो रजिस्ट्रार को दिया गया है उससे बहुत ही आश्चर्यजनक और अच्छे परिणाम निकलेंगे अतः खंड ९ में जो व्यवस्था की गई है वह ठीक है। और फिर जब यह कार्य समवायों में किया जा सकता है तो फिर मजदूर संघों में इसे चालू करने में क्या कठिनाई होगी। एक माननीय सदस्या ने कहा था कि इससे तो संघ के कार्यों में हस्तक्षेप होगा। लेकिन यह बात गलत है क्योंकि रजिस्ट्रार को यह अधिकार नहीं है कि वह ऐसा आदेश दे सके कि संघ यह कार्य करे अथवा न करे। हां इतना अवश्य हो सकता है कि कभी कभी कोई मजदूर संघ इस बात से भय करे कि वह अपनी आय का वह साधन न बताना चाहे जिसे कि वह छिपाना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में यही किया जा सकता है कि रजिस्ट्रार उन्हें गोपनीय जानकर छोड़ दे। लेकिन दिखाना अवश्य ही चाहिये।

अतः मेरा निवेदन है कि भारतीय मजदूर संघ अधिनियम १९२६, अब काफी पुराना हो गया है और इसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता है। आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी।

†**श्री काशीनाथ पांडे** (हाता) : मैं इस विधेयक का इस दृष्टि से स्वागत करता हूं कि कुछ संघ तो अधिक सदस्यता शुल्क लेते थे और कुछ संघ कर्मचारियों क निःशुल्क सदस्य बनने के लिये ही कहते थे । लेकिन इस विधेयक के द्वारा अब समानता हो जायेगी । और २५ नये पैसे दिये बिना कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता ।

हमेशा चलते रहने वाले कारखानों में तो सदस्यता शुल्क बड़ी आसानी से प्रति मास एकत्रित किया जा सकता है लेकिन मौसमी कारखानों में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वे एक निश्चित अवधि के बाद बन्द हो जाते हैं और मौसमी कारखाने के मजदूर संघ उस समय चन्दा इकठ्ठा नहीं कर सकते जब कि कारखाने बन्द रहते हैं। अतः २५ नये पैसे मासिक या ३ रुपये सालाना चन्दा देने की छूट रहनी चाहिये ।

मान्यता देने के प्रश्न के बारे में कठिनाई उन कारखानों में होगी जहां एक मजदूर संघ पहले से ही होते हैं और एक नया संघ अपना दावा प्रस्तुत करता है । कितने संघों को मान्यता दी जायेगी ? संघों की बरसाती बाढ़ से औद्योगिक अशान्ति पैदा होगी। इस पहलू पर ठीक से विचार किया जाना चाहिये।

संघों के हिसाब किताब तथा अन्य कागजों के निरीक्षण सम्बन्धी उपबन्ध स्वागत करने योग्य है । अतः मैं इसका स्वागत करता हूं। इस संबंध में लेकिन एक आपति यह यह है कि रजिस्ट्रार को केवल मजदूर संघ के हिसाब किताब से सम्बन्ध रखने वाले कागजों को देखने की ही छट रहनी चाहिये और उसे औद्योगिक विवाद सम्बन्धी कागजों को देखने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये । अगर उसे यह अधिकार दिया गया तो बहुत खराब बात होगी । लेकिन साथ ही साथ संघ के हिसाब किताबों को देखने के बारे में रजिस्ट्रार को और अधिक अधिकार दिये जायें ताकि गलत काम करने वालों के विरुद्ध कुछ कार्यवाही की जा सके ।

खंड ५ के बारे में मेरा एक संशोधन है जिस में मैंने निवेदन किया है कि यदि किसी संघ के अधिकांश मजदूर रजिस्ट्रार से अपना आवेदन पत्र वापस मांग लेते हैं तो उस संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाना चाहिये ।

१९२६ का अधिनियम बहुत पुराना हो गया है अतः इस में उचित रूप से संशोधन किया जाना चाहिये । जो संघ सदस्यों की कुल संख्या का ५० प्रतिशत पर नियंत्रण करता हैं उन्हें मान्यता दी जानी चाहिये । संघ के सदस्यों की संख्या का पता छान बीन कर के लगाया जाना चाहिये । गुप्त मतदान का मतलब यह होगा कि हर मजदूर चाहे वह उस संघ का हो या न हो उस संघ की मान्यता के लिये अपना मत दे सकता है । इसलिये कर्मचारी उन संघों के सदस्य बनाने में रुचि नहीं रखते । सदस्यों की वास्तविक संख्या का पता संघ के कागजों से बड़ी आसानी से लग सकता है । मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि जिन संघों में सदस्यों की संख्या अधिक नहीं है उन्हें भी मान्यता दी जाये । संघों द्वारा केवल रचनात्मक कार्य ही किया जाना चाहिये ।

रजिस्ट्रार को अधिक अधिकार दिये जायें ताकि वह दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि यह विधेयक भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों पर आधारित है । संघों के पंजीयन के मामले में पश्चिमी बंगाल के ट्रेड यूनियन कार्य कर्ताओं का काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है । बहुत सी रस्में पूरी करनी पड़ती हैं जिन के कारण काफ़ी देर हो जाती है । रजिस्ट्रारों की संख्या बढ़ाने की बात से मैं सहमत हूं । ऐसा प्रतीत होता है कि श्रम विभाग के पदाधिकारी मालिकों से मिल जाते हैं और वे श्रमिकों के हितों की परवाह नहीं करते बल्कि वे मालिकों के हितों की परवाह करते हैं । इसका फल यह होता है कि लोग रजिस्ट्री के लिये आवेदन करते हैं और उन्हें कभी कभी संघ की रजिस्ट्री होने के पहले ही काम से अलग कर दिया जाता है ।

संघों का चन्दा बढ़ाने में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन यूनियन का चंदा जमा करने के मामले में केवल मौसम में काम करने वालों श्रमिकों के साथ कुछ रियायत की जानी चाहिये ।

निरीक्षण के समय संघों को इस बात के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिये कि वे सभी प्रकार के कागज़ात दिखायें क्योंकि इस से कटुता ही बढ़ेगी ।

राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नियंत्रण वाले बहुत से यूनियनों की सदस्य संख्या बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई है क्योंकि वे इन्स्पैक्टरों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं । जब कि दूसरे संघों में सदस्यों की संख्या समुचित होने पर भी उन्हें मान्यता नहीं मिल पाती । अतः संघों की मान्यता सम्बन्धी प्रश्न की भी अच्छी तरह जांच की जानी चाहिये ।

मैं श्री पांडे के संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि यह संशोधन विधेयक की भावना के विपरीत है ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली): मैं इस विधेयक के बन्धनों का स्वागत करता हूं । मेरा विचार है कि ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार को इस बात का अधिकार है कि वह संघ की सभी किताबों एवं कागज़ों का निरीक्षण करे और यदि उन में कोई भूल पाई जाती है तो वह पंजीयन को रद्द कर सकता है । मेरे विचार से अन्य कागजातों की मांग करना संघ के कार्य में हस्तक्षेप करना होगा ।

ट्रेड यूनियनों के सभी कागज़ात और रजिस्टरों आदि के निरीक्षण का अधिकार देकर ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार को वास्तव में इन यूनियनों के कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार हो जायगा । जिन्हें उसे दिखाना मजदूर संघ हित में न हो । यह अधिकार इतना व्यापक है कि इसे उड़ा देना चाहिये वर्ना इस से बड़ी जटिलताएं उत्पन्न हो जायेंगी ।

जहां तक की सदस्यता शुल्क २५ नये पैसे की बात है वह स्पष्ट है । इस पर और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

त्रिदलीय सम्मेलन अर्थात् १६वें और १७वें भारतीय सम्मेलन ने इस बात से अपनी सहमति प्रकट कर दी थी कि पंजीयन करना केवल इस आधार पर मना नहीं करना चाहिये कि रजिस्ट्री के लिये दी गई अर्ज़ी पर हस्ताक्षर करने वाले लोग अब यूनियन के सदस्य नहीं रहे हैं । इस बात की कल्पना उस समय कर ली गई थी कि हो सकता है कि यूनियन की रजिस्ट्री के लिये अर्जी देने वाले को दंड देने के लिये काम से अलग कर दिया

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रभात कार]

जाये । ऐसी स्थिति में सब से अच्छा उपाय यह होगा कि मतदान द्वारा इस बात का निर्णय कराया जाये कि कोई यूनियन मज़दूरों का प्रतिनिधित्व करता है अथवा नहीं ।

अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि दस्तावेज़ सम्बन्धी उपबन्ध को और भी स्पष्ट किया जाये । वर्ना इस से स्वीकार करना हमारे लिये कठिन हो जायेगा।

†**श्री आबिद अली** : जिन माननीय सदस्यों ने यहां भाषण दिये हैं उस से प्रकट होता है कि माननीय सदस्यों को मज़दूर संघों के बारे में बहुत सीमित जानकारी है ।

नैनीताल सम्मेलन में यह बात निश्चित हो गई थी कि १५ प्रतिशत से अधिक सदस्यता वाले प्रत्येक संघ को मान्यता पाने का अधिकारी मान लिया जायेगा और यदि किसी जगह ऐसे दो संघ बन जायेंगे वहां उस संघ को मान्यता दी जायेगी जिसकी सदस्य संख्या अधिक हो । कुछ माननीय सदस्यों ने इसका आज इसीलिये विरोध किया क्योंकि उन्हें असली स्थिति का पता नहीं था । १५ प्रतिशत की संख्या सरकार ने निश्चित नहीं की है, यह तो नैनीताल सम्मेलन ने ही निश्चित की थी जिस में कि चार केन्द्रीय संघ मजदूर संगठन सम्मिलित थे । अतः यदि किसी माननीय सदस्य को यहां शिकायत कोई है तो वे अपने नेता से जाकर पूछें । हम तो केवल उस निर्णय का पालन कर रहे हैं।

सदस्य शुल्क को एकत्रित करने के लिये कोई सुविधा नहीं दी गई है, यह शिकायत की गई थी । लेकिन इस सम्बन्धी नियमावली में यह व्यवस्था कर दी गई थी कि मालिक लोग मान्यता प्राप्त संघों को अपना चन्दा मिल के अहाते में इक्ट्ठा करने के लिये पूरी पूरी सुविधाएं देंगे ।

सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हैं। वे इस मामले में उदार हैं। यह कहा गया है कि यह अधिनियम अब बहुत पुराना हो गया है । किन्तु मूल अधिनियम में ये संशोधन मजदूर संघ क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के अनुभव के आधार पर किये जा रहे हैं और इस संबंध में व्यापक विधेयक लाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। आवश्यकतानुसार हम निश्चय ही कुछ करेंगे । लेकिन यह कह देने से कि यह पुराना हो गया है, इस का प्रभाव कम नहीं होता ।

यह आरोप लगाया गया है कि सरकार अपने हाथ में अधिकार लेना चाहती है । लेकिन यह गलत बात है । हां रजिस्ट्रारों को, जिनको संघो को मान्यता देने के बारे में निर्णय करना पड़ता है, अवश्य ही कुछ का अधिकार दिये जा रहे हैं। वहां उनकी स्थिति न्यायिक पदाधिकारी जैसी होती है ।

दस्तावेजों के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहा गया है । लेकिन मैं यह आश्वासन देता हूं कि जब भी कोई रजिस्ट्रार ऐसे किसी कागज को दिखाने की मांग करे जिसका उस मसले से कोई सम्बन्ध नहीं हो, जिसकी कि जांच की जा रही है तो वे संघ उन कागजातों को दिखाने से इन्कार कर सकते हैं और ऐसे मामलों को सरकार की निगाह में लाना भी चाहिये हम अवश्य ही उन की सहायता करेंगे । ऐसे सभी कागजों का, जिनको देखने की आवश्यकता पड़ सकती है, अलग अलग नाम देना संभव नहीं था अतः 'अन्य कागजात' शब्दों का प्रयोग किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोई नये अतिरिक्त रजिस्ट्रारों की नियुक्ति नहीं की जायेगी। कुछ राज्यों में अतिरिक्त रजिस्ट्रार अब भी है और उन्हें उन कर्तव्यों को जिनका इस विधेयक में उल्लेख किया गया है, पूरा करने का अधिकार देने का विचार है। सरकार का विचार यह है कि वे अलग अलग क्षेत्रों में काम करें। उनका क्षेत्राधिकार प्रत्येक क्षेत्र के अनुसार होगा।

मौसमी कारखानों तथा सदस्यता शुल्क के बारे में सम्मेलन में ही निर्णय कर लिया गया था। मेरा विचार है कि अच्छा हो कि यह सदस्यता शुल्क प्रतिमास ही इकट्ठा कर लिया जाये। इस से मजदूर से इक्ट्ठा साल भर का चन्दा ले लेने के बाद वे उसे आसानी से भुला न सकेंगे। हम यहां सभा में कोई विधेयक इस प्रकार का पारित कर के इस प्रथा को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते। मैं चाहता हूं कि संघ के सदस्य जागरूक रहें और वे पदाधिकारियों से मिलते रहें। तथा यह देखते रहें कि उन के संघ का कार्यालय एवं पदाधिकारी ठीक से कार्य कर भी रहे हैं अथवा नहीं।

राष्ट्रीय ट्रेडयूनियन कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यह कांग्रेस इस क्षेत्र में पिछले ४२ वर्षों से कार्य कर रही है। और कई अच्छे तथा मजबूत संघ इस से सम्बद्ध हैं यह अच्छी बात नहीं है कि सदस्य बिना जाने ही आरोप लगाने लगते हैं।

सदस्यता की जांच इस प्रकार की जाती है कि ये चारों संघ अपनी अपनी सूची प्रतिवर्ष दे देते हैं। और ये सूचियां एक दूसरे संघों को भेजी दी जाती है। आवश्यकता होने पर सदस्य अपनी अपनी आपत्तियां उठाते हैं। फिर इन विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों की बैठकें होती हैं और हर बात का विश्लेषण किया जाता है। अतः यह कहना कि राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अपनी सदस्य संख्या बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है गलत होगा। आशा है कि माननीय सदस्य वास्तविक स्थिति को अच्छी तरह समझ गये होंगे।

कुछ संघों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता लेने का प्रश्न भी उठाया गया है। आखिर यह धन भी तो यहां आ कर जनता की सम्पत्ति बन जाता है।

केवल सीजन के दिनों में काम करने वाले कारखाने के मजदूरों के लिये पूरे साल भर का चंदा देना कोई आवश्यक नहीं है, यह तो उनकी इच्छा पर है कि वे कितना देते हैं। इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं हो सकती।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि भारतीय मजदूर संघ अधिनियम, १९२६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय :** अब हम विधेयक की खंडवार चर्चा करेंगे। विधेयक के खंड २ और ३ के बारे में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड २ और ३ विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड ४ (धारा ३ का संशोधन)

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं अपने संशोधन संख्या ३ और ४ प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३ और ४ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**सभापति महोदय :** अब मैं खंड ४ मतदान के लिये रखूंगा । प्रश्न यह है :

"कि खंड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ५ (धारा ४ का संशोधन)

†**सभापति महोदय :** खंड ५ के बारे में एक सरकारी संशोधन है ।

†**श्री आबिद अली :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २—

पंक्ति १४ से १९ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"(2) Where an application has been made under sub-section (1) for the registration of a Trade Union, such application shall not be deemed to have become invaled merely by reason of the fact that, at any time after the date of the application, but before the registration of the Trade Union, some of the applicants but not exceeding half of the tolal number of persons who made the application, have ceased to be members of the Trade Union or have given notice in writing to the Registrar dissociating themselves from the application"

"(२) जब उपधारा (१) के अधीन किसी मजदूर संघ के पंजीयन के लिये प्रार्थना पत्र आया हो तो उसे केवल इस आधार पर ही अनियमित न ठहरा दिया जायेगा कि प्रार्थना पत्र देने के बाद किसी समय, लेकिन मजदूर संघ का पंजीयन होने से पूर्व, प्रार्थियों में से कुछ व्यक्ति जिनकी संख्या प्रार्थना पत्र देने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या के आधे से अधिक न हो, संघ के सदस्य नहीं रहे हैं अथवा उन्होंने रजिस्ट्रार को संघ से सम्बन्ध विच्छेद करने के लिये लिखित रूप में सूचना दे दी है।"

श्री पांडे ने जो संशोधन रखा है उसे मुख्य खंड में जोड़ दिया गया है । अब यह काफ़ी व्याख्यात्मक हो गया । इसके बारे में मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

†**श्री काशीनाथ पांडे :** मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ २—

पंक्ति १४ से १६ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"(2) Where an application has been made under sub-section (1) for the registration of a Trade Union. such application shall not be deemed to have become invalid merely by reason of the fact that, at any time after the date of the application, but before the registration of the Trade Union, some of the applicants, but not exceeding half of the total number of persons who made the application, have ceased to be members of the Trade Union or have given notice in writing to the Registrar dissociating themselves from the application".

"(२) जब उपधारा (१) के अधीन किसी मजदूर संघ के पंजीयन के लिये प्रार्थना-पत्र आया हो तो उसे केवल इस आधार पर ही अनियमित न ठहरा दिया जायेगा कि प्रार्थना पत्र देने के बाद किसी समय, लेकिन मजदूर संघ का पंजीयन होने से पूर्व, प्रार्थियों में से कुछ व्यक्ति जिनकी संख्या प्रार्थना पत्र देने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या आधे से अधिक न हो, संघ के सदस्य नहीं रहे हैं अथवा उन्होंने रजिस्ट्रार को संघ से सम्बन्ध विच्छेद करने के लिये लिखितरूप में सूचना दे दी है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ५, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ६ (धारा ६ का संशोधन)

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं अपने संशोधन संख्या ५ और ६ प्रस्तुत करता हूं।

माननीय उपमंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। एक कृषि-मज़दूर के लिये जिसे कि न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता ३ रुपये देना बोझ होगा। मौसमी कारखानों में भी पूरे साल का चन्दा एकत्रित करना ठीक नहीं है क्योंकि वे कारखाने साल में ४–५ महीने बन्द ही रहते हैं।

†**श्री आबिद अली :** मेरी राय में ३ रुपये साल ज्यादा नहीं है; अगर मज़दूर संघ ठीक तरह से काम करे और मज़दूरों का विश्वास प्राप्त कर सके तो ३ रुपये ज्यादा नहीं है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ तथा ६ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ७ और ८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड ९ (धारा २८ का संशोधन)

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं अपना संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं ।

मैं चाहता हूं कि "अन्य कागज़ात" शब्दों का कुछ और वाक्य दे कर स्पष्टीकरण किया जाये । वर्ना इसका दुरुपयोग होगा । मैं माननीय उपमंत्री को यह आश्वासन देता हूं कि मजदूर संघों में कोई गोपनीय बात नहीं होती । लेकिन कुछ कागजात ऐसे अवश्य होते हैं जिनको रजिस्ट्रार को दिखाना उचित नहीं है । हो सकता है कि वह उसका दुरुपयोग करे ।

†**श्री आबिद अली :** जो चीज़ रजिस्ट्रार को दिखाने की नहीं है वह उसे नहीं दिखाई जानी चाहिये । इसमें तो मुझे कोई आपति नहीं नहै ।

इस बारे में मैं बता चुका हूं कि आदेश जारी किये जायेंगे और हो सका तो नियमों में भी इसकी व्यवस्था की जायेगी । ताकि रजिस्ट्रार केवल उन्हीं कागजातों की मांग करे जिस मामले की वह जांच कर रहे हैं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७ मतदान क लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्द १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री आबिद अली :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औषधि संशोधन विधेयक

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औषधि अधिनियम, १९४०, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

इस विधेयक का उद्देश्य, उद्देश्य और कारणों के विवरण, में स्पष्ट कर दिया गया है। औषधि अधिनियम का उद्देश्य औषधियों के आयात, निर्माण, वितरण तथा उनकी बिक्री को विनियमित करना है। इसके उपबन्ध औषधियों की गुणिता के बारे में नियंत्रण करने के लिये है। आयात की जाने वाली औषधियों का गुणिता के स्तर पर तो आयात करते समय केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाता है। कुछ औषधियां तो अनुज्ञप्ति के आधार पर ही आयात की जा सकती हैं, कुछ औषधियां बिना अनुज्ञप्ति के आयात होती हैं। लेकिन दोनों प्रकार की ये औषधियां एक निर्धारित स्तर के अनुकूल होनी चाहिये।

औषधियों का निर्माण, बिक्री तथा वितरण का नियंत्रण राज्य सरकारों के हाथ में है इनके निर्माण, बिक्री तथा वितरण के लिये अनुज्ञप्तियां चाहिये। औषधि भेषज अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिये प्रत्येक राज्य में अपने अपने विभाग हैं।

औषधि जांच समिति ने, जिसकी नियुक्ति वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा १९५३ में की गई थी, सभी राज्यों में औषधि स्तर नियंत्रण के कार्य की बड़ी विस्तार पूर्वक जांच की है और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उनका कार्य सन्तोष जनक है। इस अधिनियम के प्रशासन के बारे में सभी राज्य में समानता नहीं है। बहुत से राज्यों में तो औषधियां पर नियंत्रण एक प्रकार से बिल्कुल नहीं था। इसलिये समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची और यह सिफारिश की कि औषधियों के सम्पूर्ण निर्माण, बिक्री तथा वितरण पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण होना चाहिये। भारत ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और औषधि अधिनियम में संशोधन करने के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंत्रिमंडल को एक ज्ञापन दिया।

औषधि जांच समिति ने जनवरी, १९५९ में अपने शिलांग के अधिवेशन में एक संकल्प पारित किया कि केन्द्रीय सरकार राज्यों में बनाई जाने वाली पेटेंट तथा मुख्य औषधियों एवं अन्य भेषजों के नियंत्रण का अधिकार अपने हाथ में ले ले। संसद (१९५८–५९) की प्राक्कलन समिति ने केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की सिफारिशों का समर्थन करते हुये भेषज तथा औषधियों के निर्माण कार्य पर नियंत्रण करने के मामले में शीघ्रता से कार्य किया जाये। समिति ने यह भी सिफारिश की औषधि अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को कुछ न कुछ न्यूनतम दंड भी निर्धारित किया जाये।

खंड ४ औषधि अधिनियम की धारा २० और २१ में संशोधन करता है। वर्तमान धारा के अनुसार केवल राज्य सरकार राज्यीय विश्लेषक और निरीक्षक नियुक्त कर सकती है। लेकिन संशोधित धाराओं के अनुसार केन्द्रीय सरकार भी इनकी नियुक्ति कर सकती है। ये संशोधन मंत्रि-मंडल के निर्णय के अनुसार है।

अधिनियम की संशोधित धारा २१(२) के अधीन केन्द्र और राज्यों के निरीक्षकों के कार्य को विशिष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकेगा। वास्तविक काम के दौरान में केन्द्रीय तथा राज्यीय निरीक्षकों के कार्य में कुछ अन्तर हो, अतः इसका उद्देश्य अनुज्ञप्तियां जारी करने से पूर्व कम से कम

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री करमरकर]

सामान की आवश्यकता आवास, कर्मचारी, परीक्षण सुविधायें, तथा सफाई संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करना है। और केन्द्रीय निरीक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात की जांच करें कि कम से कम इन आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हुई है।

खंड ७ में जो धारा ७ के बारे में है अपराधों के लिये दंड की व्यवस्था की गई है। अब तक सभी अपराधों के लिये तीन वर्ष तक का कारावास अथवा दंड की व्यवस्था की गई है। इस संशोधित अधिनियम में कुछ श्रेणी की गैर प्रमाणित दवाइयों के निर्माण अथवा उनकी बिक्री के लिये कम से कम एक वर्ष के कारावास का दंड रखा गया है (जिसे बढ़ाकर तीन वर्ष तक भी किया जा सकता है) तथा कुछ जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। आशा है कि इन दंडों के कारण औषधि अधिनियम संबंधी अपराधों में कमी होगी। अन्य प्रकार के अपराधों के लिये पुराने दंड ही रखे गये हैं।

खंड ८ में, जो धारा ३० के बारे में है, बार बार अपराध करने पर दंड देने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार के अपराध के लिये दो वर्ष के कारावास की (जिसे बढ़ाकर तीन वर्ष किया जा सकता है) व्यवस्था की गई है।

खंड ९ में, जो धारा ३१ के बारे में है, दवाइयों को जब्त करने के बारे में व्यवस्था की गई है। आशा है कि सभा इस बात से सहमत होगी कि औषधि अधिनियम के बारे में अच्छे उपबन्धों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

मुख्य संशोधन जो कि इस वर्तमान अधिनियम में किये जाते हैं वे दो हैं, एक तो केन्द्रीय सरकार की ओर से निरीक्षकों की नियुक्ति के बारे में है और दूसरा दंड देने के बारे में है। विधेयक की अन्य बातों के बारे में जो काफी स्पष्ट है मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री कोडियान** (क्विलोन—रक्षित अनुसूचित जातियां) : माननीय मंत्री को संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते समय यह बताना चाहिये था कि उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयां आयीं। स्वास्थ्य मंत्रालय के १९५९—६० के प्रतिवेदन में बताया गया है कि विभिन्न राज्यों के औषध प्राधिकारियों से प्राप्त की गयी जानकारी सारणीबद्ध की जा रही है। वह जानकारी सभा को भी दी जानी चाहिये।

आज देश में अनेक नकली दवाइयां बिक रही हैं। पेंसिलीन की शीशियों में मैदा भर दी जाती है तथा उसे दवायी के रूप में बेचा जाता है। इसी तरह से सरकारी क्षेत्र में भी ऐसी खराबियां चलती हैं। हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स तक में खराब पसिलीन का निर्माण होता रहा है। इस से पता चलता है कि औषध अधिनियम को ठीक तरह से लागू नहीं किया जा रहा।

यह ठीक है कि इस विधेयक की परिधि में आयुर्वेदिक औषधियां नहीं रखी गयीं, परन्तु उनके बारे में अलग कानून बनाना चाहिये।

आयुर्वेदिक औषधियों का प्रमापीकरण होना अत्यावश्यक है क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में मद्यसार वाले अनेक पदार्थ वहां बेचे जा रहे हैं जहां पर मद्यनिषेध है। विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि निर्माता विभिन्न बार व मापों का प्रयोग करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक विधेयक की कार्यान्विति का प्रश्न है इसे तो राज्य सरकारों ने ही अन्ततोगत्वा लागू करना है। केन्द्र भी निरीक्षक तथा विश्लेकों की नियुक्ति करेगा। उधर राज्यों निरीक्षक एवं विश्लेषक होंगे। इससे मेरे विचार में काफी द्विविधा होगी। काम में काफी बाधा पड़ेगी।

दुर्भाग्य से हमारे देश में केन्द्रीकरण की ओर अधिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है तथा राज्य सरकारों को केन्द्र पर ही आधारित किया जा रहा है। इस दृष्टि से मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार को कुछ ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे कि यह काम दोहरा न हो।

हमारे देश में औषध अधिनियम लागू करने के मार्ग में जो बाधायें हैं उनका अध्ययन फार-मास्यूटिकल जांच समिति ने किया है और उसने सरकार के पास अनेक सिफारिश भी की हैं। सब से बड़ी समस्या तो यह है कि देश में प्रयोगशालाओं की संख्या कम है। जो प्रयोगशालायें हैं उनमें भी सामान की कमी है। अतः समिति ने सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य में अच्छी प्रयोगशाला होनी चाहिये। किन्तु इस सिफारिश को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। राज्यों में अभी तक यह काम स्वास्थ्य विभागों के अध्यक्षों द्वारा किया जा रहा है। इसके लिये पृथक औषध अधिकारी होने चाहियें।

समिति ने यह सिफारिश भी की है कि हमारे अधिकारियों को औषध अधिनियम में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेशों में भेजा जाय। ज्ञात नहीं कि सरकार ऐसा कर रही है या नहीं।

†**सभापति महोदय** : क्या माननीय सदस्य और समय लेंगे ?

†**श्री कोडियान** : जी हां।

†**सभापति महोदय** : तो आप अब कल बोलें। अब आधे घंटे की चर्चा शुरू होगी।

पैकेज प्रोग्राम*

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : यह आधे घंटे की चर्चा १६ अगस्त को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४०४ से उत्पन्न हुई। इसका संबंध भारत सरकार की उस विशेष योजना से है जिसके अधीन देश के सात चुने हुये जिलों में गहन खेती का कार्यक्रम लागू किया जायेगा।

इस योजना का उद्देश्य खाद्य उत्पादन बढ़ाना है। इसका उद्देश्य कृषकों को आवश्यक सुविधायें, औजार बीज इत्यादि उपलब्ध करना और उन्हें आवश्यकतानुसार ऋण देना है, जिससे कि वे अधिक उत्पादन करने में समर्थ हो सकें।

यह योजना अप्रैल में लागू की जाने वाली थी। मंत्रालय से एक परिपत्र इस आशय का गया था कि अप्रैल के पूर्व ही सारी तैयारियां हो जायें। हम लोगों में से जो लोग इस योजना में दिलचस्पी रखते थे, उन्होंने गांव, गांव व पंचायत, पंचायत घूम कर इस योजना का प्रचार किया और किसानों को इस कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने को प्रोत्साहित किया। लेकिन अप्रैल बीत गया, और आज तक इस योजना के संबंध में कोई कार्य नहीं किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा।

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

इसी कारण मैंने इस संबंध में यह प्रश्न पूछा था कि इस योजना को क्रियान्वित न किये जाने का दायित्व केन्द्रीय सरकार का है या राज्य सरकारों का तथा यदि मद्रास में यह योजना प्रारम्भ की गई है तो किसानों को कितना बीज, ओजार और उर्वरक दिये गये ?

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

अब ज्ञात हुआ है कि यह योजना रबी के मौसम से लागू होगी अतः मैं यह जानना चाहता था कि क्या उन जिलों में इस कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने के लिये पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी तीन दिन पूर्व मैं एक बैठक में गया था, वहां कार्यक्रम की पहिली सूची में यही विषय रखा गया था, तथापि जिले के कलक्टर को भी इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं थी। इस संबंध में मैं उन्हें केवल एक पुस्तिका दे सका जो मुझे माननीय मंत्री के निजी सचिव से प्राप्त हुई थी।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस योजना में कितना व्यय होगा तथा क्या सरकार इस रबी के मौसम के पूर्व उन सभी जिलों में उर्वरक इत्यादि भेजने में समर्थ होगी। ऋण के संबंध में यह ज्ञात हुआ कि सारा ऋण रक्षित बैंक से मिलेगा और रक्षित बैंक के प्रतिनिधि को चारों ओर जाकर इस प्रक्रिया का निश्चय करना होगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि वह दीर्घकालीन ऋणों के संबंध में क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं ? क्या यह सारी सहायता और ऋण सहकारी समितियों द्वारा दिये जायेंगे. अगर ऐसा किया जायेगा तो मेरा विचार है कि झूठी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह योजना सरकारी अधिकारियों द्वारा लागू की जायेगी, यदि ऐसा होगा तो विकेन्द्रीकरण की जो नीति हम राजस्थान में अमल में ला रहे हैं, उसमें धक्का लगेगा।

मेरा यह सुझाव है कि यदि वह इसके लिये निश्चित धन राशि को, जो लगभग ५ करोड़ रुपया है, जिले को दे दें और उनसे अपनी योजना बना कर काम करने को कहें तो खाद्य उत्पादन में शत प्रतिशत वृद्धि हो सकती है, अन्यथा इस योजना की भी वही दशा होगी जो खाद्य मंत्रालय की अन्य योजनाओं की हुई थी।

डा० राम सुभग सिंह (सहसराम) : सभापति जी, जब इस योजना को चालू करने की बात हो रही थी, उस वक्त बहुतों ने कहा था कि इस के बिना भी काम चल सकता है, लेकिन जब गवर्नमेंट ने तय किया इस के बारे में तो सबों ने इस का स्वागत किया कि अच्छा है, इस योजना के जरिये ही हम लोग खेती के काम को आगे बढ़ावें। इस योजना के मूल सिद्धान्त के अनुसार इसे उन जगहों पर चालू करना था जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी, और मैं मद्रास सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने तंजोर जिले में इस को चालू कर दिया, इस धान के सीजन से। लेकिन और छः राज्यों आंध्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में इस को अभी तक चालू नहीं किया गया और वे रबी के मौसम से चालू करने वाले हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह से राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के अधिकारियों में विचार धाराओं का अन्तर क्यों होता है। यदि सिंचाई के जरिये किसी काम को करना था तो धान के मौसम में इस चीज को चालू करना चाहिये था।

दूसरी बात जो में रखना चाहता हूं वह यह है कि मुझे पता चला है कि कम्यूनिटि डेवेलपमेंट सामुदायकि विकास की ही तरह इस योजना के अन्तर्गत भी लाखों रुपये हेड-क्वार्टर (मुख्य कार्यालय) बनाने और आफिस बनाने पर खर्च किये जायेंगे। जो जान-

कारी मुझे प्राप्त है उस के अनुसार हमारे यहां ६ जगहों , उदवन्तनगर, नवानगर, बक्सर, दिनारा, मोहनिया और डिहरी, में इस योजना को चालू करने का फिलहाल निश्चय किया गया है । इन ६ जगहों में से ४ जगहों, उद्वन्तनगर, बक्सर, मोहनिया और डिहरी, में ब्लाक चल रहे हैं । एक मोहनिया है जहां पोस्ट इंटेन्सिव ब्लाक चाल रहा है । इन चार जगहों में अभी तक क्यों नहीं सोचा गया कि इन किसानों की क्या क्या जरूरतें हैं और उन लोगों से पता लगा कर धान के मौसम में इसे क्यों नहीं चालू किया गया क्योंकि हमारे यहां धान पर ही विषेश ध्यान दिया जाता है । रबी के मौसम में अधिकांश रूप में वहां जो चीजें पैदा होती हैं उनको पहले फाडर के रूप में इस्तमाल किया जाता है । इसलिये जो निश्चय किया गया है कि रबी में इसे चालू किया जाय, यह गलत है ।

तीसरी बात मैं यह रक्खूगां कि जिन सरकारों द्वारा इसे सन् १९५९ में चालू करने का निश्चय किया गया और उस के लिये सोचा गया था कि सारी चीज तैयार कर ली जायेगी, चूंकि वहां भी सन् १९६० तक यह योजना चालू नहीं हो सकी, इस लिये जो भी व्यक्ति इस के लिये जवाबदेह हैं, उन से पूछना चाहिये कि उन्होंने यह विलम्ब क्यों लगाया क्योंकि सरकार खेती का उत्पादन ज्यादा बढ़ाना चाहती थी और इसी लिये अमेरिका के सहयोग से यह स्कीम यहां चालू की गई । यदि दुसरे देशों से मिल जुल कर कोई चीज यहां चालू करने की बात हो और उस में इतनी देर लग जाय तो दूसरों पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी हम को विचार करना चाहिये । चूंकि किसानों को मदद देनी है, जैसा माथुर साहब ने कहा कि क्राप पैदा करने के लिये शक्ति के अनुसार ऋण देने की बात इस में है और पूरा ऋण देने की बात है, तो सरकार को रबी के मौसम में जो काम करना है, उस के लिये हर तरह से तैयारी होनी चाहिये । पिछले दिनों यहां पर मंत्री महोदय ने बतलाया था कि हम लोगों ने अपने स्टाफ को , जहां जहां वह बहाल हुआ है, वहां भिजवाना शुरू किया है, लेकिन मेझे पता है कि अभी धर धर किसी का लेखा नहीं लगाया गया है कि क्या जरूरतें किसानों को होंगी मवेशियों के लिये, फर्टिलाइजर के लिये, इरिगेशन के लिये या गोदाम के लिये । तो इन तमाम बातों का लेखा तैयार करना चाहिये अक्तूबर के पहले, तभी रबी वाली बात कामयाब हो सकती है । लेकिन मैं इसे पूरी तरह मानता हूं कि जिन ६ प्रदेशों में इस काम को अभी तक नहीं चालू किया गया वहां पर एक तरह से अधिकारियों ने इस योजना को चालू न करने जैसा काम किया है ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : जिलों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है, क्या यह चुनाव केन्द्रीय सरकार करती है ?

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फिरोजाबाद) : क्या यह पैकेज प्रोग्राम को राज्य के उन भागों में भी विस्तृत किया जायेगा, जहां तीसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हो जायेंगी ? क्या फोर्ड प्रतिष्ठान से अग्रेतर अनुदान मिलने का आश्वासन मिल गया है, यदि हां, तो उस राशि का कितना प्रतिशत गोदाम इत्यादि बनाने और कर्मचारियों के वेतनों में व्यय किया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : सघन्वित खेती का कार्यक्रम जिसे पैकेज प्रोग्राम भी कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं । मैं सबसे पहले यह बताऊगां कि हम इसे पैकेज प्रोग्राम क्यों कहते हैं ? इसके इस नाम का कारण यह है कि इसमें गहन खेती संबंधी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० का० पाटिल]

सभी बातें शामिल हैं। उदाहरणार्थ सिंचाई, उर्वरक, अच्छे बीज, पौदों की सुरक्षा कृमि नाशक, बिक्री, वर्गोकरण इत्यादि । इसमें इतनी अधिक बातों के शामिल होने के कारण ही इसे पैकेज प्रोग्राम कहते हैं ।

माननीय सदस्यों को यह भ्रांति हो सकती है कि यदि इसमें विलम्ब किया जायगा तो इससे बहुत हानी होने की संभावना है । यद्यपि हमारे देश में ३०० जिले हैं, तथापि यह कार्यक्रम अभी केवल सात जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है, तत्पश्चात् इसे पन्द्रह जिलों में लागू कर दिया जायेगा । इसका यह तात्पर्य नहीं है कि जिन जिलों में यह कार्यक्रम लागू नहीं है वहां की प्रगति अवरुद्ध हो जायेगी ।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की शुरुवात कैसे हुई । फोर्ड प्रतिष्ठान दल ने इस बात पर विचार किया कि हम अपने देश में वैज्ञानिक तरीके पर कृषि का उत्पादन किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, जिस से किहमारे देश की पैदावार प्रगतिशील देशों के समान हो जाये । वे इस निष्कर्ष पर पहुचे, कि यदि इन सब कार्यों की सुविधायें दी जायें या इन्हें किया जाय तो कृषि उत्पादन बढ़ाना और उन्हें प्रगतिशील देशों के समकक्ष लाना संभव है । उन्होंने इसके अतिरिक्त यह भी सिफारिश की कि जिन जिलों को इस कार्य के लिये चुना जायेगा वहां इस कार्यक्रम को लागू करने के लिये भी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारे देश में उर्वरक आदि उपलब्ध नहीं है, उनका विदेशों से आयात करना होगा, इसलिये उन्होने यह सुझाव दिया कि वे इस परियोजना में व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा , जिसकी राशी ४ से ५ करोड़ तक होगी, स्वयं देगें ।

केवल सात जिले इस कार्य के लिये इस कारण चुने गये कि फोर्ड प्रतिष्ठान से मिलने वाली सहायता सीमित थी; क्योंकि यह प्रतिष्ठान एक अन्तराष्ट्रीय संगठन है, उन्हें अन्य देशों को भी सहायता देनी होती है अतः उन्होंने हमारे देश को एक करोड़ डालर दिये । उन्होंने कहा है कि यह राशि केवल सात जिलों के लिये पर्याप्त होगी ।

मैं सभा को यह भी बता दूं कि मैंने विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सहायता जर्मनी इत्यादि देशों से भी लेने का प्रयत्न किया । तथापि जर्मनी को इस सम्बन्ध में एक अन्य कठिनाई है । उनके पास ऐसे व्यक्ति पर्याप्त संख्या में नहीं हैं जो कि अंग्रेज़ी बोल सकें । हमारे देश के वैज्ञानिकों के साथ सहयोग करने के लिये यह भाषा आवश्यक है । अतः उन्होंने हमें बताया कि वे इस कार्यक्रम के लिये धनराशि नहीं दे सकते हैं ।

मैं इस सम्बन्ध में अपने देश में प्रतियोगिता नहीं करना चाहता था । अतः मैंने सोचा कि इस कार्यक्रम को सभी क्षेत्रों में लागू किया जाये । सात जिले चुन लिये गये हैं, संभवतः केन्द्र द्वारा प्रशासित भागों में से भी एक को इस कार्य के लिये चुन किया जायेगा । यह प्रश्न उठ सकता है कि हमने इस कार्य के लिये सबसे अच्छे जिलों को ही क्यों चुना, बुरे जिलों को क्यों नहीं चुना ? पैकेज प्रोग्राम का उद्देश्य यह है कि हमारे देश में पश्चिमी देशों की तरह अधिकतम सुविधायें देने से कितना अधिक से अधिक उत्पादन हो सकता है । इस कार्य के लिये ऐसे जिलों को नहीं चुना जा सकता है जहां सिंचाई इत्यादि की कोई सुविधा नहीं है । अतः हमने राज्यों को यह लिखा कि उन्हें ऐसे जिलों का चुनाव करना चाहिये कि जहां उक्त सभी सुविधायें विशेषतः सिंचाई की सुविधा मौजद हो । अतः जिलों के चुनाव का दायित्व पूरी तरह राज्यों पर निर्भर करता

है। हमने केवल जिलों के चुनाव के सम्बन्ध में शर्तें और मापदंड परिचालित कर दिये थे। यदि राज्यों ने चुनाव में गल्ती की है तो इसका दायित्व राज्य का है न कि केन्द्र का।

कृषि राज्य का विषय होने के कारण इस प्रकार के ९९ प्रतिशत काम राज्य को करने होते हैं। हम इस मामले में केवल समायोजन या प्रोत्साहन दे सकते हैं। इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिये आवश्यक व्यवस्था भी राज्यों को ही करनी होगी। निसंदेह इस सम्बन्ध में कुछ जिलों में यथा मद्रास के तंजोर और राजस्थान के पाली जिलें में जनता में बहुत उत्साह है और जनता यह जानना चाहती है कि इस सबन्ध में बिलम्ब क्यों हो रहा है? मैं चाहता था कि यह कार्यक्रम १५ जिलों में एक साथ जारी हो। मैं भी इस बीच छह सप्ताहों के लिये बाहर चला गया था। इस कार्यक्रम को योजना आयोग और मंत्रिमंडल की भी स्वीकृत प्राप्त करनी थी।

इन बातों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राज्यों को इस कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिये तैयार होना था। यह एक पंचवर्षीय कार्यक्रम है इसके लिये जिले में तत्काल आवश्यक तैयारियां नहीं हो सकती हैं। वर्तमान योजना के अनुसार धनराशि की कमी के कारण जिले के केवल १०० खंडों में यह कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा। इस मामले में हम सावधानी इस कारण बरत रहे हैं कि कहीं अधिक व्यापक कार्य करने के लोभ में हमें अच्छी सफलता से हाथ न धोना पड़े। इस मामले में हम यह दिखलाना चाहते हैं कि अमुक क्षेत्र में अधिकतम उत्पादन क्या हो सकता है?

कार्यक्रम की सफलता के लिये इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये जिसे दुहराया जा सके। इस कार्यक्रम की सफलता के अनन्तर इसे ३०० जिलों में लागू करना है। इस कार्यक्रम की सफलता पर ही इस योजना का अन्य जिलों में विस्तार किया जायेगा। हमने पिछले दस वर्षों में कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिये बहुत बातें कही हैं। तथापि हमने उन बातों का वैज्ञानिक रूप से व्यवहारिक प्रयोग नहीं किया है। निःसंदेह कुछ जिलों में इस कार्यक्रम के बिना ही बहुत अच्छी पैदावार होती है। हम इस कार्यक्रम के द्वारा यह दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यदि हम इन सभी बातों का सामूहिक रूप से प्रयोग करेंगे तो हमें अधिकतम उत्पादन प्राप्त होगा। उदाहरण के लिये तंजोर कृषि के सम्बन्ध में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। वहां कावेरी से सिंचाई होती है और वहां के लोग कृषि में दिलचस्पी लेते हैं। अतः हमें वहां सफलता की बड़ी आशा है। मद्रास सरकार भी कृषि के मामले में अन्य राज्यों से अधिक दिलचस्पी लेती है। उन्होंने अन्ततः यहां तक कहा कि यदि आपको किसी अन्य स्थान से सहायता की आशा नहीं है तो भी हम इस कार्यक्रम को स्वयं आरम्भ कर सकते हैं। उन्होंने अपने अधिकारी नियुक्त कर लिये हैं। यह कार्यक्रम पांच वर्ष में पूरा होगा अतः हम जिले में खंडों की कुल संख्या के पांचवें भाग में यह कार्यक्रम प्रारम्भ कर रहे हैं।

धन, समय और तैयारी के अलावा ऐसे कार्यक्रम के लिये जनता में उत्साह की आवश्यकता है। यदि वे प्रारम्भ से ही इस सम्बन्ध में शिकायतें करना आरम्भ करेंगे तो स्थिति कठिन हो जायेगी। इस कार्यक्रम की सफलता किसानों पर निर्भर करती है, वस्तुतः उन्हें यह कार्यक्रम स्वयं आरम्भ करना चाहिये जहां कोई कार्य उनकी शक्ति के बाहर होगा वहां सरकार उनकी सहायता करेगी।

इस सहायता का अधिकांश भाग सहायता के रूप में दिया जायेगा न कि बख्शीश के रूप में। ३७ या ३५ करोड़ रुपये की कुल राशि में से २९ करोड़ रुपया ऋण के रूप में दिया जायेगा। इसमें से २२ करोड़ रुपया अल्पकालीन और ७ करोड़ रुपया दीर्घकालीन ऋण के रूप में दिया जायेगा। मैंने आपको राशि का मोटा अनुमान दिया है, संभव है किसानों को ऋण की आवश्यकता न हो वे किसी अन्य संसाधन से इसे पूरा कर लेवें।

[श्री स० का० पाटिल]

वस्तुतः यह राज्य का काम है, और हम चाहते हैं कि राज्य इस कार्यक्रम को तत्काल आरम्भ कर दें। जिन सात जिलों में यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है उनका क्षेत्रफल ५० लाख एकड़ है, यदि इसमें सफलता मिली और इसके उत्पादन में वृद्धि हुई तो इन सात जिलों में ही उत्पादन में ३० लाख टन की वृद्धि हो सकेगी। यदि इसमें हम अन्य आठ जिलों का भी उत्पादन शामिल करें तो उत्पादन में और अधिक वृद्धि होगी। पांच राज्यों में जिलों का चुनाव हो चुका है। मैसूर राज्य ने मांड्य जिले को चुना है, श्री आचार इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि मंगलौर जिले को नहीं चुना गया है तथापि उन्हें अधीर नहीं होना चाहिये क्योंकि अगले वर्ष मंगलौर की बारी आ सकती है। यह एक प्रयोग है। हम आशा करते हैं कि किसान इस कार्य में पूरा सहयोग देंगे जिससे उत्पादन की वृद्धि संभव हो सके।

श्री माथुर ने ऋण का प्रश्न उठाया था। व्यक्ति की साख के निश्चय करने का परम्परागत तरीका उसकी सम्पदा और जायदाद देखना था, इस योजना के सम्बन्ध में हमें इन नियमों में परिवर्तन करना होगा। इस सम्बन्ध में मंत्रालय और बैंक के बीच लम्बी बातचीत हुई जिससे नवीन नियम बनाये जा सकें जो इस सम्बन्ध में अवरोध उत्पन्न न करें। इस बातचीत में भी कुछ समय लग गया। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि यदि यह प्रयोग सफल रहा तो रक्षित बैंक को भी इसका विश्वास हो जायेगा कि इस प्रकार रुपया देने में कोई हानि नहीं है। जो रुपया लगाया जायेगा वह वापस हो जायेगा। अतः यह सब बातें योजना की सफल क्रियान्विति पर निर्भर हैं। अतः हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि हम अपने अनुभव, धैर्य या परिश्रम द्वारा स्थिति को अनुकूल बनायें।

माननीय हरिश्चन्द्र माथुर ने यह प्रश्न उचित ही किया है कि उत्पादन में कमी होने का दायित्व किस पर होगा। इसका दायित्व केन्द्र पर होगा न कि राज्यों पर, क्योंकि जब तक केन्द्रीय सरकार राज्यों को उक्त सुविधायों नहीं देगी तब तक राज्य इस योजना को आरम्भ नहीं कर सकते हैं। निःसंदेह कुछ मामलों के सम्बन्ध में शुरुवात की जा सकती है, जैसा कि तंजौर में किया गया या पाली में श्री माथुर करना चाहते हैं। इसलिये यदि योजना में कुछ विलम्ब हुआ है तो वह इस कारण है कि वह अपने प्रकार की पहिली योजना है, और हम नहीं चाहते हैं कि योजना असफल रहे। हम इस याजना के सम्बन्ध में यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं। अब हमें यह दिखाना चाहिये कि आगामी पांच वर्षों में हम इस सम्बन्ध में निसंदेह कुछ प्राप्त कर सकते हैं।

मेरे माननीय मित्र द्वारा एक प्रश्न रबी तथा अन्य फस्ल के बारे में पूछा गया था। मैं उस समय दक्षिण भारत में था, अन्यथा मैं ने यह उत्तर दिया होता कि यह योजना रबी अथवा खरीफ की फसल से आरम्भ नहीं होगी। हमें बोना आरम्भ करने के पूर्व कई तैयारियां करनी होंगी। ये सब बातें बुआई, बीज व उर्वरक इत्यादि से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अतः यह योजना अब आरम्भ होगी यह बात राज्यों पर निर्भर करती है। केन्द्र इस योजना के सम्बन्ध में छोटी छोटी बातों के सम्बन्ध में राय नहीं दे सकता है। निसंदेह उनका पथप्रर्दशन करने को हम हमेशा तैयार हैं :

मेरे माननीय मित्र डा० राम सुभग सिंह ने कहा है कि इस दिशा में केन्द्र और राज्यों के बीच मतभेद है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं ऐसी कोई बात नहीं है। इस बारे में केन्द्र और राज्यों में किसी भी प्रकार के मतभेद नहीं है, इस बात का मैं अपने माननीय मित्र को विश्वास दिलाता हूं। वास्तव में सभी राज्य यह प्रयत्न कर रहे हैं कि यह कार्यक्रम उनके यहां भी शुरू हो। बिहार राज्य और रिज़र्व बैंक के बीच कुछ थोड़ी सी बात हुई थी, क्योंकि शाहाबाद ज़िले की सहकारी

संस्थाओं का जिस तरह का ढांचा था उसे रिज़र्व बैंक ने स्वीकार नहीं किया था। अतः वहां की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो गया था। मुझे विस्तार से तो इस मामले की जानकारी नहीं परन्तु इस बात का पता है कि उस मामले को ठीक कर लिया गया है। सहकारी संस्थाओं का ढांचा इस प्रकार बना लिया गया है जिससे रिज़र्व बैंक को विश्वास हो जाये कि उसका रुपया वापस मिल जायेगा। ये सब कठिनाइयां दूर की जा रही हैं।

सात जिलों में तो यह कार्य अगले कुछ दिनों में आरम्भ हो जायेगा। बाकी आठ ज़िलों में से ५ चुने गये हैं, परन्तु इन आठों को ही चुना जाना है ताकि हम घोषणा कर दें और इसके लिए धन की व्यवस्था करें। इन जिलों के लिये विदेशी विनिमय की व्यवस्था भी सरकार को ही करनी होगी, क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन कम से कम इस वर्ष तो इन आठ जिलों के लिये सहायता नहीं दे सकेगा।

श्री ब्रजराज सिंह ने पूछा है कि क्या इस कार्यक्रम का विस्तार अन्य जिलों में भी किया जायेगा। वास्तव में यह प्रयोगशालायें हैं, और इनकी सफलता का पता लगते ही इनका विस्तार किया जायेगा।

यह भी पूछा गया है कि फोर्ड फांउंडेशन कुछ अतिरिक्त धन भी दे सकेगा। इस प्रकार का प्रश्न हम बार बार फोर्ड फाउंडेशन से पूछना ठीक नहीं समझते। मेरा विचार है कि यदि हमें सफलता प्राप्त होगी तो इससे उन्हें भी काफी उत्साह और प्रोत्साहन मिलेगा। उनको विचार होगा कि उनका प्रयोग इस देश में सफल सिद्ध हो रहा है और इसके बहुत लाभदायक परिणाम होंगे। इस कारण इस बात का कोई भय नहीं होना चाहिये कि इसके कुछ बुरे परिणाम निकल सकते हैं। न ही यह योजना ऐसी योजना होगी जिसके बुरे निकल आने की सम्भावना हो। हमें निराशावाद से इसे आरम्भ नहीं करना चाहिये। प्रथम बार ऐसा अवसर आया है कि हम अपनी कथनी को करनी के रूप में बदल कर संसार के समक्ष रख रहे हैं। कागजी योजनाओं को ठोस व्यावहारिक रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। सब को, और सदन के माननीय सदस्यों को विशेष कर यह पूरा प्रयत्न करना चाहिये कि यह प्रयोग सफल हो। यदि यह प्रयोग इन १५ जिलों में सफल हो गया तो देश में ६० लाख टन अनाज और अधिक उपलब्ध होने लगेगा। सफलता के बाद यदि इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया और अन्य जिलों में भी इसे लागू किया गया तो सारे देश में कोई कमी नहीं रहेगी और हमारे पास इतना अनाज हो जायेगा कि हम अन्य देशों की भी सहायता कर सकेंगे।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, ३१ अगस्त, १९६०/९ भाद्र, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मंगलवार, ३० अगस्त, १९६०

८ भाद्र, १८८२ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२७६१—८४
तारांकित प्रश्न संख्या		
८७०-क	कपड़े के मूल्यों का विनियमन	२७६१—६५
८७१	मज़दूरी बोर्डों की सिफारिशें	२७६६—७०
८७२	दंडकारण्य परियोजना के ट्रैक्टर	२७७०—७१
८७३	सन्तनगर में संश्लिष्ट औषधि संयंत्र	२७७१—७२
८७४	अगरताला के विस्थापित व्यक्तियों की मांगें	२७७२—७५
८७६	ओखला में मजदूरों के लिये क्वार्टर	२७७५—७६
८७७	भारत और इंडोनेशिया की सेवाओं में सहयोग	२७७६—७७
८७८	झा समिति	२७७७—७९
८७९	जापान में निरीक्षण-शाखा	२७७९—८०
८८०	पावन स्थानों के सम्बन्ध में भारत-पाक समझौता	२७८०—८१
८८२	परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति	२७८१—८२
८८३	चाय का निर्यात	२७८२—८४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
५	तीसरी पंच वर्षीय योजना के लिये सोवियत रूस से सहायता	२७८४—८६
६	केन्द्रीय कार्मिक संघों की सदस्यता	२७८६—८७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२७८७—२८२८
तारांकित प्रश्न संख्या		
८७५	कर्मचारी राज्य बीमा निधि	२७८७—८८
८८१	राज्य व्यापार निगम	२७८८
८८४	सरकारी क्षेत्र में रोज़गार	२७८८

विषय | पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

८८५	बांस के गूदे का कारखाना (केरल)	२७८९
८८६	संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन का प्रतिनिधित्व	२७८९
८८७	ब्रिटेन की सेना के लिए गोरखे	२७८९
८८८	खाद्य-उत्पादन उद्योग में यूगोस्लाविया का सहयोग . .	२७९०
८८९	तिब्बत से लद्दाखियों की वापसी . .	२७९०
८९०	औद्योगिक बस्तियां	२७९०–९१
८९१	वैस्ट पटेल नगर, दिल्ली में शरणार्थियों के क्वार्टरों की बिक्री	२७९१
८९२	भारत सेवक समाज, हिमाचल प्रदेश .	२७९१–९२
८९३	योजना आयोग . .	२७९२
८९४	हांडी धुआ कोयला खान . .	२७९२–९३
८९५	दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों का संघ	२७९३
८९६	कत्वा थिवू द्वीप . .	२७९३
८९७	सम्बलेश्वरी मोटर ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड	२७९३–९४
८९८	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	२७९४
८९९	सरकारी विज्ञापन .	२७९४
९००	ब्रिटेन में दंडित भारतीय . . .	२७९५
९०१	दिल्ली में जनता होटल . . .	२७९५
९०२	अमरीका को निर्यात . .	२७९५–९६
९०४	तिब्बती शरणार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण	२७९६
९०५	सरकारी उपक्रम	२७९६
९०६	एन्टीबायोटिक्स का टेट्रासाइक्लीन ग्रुप	२७९६–९७
९०७	छोटे पैमाने के उद्योग . . .	२७९७
९०८	नारियल जटा उद्योग का मशीनीकरण . .	२७९७
९०९	मोटर गाड़ियों के पुर्जों का निर्माण .	२७९८
९१०	हावड़ा में प्रशिक्षित अध्यापक-प्रशासक . .	२७९८
९११	टलीविजन द्वारा शिक्षा	२७९८
९१२	सरकारी उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदन . .	२७९९
९१३	ब्रिटेन में भारतीय आप्रवासी . . .	२७९९
९१४	कर्मचारियों के शिक्षा केन्द्र . . .	२७९९–२८००

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१७०८	आकाशवाणी किसान मंडल	२८००
१७०९	तिब्बती शरणार्थी . .	२८००
१७१०	बांस का कागज	२८०१
१७११	मोटर कारों का निर्माण	२८०१
१७१२	नीरा से चीनी का उत्पादन .	२८०१
१७१३	न्यूयार्क में विश्व व्यापार मेला	२८०१–०२
१७१४	अभ्रक उद्योग	२८०२
१७१५	नेताओं के भाषणों के रिकार्ड . .	२८०२
१७१६	घड़ियों का आयात	२८०२
१७१७	दिल्ली में उद्योग	२८०२–०३
१७१८	दिल्ली की दूसरी पंच वर्षीय योजना के बारे में रेडियो वार्ता	२८०३
१७१९	वियना में अन्तराष्ट्रीय व्यापर मेला	२८०३
१७२०	डीजल इंजनों का निर्माण . . .	२८०३–०४
१७२१	दिल्ली में सिविल निर्माण कार्य .	२८०४
१७२२	आकाशवाणी किसान मंडल	२८०४
१७२३	गुरदासपुर जिले का औद्योगिक सर्वेक्षण	२८०४
१७२४	दिल्ली में दूसरी पंच वर्षीय योजना का व्यय .	२८०५
१७२५	दिल्ली का औद्योगिक विकास . .	२८०५
१७२६	आवास योजनाएं . .	२८०५
१७२७	रोजगार दफतरों में पंजीबद्ध स्नातक .	२८०६
१७२८	पंजाब में कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योग	२८०६
१७२९	उड़ीसा का औद्योगिक विकास	२८०६–०७
१७३०	गोआ और बम्बई के बीच स्टीमर सेवा .	२८०७
१७३१	जूतों का निर्यात . .	२८०७
१७३२	दिल्ली में उद्योगों के लिये अनुसंधान केन्द्र	२८०७
१७३३	कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण	२८०८
१७३४	खनिज तेल उद्योग के लिये मशीनरी . .	२८०८
१७३५	उड़ीसा सरकार के कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये ऋण	२८०९
१७३६	दिल्ली में निर्माण-कार्य . .	२८०९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर–क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१७३७	दिल्ली में मुद्रणालय	२८०९–१०
१७३८	हिमाचल प्रदेश में बन्दूकें बनाना	२८१०
१७३९	पांगी में उनी कपड़े का उद्योग	२८१०
१७४०	राज्य व्यापार निगम	२८११
१७४१	भारतीय इलायची का निर्यात	२८११
१७४२	सामुदायिक सेवा कर्मचारियों के लिये मकान	२८१२
१७४३	पूर्व पाकिस्तान से लोगों का आगमन	२८१२
१७४४	एमरी स्टोन बनाने वाली कम्पनी	२८१२–१३
१७४५	एमरी स्टोन	२८१३
१७४६	दिल्ली में आकाशवाणी का आडिटोरियम	२८१३
१७४७	बैंकाक में भारतीय कपड़े की प्रदर्शनी	२८१३
१७४८	पंजाब में नये औद्योगिक एकक	२८१३–१४
१७४९	कांगड़ा में सहकारी चाय का कारखाना	२८१४
१७५०	सौर उद्भेदन का रेडियो ट्रांसमिशन पर प्रभाव	२८१४
१७५१	तिब्बती शरणार्थी औरतें	२८१४–१५
१७५२	तटकर आयोग	२८१५
१७५३	कालीन मंत्रणा समिति	२८१५
१७५४	फर्मों को काली सूची में दर्ज करना	२८१५
१७५५	माल्ट मिला हुआ दूध	२८१६
१७५६	खेल के सामान का निर्यात	२८१६–१७
१७५७	उर्वरक कारखाना, ट्राम्बे	२८१७
१७५८	खाली सरकारी क्वार्टर	२८१७–१८
१७५९	राष्ट्रीय खान सुरक्षा समिति	२८१८
१७६०	उल्हास नगर में खाली जमीनें	२८१८
१७६१	रेयन मिल	२८१८–१९
१७६२	चीनी सम्बन्धी भारतीय उत्पादकता दल	२८१९–२०
१७६३	प्रोटोटाइप मशीन फैक्टरी	२८२०
१७६४	अमरीको निर्यात––आयात बैंक से ऋण	२८२०
१७६५	रेयन के उत्पादन के लिये मिल	२८२१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१७६६	कालिम्पोंग से काजिनी डोरजी का देश निकाला	२८२१
१७६७	झुमारिया बाजार विस्फोट . .	२८२१–२२
१७६८	हांडीघुआ कोयला खान द्वारा किराये का भुगतान .	२८२२
१७६९	हांडीघुआ कोयला खान द्वारा श्रम नियमों का अतिक्रमण	२८२२
१७७०	भुसंडपुर में सहकारी समिति .	२८२३
१७७२	शुष्क दुग्ध पाउडर में चोर बाजारी	२८२३
१७७३	मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उद्योग	२८२३
१७७४	मद्रास में श्रमिक शिक्षा केन्द्र	२८२३–२४
१७७५	मदुरे में आकाशवाणी केन्द्र .	२८२४
१७७६	त्रिपुरा में निराश्रित शरणार्थी महिलायें	२८२४–२५
१७७७	नरसिंहगढ़ बस्ती, त्रिपुरा	२८२५
१७७८	मध्य वर्ग के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण	२८२५–२६
१७७९	मोटर गाड़ी उद्योग .	२८२६
१७८०	अखबारी कागज .	२८२६–२७
१७८१	सरकारी क्वार्टर	२८२७–२८
विशेषाधिकार का प्रश्न		२८२९
सभा पटल पर रखे गये पत्र		२८३०–३१

अध्यक्ष महोदय ने सूचना में उल्लिखित एक पुस्तिका में अध्यक्ष महोदय तथा सभा पर आक्षेप करने वाली किसी श्री धीरेन्द्र भौमिक द्वारा लिखी गई कुछ बातों के बारे में श्री हेम बरुआ द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाये जाने के लिये अपनी सहमति दे दी।

प्रश्न को उठाने के लिये सभा की अनुमति प्राप्त हो जाने पर श्री हेम बरूआ ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि यह विषय विशेषाधिकार समिति को विचार करने और इस पर प्रतिवेदन देने के लिये सौंप दिया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(१) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनिय १९५१ की धारा १५ के अन्तर्गत निकाली गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १८ जुलाई, १९६० का एस० ओ० १७९१ ;

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

(दो) दिनांक २८ जुलाई, १९६० का एस० ओ० १८८६ ।

(२) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कच्चे रबड़ के मूल्यों के पुनरीक्षण के बारे में प्रशुल्क का आयोग का प्रतिवेदन ।

(दो) सरकारी संकल्प संख्या १६ (४) प्लांट (बी०)/६० दिनांक २३ अगस्त, १९६० ।

(तीन) उपरोक्त भाग (एक) और (दो) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर सभा पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी इसके कारण बताने वाला विवरण ।

(३) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत निकाली गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २२ जून, १९६० का एस० ओ० १५९८ ।

(दो) दिनांक ११ जुलाई, १९६० का एस० ओ० १७१८ ।

(४) सर्वेक्षण, ड्राइंग और गणित सम्बन्धी उपकरण उद्योग के बारे में खोसला समिति के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले टिप्पण की एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश २८३१

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित दो सन्देशों की सूचना दी :—

(१) कि राज्य सभा ने २४ अगस्त, १९६० की अपनी बैठक में दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६० को पारित कर दिया है ।

(२) कि राज्य सभा को कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६० के बारे में जो लोक-सभा द्वारा ११ अगस्त, १९६० को पारित किया गया था, कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

राज्य सभा द्वारा पारित किया गया विधेयक—सभा पटल पर रखा गया . २८३१

सचिव ने दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६० को राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में सभा-पटल पर रखा ।

आसाम जाने वाले संसद् सदस्यों के शिष्टमण्डल का प्रतिवेदन . . २८३२–३३

श्री अजित प्रसाद जैन ने आसाम जाने वाले संसद् सदस्यों के शिष्ट मंडल का प्रतिवेदन उपस्थापित किया ।

विषय	पृष्ठ
विधेयक—पारित	२८३४–५८
(१) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।	
(२) वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) ने प्रस्ताव किया कि बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।	
(३) श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : ने प्रस्ताव किया कि भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के पश्चात् विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया गया।	
विधेयक—विचाराधीन	२८५९–६१
स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) ने प्रस्ताव किया कि औषधि (संशोधन विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
आधे घण्टे की चर्चा	२८६१–६७
श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने "पैकेज प्रोग्राम" के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ४०४ के १६ अगस्त, १९६० को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई।	
खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने वादविवाद का उतर दिया।	
बुधवार, ३१ अगस्त, १९६०/९ भाद्र, १८८२ (शक) के लिए कार्यावलि	
विनियोग (संख्य ४) विधेयक, १९६० पर चर्चा तथा उसे पारित किया जाना और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव पर विचार।	

GIPND—LS III—1069(Ai)LSD—Jc. No. 12635-60-61—4-10-1960—135